रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 23, 1996 (अग्रहायण 2, 1918)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 23, 1996 (AGRAHAYANA 2, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

बैंक आफ इण्डिया

औद्योगिक वित्त प्रभाग

प्रधान कार्यालय

मुम्बई-400021, दिनांक 1996

सं. आई एफ/96-97—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19, जो धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन पढ़ा गया, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक आफ इण्डिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श कर और भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के तहत एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, जिनके नाम हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमनों को बैंक आफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियमावली, 1996 कहा जा सकेगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. बैंक आफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 1996 में अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात

"अनुसूची"

क्रम सं०	अधिकारी/कर्मचारी का वेतनमान	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	समीक्षा प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वेतनमान I और II के अधिकारी	उप आंचलिक प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक/मुख्य प्रबंधक/वेतनमान IV के अधिकारी	वेतनमान V के आंचलिक प्रबंधक/संयुक्त आंचलिक प्रबंधक/मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक	महाप्रबंधक
2.	वेतनमान III के अधिकारी	वेतनमान V के आंचलिक प्रबंधक/संयुक्त आंचलिक प्रबंधक/मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक	वेतनमान VI के आंचलिक प्रबंधक/उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक
3.	वेतनमान IV के अधिकारी	वेतनमान VI के आंचलिक प्रबंधक/उप महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक
4.	वेतनमान V एवं VI के अधिकारी	महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
5.	वेतनमान VII के अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	बोर्ड समिति

अनुसूची का अंश बनाने के नोट

1. किसी भी प्राधिकारी को, जो ऊपर कालम (III), (IV) और (V) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों से उच्च पद का हो, जहां जैसी स्थिति हो, अनुशासनिक या अपीलीय या समीक्षा प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है ।

2. जहां कहीं भी अनुशासनिक या अपीलीय या समीक्षा प्राधिकारी को पदनाम द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है, वहां ऐसे पदनामित पद पर यदि कोई व्यक्ति स्थानापन्न सेवा करता है, तो वह अनुशासनिक या अपीलीय या समीक्षा प्राधिकारी का प्राधिकार, जहां जैसी स्थिति हो, स्वयमेव ही प्रयोग करेगा ।

3. जहां कहीं भी एक ही पदनाम के एक से अधिक अधिकारी हैं, जो अनुशासनिक या अपीलीय या समीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं, या जहां ऐसे प्राधिकारी किसी भी कारणवश कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं, तो उस हालत में :

(1) कार्यपालक निदेशक, और उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित को अधिकार देगा :

(क) वेतनमान I और II के अधिकारियों के मामले में वह अधिकारी, जो वेतनमान V में आंचलिक प्रबंधक पद से नीचे का अधिकारी न हो, उपयुक्त वेतनमान के अधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगा;

(ख) वेतनमान I और II के अधिकारियों के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तथा वेतनमान III के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी, के रूप में कार्य करने के लिए, वह अधिकारी, जो वेतनमान VI में आंचलिक प्रबंधक/उप महाप्रबंधक पद से नीचे के पद का अधिकारी न हो, उपयुक्त वेतनमान के प्राधिकारी को कार्य करने के लिए नामित करेगा ।

(ग) वेतनमान III के अधिकारियों के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तथा वेतनमान IV में अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए महाप्रबंधक उस अधिकारी को नामित करेगा जो उपयुक्त वेतनमान का हो ।

(2) कार्यपालक निदेशक, और उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक यह निर्णय लेगा कि (क) वेतनमान V और VI के अधिकारियों के मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी (ख) वेतनमान IV के अधिकारियों के मामले में अपीलीय प्राधिकारी और (ग) वेतनमान I, II और III के अधिकारियों के मामले में समीक्षा प्राधिकारी का कार्य करने के लिए कौनसा महाप्रबंधक कार्य करेगा ।

4. जहां कार्यपालक निदेशक इस स्थिति में नहीं है कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में, या अपीलीय प्राधिकारी के रूप में या समीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सके या प्रबंध निदेशक इस स्थिति में नहीं है कि वह अपीलीय प्राधिकारी के रूप में या समीक्षा प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सके वहां बोर्ड कार्यपालक निदेशक के स्थान पर किसी एक निदेशक को अनुशासनिक या अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा और प्रबंध निदेशक के स्थान पर अपीलीय या समीक्षा प्राधिकारी का कार्य करने के लिए दो या अधिक निदेशकों की समिति नियुक्त करेगा । निदेशकों की समिति द्वारा निपटाई गई अपीलों से प्रकाश में आई समीक्षा बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी ।

5. भारत से बाहर स्थित स्थापनाओं में तैनात अधिकारी कर्मचारियों के लिए, और उनके लिए, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, अपीलीय या समीक्षा प्राधिकारी वे व्यक्ति ही होंगे जो प्रधान कार्यालय में तैनात अधिकारी कर्मचारियों के लिए हैं ।

6. जहां सामान्य दुराचार या सामान्य लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला के मामले में एक से अधिक अधिकारियों के विरोध में अनुशासनिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वहां ऐसे सभी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए संबंधित वरिष्ठतम अधिकारी को अधिकार दिया जाता है । तदनुसार, इस प्रकार के सभी अधिकारियों के लिए अपीलीय और समीक्षा प्राधिकारी वही होंगे जो वरिष्ठतम अधिकारियों के लिए हैं ।

7. उपर्युक्त अनुसूची उन अधिकारियों पर भी लागू है जिन्होंने बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 के अंतर्गत वेतनमान के फिटमेंट के लिए विकल्प नहीं दिया है, और उनके मामले में इस अनुसूची के उद्देश्य के लिए उनका वेतनमान उक्त सेवा विनियमन के फिटमेंट फार्मूले के अनुसार आनुमानिक स्तर पर निर्धारित किया जाएगा ।

8. कोई भी कार्यवाही, जो आरम्भ हो की गई, परन्तु इस अनुसूची के लागू होने की तारीख को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अब तक पूरी नहीं की गई है, वह उसी प्राधिकारी द्वारा जहां तक हो सके जारी रखी जाएगी और/या निपटाई जाएगी, जिसने वह कार्यवाही आरम्भ की थी ।

के. एम. मेहरोत्रा
महाप्रबंधक

कार्मिक विभाग

मुम्बई-400021, दिनांक 18 अक्तूबर 1996

सं. पी/आई आर/एस ए एच-706—भारत के राजपत्र क्र. 38 दिनांक 23 सितंबर, 1995 के भाग 3, खंड 4 में पी. आई आर (ओ) एस ए एच-506 दिनांक 27-6-1995 द्वारा विनियम 49 (2) में संशोधन से संबंधित अधिसूचना को निम्न रूप में पढ़ा जाना चाहिए :—

क्रम संख्या . . . . . बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) (अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बैंक आफ इण्डिया का निदेशक बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेकर बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भ होने की तारीख

(1) ये विनियम बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा (संशोधित) विनियम, 1995 नाम से जाने जाएंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 का विनियम 49 (2) निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

"कार्यग्रहण अवधि के दौरान अधिकारी स्थानान्तरण स्थान पर लागू परिलब्धियां पाने के पात्र होंगे" ।

जे. चक्रवर्ती
उप महाप्रबन्धक
(कार्मिक)

दिनांक 24 अक्तूबर 1996

सं. पी/आई आर/एस ए एच/740—दिनांक 22 जुलाई 1995 के भारत के राजपत्र क्र. 29 के भाग 3, खंड-4 में पी आई आर/एस ए एच-191 दिनांक 30-5-1995 के तहत प्रकाशित विनियम 2 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना में सुधार

निम्नानुसार प्रकाशित हुआ है	निम्नानुसार प्रकाशित किया जाए
————————————————————बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5)/1980 (1980 का 40) निदेशक मंडल————————————	————————————————————बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) निदेशक मंडल————————————

जे० चक्रवर्ती
उप महाप्रबंधक
(कार्मिक)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुम्बई, दिनांक 28 जून 1996

सं. यूटी/डीबीडीएम/आर-115/एसपीडी 51/95-96—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनायी गयी यूनिट योजना 1964 (यूएस 64) के प्रावधानों के संशोधन, जो 1 जुलाई, 1996 से लागू होंगे, 3 जून 1996 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किए गए, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

ए. जी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन

अनुबंध

यूनिट योजना 1964 में संशोधन

(1) 'यूनिटों के लिए आवेदन पत्र' पर खण्ड सं. 4(4) निम्न रूप में संशोधित किया जाता है :

न्यूनतम निवेश रु. 2000/- होगा । स्वीकृति तिथि के यूनिटों के बिक्री मूल्य पर निर्भर करते हुए यूनिटों का आबंटन दशमलव के बाद तीन स्थानों तक किया जाएगा ।

(2) 'यूनिटों की बिक्री' पर खण्ड सं. 6 का अंतिम वाक्य निम्न रूप में संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक आवेदन दो हजार रुपए के न्यूनतम निवेश के लिए होगा । कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

(3) 'यूनिटों की पुनर्खरीद' पर खण्ड सं. 7 (2) निम्न रूप में संशोधित किया जाता है :

यूनिटधारकों के पास 200 यूनिटों से कम (अर्थात् रु. 2000/- का अंकित मूल्य) शेष होने पर पुनर्खरीद नहीं की जाएगी ऐसे मामले में निवेशक के खाते में पूरी यूनिट धारिता की पुनर्खरीद की जाएगी ।

(4) 'यूनिटधारकों के रजिस्टर' पर खण्ड सं. 16 (2) निम्न-रूप में संशोधित किया जाता है :

यदि आवेदन न्यूनतम दो हजार रुपए के निवेश के लिए न हो तो यूनिटधारक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह कि जहां यूनिटधारक की मृत्यु होने पर कोई अन्य व्यक्ति ऐसे यूनिटों का हकदार बनता है जिनका अंकित मूल्य दो हजार रुपए से कम है तो ऐसा व्यक्ति यूनिटों की उस संख्या के संबंध में यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा ।

(5) 'यूनिटों का अंतरण' पर खण्ड सं. 20 (1) निम्न रूप में संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक यूनिटधारक अपने द्वारा धारित यूनिटों या उनमें से किन्हीं यूनिटों का लिखित रूप में एक लिखत के द्वारा, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो, अंतरण करने का हकदार होगा, परन्तु यह कि ऐसा कोई अंतरण पंजीकृत नहीं होगा जिसमें अंतरणकर्ता या अंतरिती यूनिटों की उस संख्या के धारक बन जाएं, अंतरण की तारीख को जिनका अंकित मूल्य दो हजार रुपए से कम हो ।

सं. यूटी/डीबीडीएम/आर-118/एसपीडी 92/95-96—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनायी गई यूटीआई इक्विटी सुअवसर निधि 1996 के संशोधन, जिन्हें 8 मई 1996 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

ए. जी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन

अनुबंध

यूटीआई इक्विटी सुअवसर निधि 1996 में संशोधन

(1) विशिष्टताएं (मद सं. 3) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

पुनर्खरीद की अनुमति एनएवी आधारित मूल्य पर आबंटन की तिथि से छः माह बाद अर्थात् 1 जनवरी, 1997 से एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर होगी ।

(2) खंड 15 (1) 'यूनिटों की पुनर्खरीद' को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

ट्रस्ट आबंटन की तिथि से छः महीने के बाद अर्थात् 1 जनवरी 1997 से एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर प्रति माह बकाया यूनिट पूंजी के अधिकतम 5% तक, 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा ।

एक बार जब पुनर्खरीद की मांग, माह के आरंभ में बकाया यूनिट पूंजी के 5% तक पहुंच जाएगी तो पुनर्खरीद बंद कर दी जाएगी ।

पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एनएवी होगा जिसमें से एनएवी का 5% से अनधिक कम किया जाएगा । पुनर्खरीद मूल्य 6 माह की अवरुद्ध अवधि के दौरान (मृत्यु दावा संबंधी मामलों के निपटान के लिए) प्रत्येक तिमाही में एक बार घोषित किया जाएगा । 6 माह की अवरुद्ध अवधि पूरी हो जाने के बाद अर्थात् 1-1-97 से एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य साप्ताहिक आधार पर घोषित किया जाएगा ।

(3) खंड 21 'शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना और प्रकटन' के दूसरे पैराग्राफ को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एनएवी होगा जिसमें से एनएवी का 5% से अनधिक कम किया जाएगा । आरंभ में पुनर्खरीद मूल्य 31/12/96 तक (केवल मृत्यु दावा संबंधी मामलों के निपटान के लिए) हर तीन माह में एक बार घोषित किया जाएगा । उसके बाद 1 जनवरी 1997 से एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य साप्ताहिक आधार पर घोषित किया जाएगा ।

दिनांक 9 जुलाई 1996

सं. यूटी/डीबीडीएम/आर-122/एसपीडी 59ए/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनायी गयी राजलक्ष्मी यूनिट योजना (2) आरयूएस (2) और धारा 19(1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाया गया राजलक्ष्मी यूनिट प्लान (2) [आरयूपी(2)] के प्रावधानों के संशोधन, जो 1 जुलाई, 1996 से लागू होंगे, 3 जून 1996 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किए गए, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

ए. जी जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन

अनुबंध

राजलक्ष्मी यूनिट योजना (2) [आरयूएस (2)] तथा राजलक्ष्मी यूनिट प्लान (2) [आरयूपी (2)] में संशोधन

(1) योजना के उद्देश्य का दूसरा वाक्य निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

बालिका के पक्ष में निवेश की गई राशि मूलतः अप्रतिसंहरणीय है और उस पर 16 से 20 वर्षों की अधिकतम अवरुद्ध अवधि पूरी होने के बाद ही केवल बालिका द्वारा दावा किया जा सकता है । हालांकि, योजना के अंतर्गत, बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद अर्थात् बालिका की आयु पर निर्भर करते हुए 13 वर्ष से 18 वर्ष की न्यूनतम अवरुद्ध अवधि पूरी होने के बाद, समयपूर्व पुनर्खरीद की अनुमति होगी ।

(2) योजना के प्रावधानों के खंड 8 'योजना कैसे कार्य करती है' का अंतिम पैराग्राफ निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद अर्थात् बालिका की आयु पर निर्भर करते हुए 13 वर्ष से 18 वर्ष की न्यूनतम अवरुद्ध अवधि पूरी होने के बाद परिपक्वता प्राप्तियों को आहरित करने की सुविधा भी है । नीचे दी गई सारणी में रु. 1500/- न्यूनतम निवेश के लिए विभिन्न अवरुद्ध अवधियों पर परिपक्वता मूल्य दर्शाए गए हैं :

अवरुद्ध अवधि	अवरुद्ध अवधि पूरी करने के बाद देय परिपक्वता राशि
13	रु. 7,000/-
14	रु. 8,150/-
15	रु. 9,500/-
16	रु. 11,000/-
17	रु. 13,000/-
18	रु. 15,000/-

(3) प्लान के प्रावधान के खंड सं. 5 (4) 'भुगतान विधि' को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

योजना में भाग लेने के इच्छुक आवेदक, आवेदन करते समय या बालिका द्वारा योजना में भाग लेने की अवधि के दौरान किसी भी समय, आवेदन पत्र में निर्दिष्ट कर सकता है कि यदि नियत अवरुद्ध अवधि के भीतर, जो प्रविष्टि के समय बालिका की आयु पर निर्भर करते हुए 16 से 20 वर्ष तक होगी, बालिका की मृत्यु हो जाती है तो इस हेतु आवेदन पत्र में उल्लिखित दूसरी बालिका जिसकी आयु आवेदन करते समय 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, वह प्रथम उल्लिखित बालिका के सभी अधिकारों की हकदार होगी । यदि नियत अवरुद्ध अवधि, जो प्रविष्टि के समय बालिका की आयु पर निर्भर करते हुए 16 से 20 वर्ष तक होगी के भीतर प्रथम उल्लिखित बालिका की मृत्यु हो जाती है तो योजना के प्रावधान ऐसे लागू होंगे जैसे कि उत्तरजीवी दूसरी उल्लिखित बालिका ही आवेदन पत्र में उल्लिखित एकमात्र बालिका हो ।

(4) प्लान के प्रावधानों में 'यूनिटों की पुनर्खरीद' पर खण्ड सं. 7 (1) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

16 से 20 वर्ष की अवरुद्ध अवधि पूरी होने के बाद बालिका यूनिटों की पुनर्खरीद करने की हकदार होगी ।

इसके अतिरिक्त बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद समयपूर्व पुनर्खरीद की सुविधा उपलब्ध होगी ।

(5) प्लान के प्रावधानों में 'सदस्य की मृत्यु' पर खण्ड सं. 17 (1), (2), (3) और (4) (क) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

(1) जिस बालिका के पक्ष में यूनिट जारी किए गए हैं, 16 से 20 वर्ष की अवरुद्ध अवधि पूरी होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट इसके खण्ड (4) (5) के कथन के अनुसरण में बालिका के पक्ष में जारी यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के लिए वैकल्पिक बालिका को, यदि कोई हो, हकदार व्यक्ति के रूप में मान्यता देगा ।

(2) बालिका की मृत्यु होने की स्थिति में 16 से 20 वर्ष तक की अवरुद्ध अवधि के पूरा होने तक वैकल्पिक बालिका योजना में शामिल रहेगी बशर्ते आवेदक ट्रस्ट को उससे संबंधित सभी आवश्यक विवरण और वैकल्पिक बालिका को योजना में शामिल किए रहने के लिए ट्रस्ट द्वारा मांगे जाने वाले सभी विवरण प्रस्तुत करता है ।

(3) 16 से 20 वर्ष की अवरुद्ध अवधि के दौरान बालिका की मृत्यु होने की स्थिति में और जहां किसी वैकल्पिक बालिका का नाम नहीं दिया गया हो, तो मृतक बालिका का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1925 का 39) के भाग 10 के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ऐसा/ऐसे व्यक्ति होगा/होंगे जिसे/जिन्हें ट्रस्ट द्वारा यूनिटों पर किसी हक होने की मान्यता दी जाएगी।

(4) (क) योजना में निवेशित धन 16 से 20 वर्ष की अवरुद्ध अवधि के पूरा होने पर या बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बालिका द्वारा प्राप्त किया जाएगा और यह कि निवेश के परिपक्व होने से पहले बालिका की मृत्यु होने की स्थिति में यह धन संस्था को देय हो जाएगा और संस्था इसे प्राप्त करने की हकदार होनी चाहिए ।

(6) प्लान के प्रावधानों में 'योजना के अन्तर्गत परिपक्वता' पर खंड सं. 19 (क) और (ख) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

(क) 16 से 20 वर्ष की अवरुद्ध अवधि पूरी होने तक बालिका योजना में सहभागी बनी रहेगी । तथापि बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने बाद समयपूर्व पुनर्खरीद की सुविधा होगी ।

(ख) बालिका जब 16 से 20 वर्ष की अधिकतम अवरुद्ध अवधि पूरी कर लेती है (प्रवेश के समय बालिका की आयु पर निर्भर) तब यदि बालिका पुनर्खरीद के लिए आवेदन नहीं करती है तो धन ट्रस्ट के पास रहेगा और बालिका को उस पर बिना किसी ब्याज के अदा किया जाएगा ।

दिनांक 25 जुलाई 1996

सं. यूटी/जीबीडीएम/आर-128/एसपीडी 51/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनायी गयी यूनिट योजना 1964 (यूएस 64) के प्रावधानों में हुए संशोधन, जो दिनांक 26 जून 1996 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

ए. जी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन

अनुबंध

यूनिट योजना 1964 (यूएस-64) के प्रावधानों में संशोधन

(1) योजना के खंड 2 के पैरा (च) में "यूनिट पूंजी" शब्दों के बाद नीचे बताए गए शब्द शामिल किए जाते हैं :

"और इसमें, जहां संदर्भ में ऐसा अपेक्षित हो, इस योजना के संबंध में निर्मित प्रारक्षित खाते में जमा राशि का एक भाग पूंजी में परिणत करके या अन्यथा जारी बोनस यूनिट के रूप में एक यूनिट, शामिल है ।"

(2) नया खंड 9ख, योजना के प्रावधानों के खंड 9क के बाद शामिल किया जाता है ।

"9ख. बोनस यूनिटों का निर्गम

जैसा कि खंड 2(च) में उपबंधित है ट्रस्ट यूनिट धारकों को पूर्णतया प्रदत्त के रूप में जमा होने वाले और अधिक

अथवा अतिरिक्त यूनिट, प्रारक्षित को पूंजी में परिणत करके या अन्य रूप से जारी कर सकता है तथा उसके बाद ट्रस्ट पात्र यूनिटधारकों को ऐसे बोनस यूनिटों के संबंध में यूनिट प्रमाणपत्र उनके अनुरोध पर या अन्यथा जारी करेगा ।"

(3) नए खंड 15क एवं 15ख योजना के प्रावधानों में खंड 15(3) के बाद शामिल किए जाते हैं :

"15क. खंड 11, 12, 13, 14, 15 में जो भी समाविष्ट है उसके बावजूद, बोर्ड बोनस यूनिटों के संबंध में यूनिट प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय यूनिटधारक के अनुरोध पर ले सकता है अन्यथा नहीं ।

15ख. इस योजना में यूनिट प्रमाणपत्र से संबंधित प्रावधानों को बोनस यूनिटों के संदर्भ में भी लागू माना जाएगा ।"

(4) योजना के प्रावधानों के खंड 22(3) के अंत में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है :

"परन्तु यह कि किसी भी संबंधित वर्ष, जिसमें ट्रस्ट ने दस प्रतिशत से कम लाभांश घोषित न किया हुआ हो, यूनिट पूंजी पर, इस प्रकार कम हुई, उसी वर्ष में ऐसी आय के नब्बे प्रतिशत से कम के वितरण संबंधी अपेक्षा लागू नहीं होगी ।"

(5) नया खंड 23क, योजना के खंड 23 के अंत में शामिल किया जाता है :

"23क. पूंजीकरण

बोर्ड फिलहाल इस योजना से संबंधित किसी भी प्रारक्षित निधि में जमा कोई भी राशि या यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध कोई अन्य राशि पूंजी में परिणत कर सकता है और यह कि ऐसी राशि का इस प्रयोजन हेतु और इसमें नीचे दिए गए उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे यूनिटधारकों को लिए उपयोग या वितरण किया जाएगा जो इसके हकदार होते यदि इसे उनके द्वारा धारित यूनिटों पर और उसी अनुपात में आय द्वारा वितरित किया जाता ।

(2) उपरोक्त राशि का उपयोग, उपखंड (3) में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन, या तो यूनिटों में या जारी किए जाने वाले तथा आबंटित किए जाने वाले जमा किए गए पूर्णतया प्रदत्त यूनिटों की अदायगी में और ऐसे यूनिटधारकों के बीच पूर्वोक्त अनुपातों में किया जाएगा ।

(3) तद्नुसार, बोर्ड इस प्रकार आबंटन द्वारा पूंजीकृत की जाने वाली अपने द्वारा निर्धारित की गई राशि का विनियोग या उपयोग कर सकता है और पूर्णतया प्रदत्त यूनिटों को बोनस यूनिट के रूप में जारी कर सकता है तथा सामान्यतया इसे करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य और बातें कर सकता है ।"

दिनांक 24 सितम्बर 1996

सं. यूटी/डीबीडीएम/आर-152/एसपीडी 184/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाए गए आवास यूनिट योजना-1992 के प्रावधानों का संशोधन, जिसे 19-7-1996 को परिसंचरित करके अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए. जी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन

अनुबंध

आवास यूनिट योजना 1992 के प्रावधानों में संशोधन

1. "लाभांश" शीर्षक के अंतर्गत खण्ड 21 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

बोनस यूनिट

योजना के अंतर्गत कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा । योजना का उद्देश्य आय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए आवधिक रूप से बोनस यूनिट आबंटित करके मूल निवेश में वृद्धि करना है तथा इन यूनिटों को यूनिटधारक के यूनिटधारण खाते में जमा किया जाएगा ।

सं. यूटी/डीबीडीएम/आर 152/एसपीडी 51/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनायी गयी यूनिट योजना 1964 (यूएस' 64) के प्रावधानों में हुए संशोधन, जो दिनांक 18 जुलाई को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

ए. जी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन

अनुबंध

यूनिट योजना 1964 (यू एस 64) के प्रावधानों में संशोधन

1. योजना के प्रावधानों के खंड 2 के अंतर्गत विद्यमान उप खंड (सीसीए) के बाद निम्नलिखित उप खंड (सीसीएए) शामिल किया जाता है :

"(सीसीएए) "सूचीबद्ध" का तात्पर्य है ऐसे स्टाक एक्सचेंज में कारोबार करने के प्रयोजन से यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना जो फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत मान्य है ।"

2. योजना के प्रावधानों के खंड 2 के अंतर्गत विद्यमान उपखंड (सीसी) के बाद निम्नलिखित उपखंड (सीसीसी) शामिल किया जाता है :

"(सीसीसी) "कारोबार" का तात्पर्य किसी स्टाक एक्सचेंज के जरिए यूनिटों की खरीद अथवा बिक्री के व्यवहार से है ।"

3. योजना के प्रावधानों के खंड 4 के अंतर्गत विद्यमान उपखंड (5) के बाद निम्नलिखित उपखंड (6) शामिल किया जाता है :

"(6) कुछ भी प्रतिकूल होते हुए भी, यहां योजना सूचीबद्ध है, ऐसे स्टाक एक्सचेंज/एक्सचेंजों के जरिए योजना के अंतर्गत यूनिटों का अंतरण होने की दशा में, किसी एक या उत्तरजीवी आधार पर यूनिटों के अंतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।"

4. योजना के प्रावधानों के विद्यमान खंड 8 के बाद निम्नलिखित खंड 8 ए शामिल किया जाता है :

"8ए. यूनिटों का कारोबार

(क) यूनिट किसी भी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किए जाएंगे ।

(ख) अपनी धारिता का परिसमापन करने की इच्छा रखने वाला कोई भी यूनिट धारक कथित स्टाक एक्सचेंजों में यूनिटों का कारोबार कर सकता है ।

(ग) ट्रस्ट प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य प्रकार से उस मूल्य या उन मूल्यों का संकेत नहीं देगा जिस पर बाजार में यूनिट क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों । हालांकि, किसी कारोबार के दौरान स्टाक एक्सचेंजों पर जिन अंतिम मूल्य या मूल्यों पर यूनिट क्रय या विक्रय किए गए हों उन्हें प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा ।

(घ) बाजार से यूनिटों का क्रेता या तो स्वयं या किसी मान्य दलाल के जरिए अंतरण विलेख और संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट कार्यालय को प्रस्तुत करेगा ताकि यदि उसे उचित पाया जाए तो अंतरण को प्रभावी किया जा सके ।

(ङ) बाजार से किसी भी मूल्य पर यूनिटों का क्रय अथवा विक्रय यूनिटधारक या प्रख्यापित यूनिटधारक के जोखिम पर होगा ।"

दिनांक 30 सितम्बर 1996

सं. यूटी/डीवीडीएम/आर-155/एसपीडी 71/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए मासिक आय प्लान 1996 (3) का पेशकश दस्तावेज, जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत अधीन बनाई गई मासिक आय योजना 1996 (3) के संबंध में है, 26 जून, 1996 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए. जी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास और विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मासिक आय प्लान 1996 (3)

पेशकश (आफर) दस्तावेज

5 अगस्त 1996 से 18 सितम्बर 1996 तक पेशकश खुली रहेगी

मासिक आय प्लान 1996 (3) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, मासिक आय योजना 1996 (3) के संबंध में है ।

प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड) विनियम, 1993 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है ।

प्लान का उद्देश्य

यह एक आयोन्मुख प्लान है । प्लान का उद्देश्य या तो मासिक आधार पर नियमित आय प्रदान कर अथवा 5 वर्षों की अवधि तक संचित की गई आय को उपलब्ध करा कर निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है ।

विशिष्टताएं

* एक पांच वर्ष का प्लान है ।

* निवासी और अनिवासी वयस्क व्यक्तियों/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/अवयस्कों/हिन्दू अविभक्त परिवारों/न्यासों/समितियों/पंजीकृत सहकारी समितियों/अलाभकारी कम्पनियों सहित निगमित निकायों (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत) विदेशी निगमित निकायों (ओसीबी) को खुला है ।

* ट्रस्ट द्वारा पहले वर्ष के लिए न्यूनतम लक्षित लाभांश 15% की दर से (16.08% के प्रभावी प्रतिलाभ) प्रस्तावित है । इसे उत्तर दिनांकित मासिक वारण्टों के जरिए अदा किया जाएगा । उसके बाद के वर्षों के लिए लाभांश प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में घोषित किया जाएगा और मासिक आधार पर अदा किया जाएगा ।

* मार्च 1997 तक के लिए उत्तर दिनांकित मासिक लाभांश वारण्ट अग्रिम रूप से दिए जाएंगे ।

* मासिक लाभांश के स्थान पर आय को संचित करने का विकल्प भी है ।

* योजना एनएसई पर सूचीबद्ध की जाएगी ।

* 1 अक्तूबर 1999 से एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर पुनर्खरीद करने की अनुमति होगी ।

* निवेश का एक भाग इक्विटियों में होने से पूंजी-वृद्धि की संभावना ।

* लाभांश और पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां एनआरआई तथा ओसीबी के लिए पर्णतया प्रत्यावर्तनीय है जहां निवेश एनआरई खाते को नामे करके अथवा एफसीएनआर और जमाओं की राशि से चेक/ड्राफ्ट जारी करके विप्रेषण द्वारा किया जाता है ।

* पूंजी वृद्धि से पूंजीगत अभिलाभ और लाभांश पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एल एवं धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ ।

जोखिम के तत्व

* प्लान के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है ।

* पहले वर्ष यदि वास्तविक आय 15% प्र. व. न्यूनतम लक्षित लाभ का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, तो सदस्यों को उस हद तक यूनिट पूंजी का घाटा उठाना पड़ सकता है ।

* ट्रस्ट की पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है । इस प्लान के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है ।

* मासिक आय प्लान 1996 (3) केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है । निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले वे पेशकश की शर्तों का सावधानी पूर्व अध्ययन कर लें ।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

* ट्रस्ट 32 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 4 करोड़ 80 लाख से अधिक निवेशकों से लगभग 56,800 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है ।

ट्रस्ट द्वारा अब तक आरंभ किए हुए इकतीस मासिक आय प्लानों का कार्यनिष्पादन पृष्ठ संख्या 21 पर दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

यूटी आई की स्थापना

यूटी आई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी । इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया ।

यूटी आई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है ।

मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं । यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है ।

न्यासी मंडल

1. श्री जगदीश कपूर—अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ।
2. श्री आर वी गुप्ता—उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ।
3. श्री एस. एच. खान—अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ।
4. श्री एन एस सेखसरिया—प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेंट्स लि. ।
5. डा. अरविंद वीरमणि—सलाहकार, नीति निर्धारण, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ।
6. श्री पी आर. खन्ना—सनदी लेखाकार ।
7. श्री जे. एस. सालुंखे—अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम ।
8. श्री पी. जी. काकोडकर—अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक ।
9. श्री एन. वाघल—अध्यक्ष, आई सी आई सी आई लि. ।
10. श्री जे. वी शेट्टी—अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक ।
11. डा. पी. जे. नायर—कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ।

मासिक आय योजना 1996 (3) का ब्यौरा
[एम आई एस 96 (3)]

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना आरंभ :

(1) *यह योजना मासिक आय योजना 1996 (3) [एम आई एस 96 (3)] कही जाएगी ।*

(2) यह योजना पांच वर्ष अर्थात् 1 अक्तूबर, 1996 से 30 सितम्बर, 2001 तक की अवधि के लिए होगी ।

(3) यूनिटों की बिक्री 5 अगस्त, 1996 से 18 सितम्बर, 1996 तक 45 दिनों के लिए होगी ।

बशर्ते, यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं ।

2. परिभाषाएं

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) स्वीकृति तिथि का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट

को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो ।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की गयी हो और प्लान के खण्ड 3 के अंतर्गत आवेदन करता हो ।

(ङ) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है ।

(च) "सूचीबद्धता" का अर्थ एनएसई पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है ।

(छ) योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित किए गए हों ।

(ज) "मानसिक विकलांग व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति, जो ऐसी मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो ।

(झ) "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है । जैसा कि मूलतः अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, पीढ़ी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही दूर क्यों न हो, चाहे पितृ पक्ष या मातृपक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो ।

(ञ) "जारी समझे जाने वाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है ।

(ट) "विदेशी निगमित निकाय" (ओसीबी) के अंतर्गत विदेशी कम्पनियां, भागीदारी फर्म, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% फायदाप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप में से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो, शामिल हैं ।

(ठ) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है ।

(ड) "मान्यताप्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ वह शेयर बाजार है, जिसे फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ।

(ढ) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें।

(ण) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है ।

(त) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ।

(थ) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है ।

(द) "ट्रेडींग" का तात्पर्य यूनिटों के पहले आबंटन के बाद राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज के जरिए यूनिटों का खरीद अथवा बिक्री में व्यवहार से है ।

(ध) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपए के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है ।

(न) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है ।

(प) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है ।

(फ) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं ।

(ब) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं ।

इस योजना के अन्य उपबंध पृष्ठ सं. 12 से पृष्ठ सं. 17 में दिए गए हैं ।

मासिक आय योजना 1996 (3) [एम आई एस'96 (3)] के अंतर्गत बनाये गए मासिक आय प्लान 1996 (3) [एम आई पी '96 (3)] के ब्यौरे यहां नीचे दिए जाते हैं ।

1. परिभाषाएं :

शब्द (जो) प्लान में परिभाषित नहीं किये गये हैं तथा योजना और अधिनियम/विनियमों में परिभाषित किए गए हैं उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं ।

2. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपए होगा ।

3. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों और अनिवासियों द्वारा भी किये जा सकते हैं ।

निवासी :

(क) व्यक्ति, एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक । बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकता ।

(ग) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था, जिसमें अप्रतिसंहरणीय और लिखत द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल हैं ।

(घ) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई व्यक्ति ।

(ङ) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति ।

(च) पंजीकृत सहकारी समिति ।

(छ) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निर्दिष्ट अलाभकारी कम्पनी सहित अन्य निगमित निकाय लेकिन बैंक और कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत अन्य कम्पनियां शामिल नहीं हैं ।

(ज) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

अनिवासी द्वारा पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय आधार पर :

(क) अनिवासी वयस्क व्यक्ति या तो एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में ।

(ख) नाबालिग अनिवासी की ओर से पिता/माता/सौतेले माता-पिता/विधिक अभिभावक ।

(ग) अनिवासी हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(घ) अनिवासी कम्पनी/विदेशी निगमित निकाय जिनमें अनिवासी भारतीयों का स्वत्वाधिकार कम से कम 60% तक हो ।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किये जायेंगे ।

4. न्यूनतम निवेश राशि :

दोनों विकल्पों मासिक और संचयी के अंतर्गत आवेदन न्यूनतम 200 यूनिटों के लिए और उसके बाद 100 यूनिटों के गुणकों में किया जाएगा । कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

रु. 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे ।

5. एकत्र की जाने वाली न्यूनतम लक्ष्य राशि

योजना के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली लक्ष्य राशि 100 करोड़ रुपए होगी । अत्यभिदान, यदि कोई हो, तो उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा ।

यदि लक्ष्य राशि के 60 प्रतिशत का अभिदान नहीं हो तो, ट्रस्ट को आवेदक के खाते में देय चैक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा योजना के अंतर्गत संगृहीत पूरी राशि को यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से छः हफ्तों में या उसके पहले वापस करना होगा।

उक्त अनुबंध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री बन्द होने की तिथि से 6 सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा ।

6. खर्चों पर सीमा

योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 6% से अधिक नहीं होगा । योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.75
एजेंटों को कमीशन	1.50
रजिस्ट्रारों का प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
स्टाम्प शुल्क और अभिरक्षा शुल्क	0.50
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपए में से कम से कम 94 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा ।

आरम्भिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा । अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	1.00
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास आरक्षित निधि	0.10
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
अन्य व्यय	0.80
योग	3.00

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप में किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं । फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल प्रारंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान

साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर ही होगा । इसके अलावा प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान तथा कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान प्लान के साप्ताहिक औसत एनएवी के 1.25% से अधिक नहीं होगा ।

सेबी द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने सेबी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सेबी के विचाराधीन है, अतः शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां विनियमों/सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होंगी ।

7. भुगतान विधि :

(1) (1) किसी आवेदक द्वारा आवंटित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा । यदि आवेदन यूटीआई के कार्यालयों में जमा किये जाएं, तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किये जाएं जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन किया जाए ।

लेकिन, जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहें तो आवंटित यूनिटों के लिये आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिये देय बैंक प्रभार घटाकर भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट को भेजते हुए ऐसा कर सकता है । उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रु. 10,000/- है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रु. 20/- है। इस तरह, ड्राफ्ट रु. 9,980/- (रु. 10,000/- में से रु. 20/- घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है । ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरम्भिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा ।

किन्तु जहां ट्रस्ट का कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही भरना होगा ।

(2) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए, तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो ।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो । लेकिन, आवेदन ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे गए समय के भीतर ट्रस्ट या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए ।

यदि आवंटित यूनिट के लिए भुगतान की गई राशि आवंटित यूनिटों के लिए देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिट जारी किए जाएंगे, जितने इस योजना के अंतर्गत लिए जा सकेंगे । उसको देय शेष राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से उसकी कुल पर उसे वापस कर दी जाएगी ।

(3) प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि :

एन आर आई/ओ सी बी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा । इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है ।

(क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट

(ख) विदेशी बैंकों/वित्तमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में रुपये में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्ककर्ता बैंकों पर आहरित हो ।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम रखे गए एन आर ई खाते पर आहरित चेक द्वारा ।

(घ) एफ सी एन आर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा ।

इसके अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है । यूनिटों का निवेश रुपये में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो ।

यदि कोई कमी पड़ती है, तो उसे एन आर आई निवेशक द्वारा विप्रेषण किया जाएगा । यदि कोई अधिशेष होगा तो उस वित्तमय को प्रभावी दर पर ऐसे विप्रेषण के लिए बैंक प्रभार की कटौती करने के बाद एन आर आई निवेशकों को वापस विप्रेषित कर दिया जाएगा । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एन आर आई/ओ सी बी निवेशक उपयुक्त (क) और (ग) में उल्लेखित विधियों के द्वारा अदायगी करें ।

4. प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि :

जहां एन आर ओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों का खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होंगी ।

तथापि भा. रि. बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए. डी. (एम. ए. श्रृंखला) सं. 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होगी ।

जबकि इन मामलों में यूटीआई-एनआरओ खाते में जमा करने के लिए रुपये में अदायगी करेगा निवेशकों को यह सूचना दी जाती है कि यदि वे यूनिटों पर लाभांश का प्रदत्त प्राप्त करना चाहते हों तो अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें ।

(2) (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके । योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ख) अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किये जा सकते हैं :

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी ।

अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर राशि वापस की जाएगी ।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक को योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे न्यासों से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में ट्रस्ट विलेख, प्रबंध समिति का यूनिटें खरीदने संबंधी संकल्प, नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाणपत्र आदि जो निवेशक की श्रेणी पर निर्भर करेगा। ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाले व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी।

ट्रस्ट द्वारा यूनिट की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। बिक्री-संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र सदस्य के विकल्प पर आवेदक को सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र (विपणन योग्य लाट में) जारी करेगा। ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था और निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पात्र संस्था/निगमित निकाय के नाम में होगी। प्रेषित सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलीवरी या डिलीवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 10 हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र भेजने का प्रयास करेगा।

9. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) अवरुद्ध अवधि तीन वर्ष अर्थात् 30 सितम्बर, 1999 तक की होगी। योजना और उसके अंतर्गत बनाए प्लान के अंतर्गत पहले तीन वर्षों के दौरान दावों के निपटान के मामले छोड़कर कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी।

यूनिटों के एनएवी पर आधारित पुनर्खरीद मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) प्रत्येक माह में एक बार घोषित किया जाएगा।

(2) मासिक आय विकल्प : ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिट धारण के दूसरे वर्ष से पुनर्खरीद के लिए यूनिटों की पेशकश करेगा। पुनर्खरीद पूर्ववर्ती एनएवी आधारित मूल्य पर की जाएगी। पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट को प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार, जो प्रति यूनिट एनएवी के 5% से अधिक न हो, की कटौती करने की स्वतंत्रता होगी। पुनर्खरीद सभी सदस्यों द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और अन्य व्यक्ति, जिसका नाम, पेशा और पता दिया जाए, के साक्ष्य के साथ सादे कागज पर अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना/विधिवत रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रभावी होगी।

100 यूनिट के गुणकों में यूनिटों के पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते न्यूनतम 200 यूनिट धारित हों।

पुनर्खरीद के लिए आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद माह तक के बचे हुए शेष अदत्त आय वितरण वारंट ट्रस्ट को सौंपने होंगे।

पूर्ण रूप से पुनर्खरीद की स्थिति में, ट्रस्ट पुनर्खरीद के अनुरोध पत्र सहित सदस्यता सूचना/विधिवत् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर भावी महीनों के लिए यूनिट पर आय वितरण का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही पुनर्खरीद की अदायगी पर कोई ब्याज देय होगा।

प्राप्त सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारंट, यदि हों, निरस्तीकरण के लिए ट्रस्ट द्वारा रख लिए जाएंगे।

आंशिक पुनर्खरीद की स्थिति में अपने पास रखे जाने वाले यूनिटों की संख्या पर निर्भर करते हुए सदस्य को नयी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र और स्वीकृति माह सहित शेष अवधि के लिए आय वितरण वारंटों का नया सेट जारी किया जाएगा। पुनर्खरीद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(3) पूर्ववर्ती उप-खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद करते समय, सदस्य द्वारा उस समय तक यूनिट आय-वितरण वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने की स्थिति में ट्रस्ट ऐसे आय वितरण वारंटों की भविष्य में देय राशि पुनर्खरीद मूल्य में से घटाकर सदस्य को शेष राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा। ट्रस्ट को सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद का अनुरोध पत्र/यथाविधि रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने के बाद तथा पूर्ण पुनर्खरीद की स्थिति में सदस्य को स्वीकृति माह के आय वितरण सहित भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जाएगा और ऐसे बकाया आय वितरण की राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा।

(4) मासिक आधार पर प्रदत्त पूरे वर्ष के आय वितरण के हकदार बनने के लिए सदस्य को यूनिट पूरा वर्ष तक रखने होंगे। वर्ष के किसी भाग के लिए यूनिट रखने वाला सदस्य केवल धारण अवधि के लिए, जो हमेशा पूर्ण आगामी कैलेण्डर मास की होगी, आनुपातिक आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और माह के भाग को, चाहे वह कितने भी दिन का क्यों न हो, हटा छोड़ दिया जाएगा।

(5) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक प्रतिनिधि या नामिती द्वारा सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र, पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र और बकाया अदत्त आय वितरण वारंट ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित आवश्यकता पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखण्ड (2) और (3) में यथावर्णित रूप में यूनिट की पुनर्खरीद करेगा और दावे की निपटान तिथि तक के बकाया मासिक आय वितरण का आनुपातिक भुगतान करेगा।

(6) ट्रस्ट द्वारा कटौती, यदि हो, करने के बाद पुनः खरीदे गए यूनिटों के लिए भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में यथाविनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चैक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा ।

(7) संचयी विकल्प :

संचयी विकल्प के अंतर्गत जारी यूनिटों के मामले में ट्रस्ट योजना और उसके अन्तर्गत जारी यूनिटों के मामले में यूनिट धारण के चौथे वर्ष से यूनिटों के पुनर्खरीद की पेशकश करेगा । पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एनएवी आधार पर होगा ।

पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट प्रति यूनिट एनएवी के 5% तक प्रशासनीय व्यय और अन्य प्रभार काटने के लिए स्वतंत्र होगा ।

पुनर्खरीद की अनुमति सौ यूनिटों के गुणकों में होगी, बशर्ते न्यूनतम धारिता 200 यूनिटों की हो ।

(8) पुनर्खरीद किए गए यूनिटों को पुनः जारी नहीं किया जाएगा ।

(9) पुनर्खरीद मूल्य के परिकलन का आधार यथासमय सेबी द्वारा निर्धारित विनियमों, दिशा-निर्देशों के अधीन होगा ।

10. यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(1) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस नहीं हो; और

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे की वार्षिक बन्दी (ट्रस्ट द्वारा यथानिश्चित) के संबंध में सदस्यों की पंजी बन्द हो ।

स्पष्टीकरण :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही

(2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा ।

11. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट यथाशीघ्र इसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा ।

12. सूचीबद्धता :

1. योजना के अंतर्गत जारी यूनिट राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किए जाएंगे । सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद सेबी (म्युचुअल फंड) अधिनियम, 1993 के विनियम 30 के अनुसार स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा ।

2. सदस्य जो अपनी धारिता का नकदीकरण करने का इच्छुक हो वह एनएसई के जरिए जिस पर योजना के यूनिट सूचीबद्ध हुए हैं, यूनिटों की बिक्री कर सकता है ।

13. सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र :

ट्रस्ट आवेदक को सदस्य के विकल्प पर सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाण पत्र (विपणन योग्य लाट में) जारी करेगा ।

अनिवासी भारतीय सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चयन कर सकते हैं :

(क) आवेदक के भारतीय/विदेशी पते पर या

(ख) आवेदक के भारत में स्थित रिश्तेदार के पते पर

14. सदस्यता सूचना तैयार करने की रीति :

सदस्यता सूचना और यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा निर्णीत रूप के अनुसार होंगे ।

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा, ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा । ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर, स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया गया होगा । जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा । इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र वैध और बाध्यकारी होगा भले ही उसके जारी होने से पहले कोई व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो ।

किन्तु यदि इस रूप में तैयार किए गए यूनिट प्रमाण पत्र में किसी प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है जो प्रमाणपत्र जारी होने के समय मृत है तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा सकता है । इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होंगे ।

15. सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र का विनिमय और सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

सदस्यता सूचना

योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में सदस्य उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे, जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाए जाएंगे/अपेक्षित होंगे ।

यूनिट प्रमाणपत्र

(1) यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके यूनिटों की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कि कटे-फटे, विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र की थी। यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाता है, चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

कोई नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक—

(1) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के फट-फटे होने, टूटने, विरूपित होने, खो जाने, चुरा लिए जाने या नष्ट हो जाने के संतोष जनक साक्ष्य ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं करता ।

(2) तथ्यों को जांच के संबंध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं करता ।

(3) फटे-फटे या घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाण-पत्र के मामले में), ट्रस्ट को ऐसे फटे-फटे, घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित नहीं करता और

(4) ट्रस्ट को आवश्यक क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता ।

इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत ट्रस्ट सद्भावना के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा ।

(2) इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट आवेदक को जारी किए जाने वाले प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर पांच रुपए का भुगतान करने के लिए कह सकता है । साथ ही ट्रस्ट के मतानुसार जिन्हीं प्रभारों या करों के लिए पर्याप्त धन राशि या डाक पंजीकरण खर्च सहित जो उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने और प्रेषित करने के संबंध में देय हो, उसे भी जमा करेगा ।

उपरोक्त के बावजूद, योजना के अंतर्गत सदस्य को ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करना होगा तथा ऐसे दस्तावेज निष्पादित करने होंगे जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा प्रतिपादित/अपेक्षित होंगे ।

15. सदस्यों की पंजी :

सदस्यों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे;

(क) सदस्यों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्रों की संख्या और हरेक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस तिथि को ऐसा व्यक्ति अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया ।

(2) सदस्य की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी । ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा । किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग हो, के लाभ के लिए यूनिटों हेतु आवेदन के रूप में होने वाले परिवर्तन की प्रविष्टि पंजी में तदनुसार की जाएगी ।

(3) केवल पंजी बंदी को छोड़कर, इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कामकाज के समय यों दौरान (ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) सदस्य के निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी ।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बन्द रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 45 दिन से अधिक समय के लिए बन्द नहीं रहेगी । ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बन्दी की सूचना देगा ।

(5) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रख-नात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी ।

17. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि के लाभ के लिए किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण :

(1) पात्र संस्थाएं निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों सहित) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएगी ।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है । अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा ।

आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(3) जहां किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिये किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है । ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के सम्बंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा ।

(4) पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उप-विधियां आदि प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी ।

18. ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिये सदस्य द्वारा रसीद :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के संबंध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिये उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

19. सदस्यों द्वारा नामांकन :

(1) सदस्य विनियमों में उपबंधित सीमा तक नामांकन करने या निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं । हालांकि, यूनिटों के अंतरण की स्थिति में यह सुविधा अंतरिती को उपलब्ध नहीं होगी ।

(2) सदस्यों को, जो नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था, समिति निगमित निकाय और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा ।

रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनआरआई नामित किए जा सकते हैं ।

20. सदस्य की मृत्यु :

(1) यूनिट के संयुक्त सदस्यों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा जीवित व्यक्ति को ही योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी ।

लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिती को यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी ।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन नहीं किये जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है ।

(4) किसी सदस्य/सदस्यों की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार हो जाने वाले व्यक्ति को, ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिये पर्याप्त समझे गये साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बाद तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा ।

(5) यदि एकमात्र नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है तो उक्त नामिती/विधिक उत्तराधिकारी को उसकी इच्छा के अनुसार मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने और पंजीकृत सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाएगी तथा जितने यूनिट वह रखना चाहेगा, न्यूनतम यूनिट रखने की शर्तों पर उतने यूनिटों का उल्लेख करते हुए उसके नाम से सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(6) जिस आवेदक ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये यूनिटों हेतु आवेदन किया है, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करेगा, मानो वही आवेदक हो । इसके अलावा आवेदक या वैकल्पिक आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जैसे भी मामला हो, मौजूदा आवेदक अपने वैकल्पिक आवेदक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

(7) अवरुद्ध अवधि में एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा और संबंधित खण्ड में दिये गये ब्यौरे के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिती को भुगतान करेगा ।

21. आय वितरण :

सदस्य को मासिक आय विकल्प या संचयी विकल्प में भाग लेने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा । यह योजना में निवेश के समय किया जाएगा और एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा । आवेदक द्वारा प्रयोग किए गए किसी निर्दिष्ट विकल्प के अभाव में उसे मासिक आय विकल्प समझा जाएगा ।

(1) मासिक आय विकल्प :

प्लान में लाभांश घोषित करने से पहले ट्रस्ट निवेशों पर मूल्यह्रास लगाएगा और अपने लेखा परीक्षकों की संतुष्टि करते हुए संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान भी करेगा और लेखों की टिप्पणियों में निवेशों के मूल्यांकन की पद्धति भी सूचित करेगा ।

ट्रस्ट न्यूनतम 15% प्रति वर्ष की दर से लक्षित लाभांश पहले वर्ष के लिए (30 सितम्बर 1997 तक) उत्तर दिनांकित मासिक वारंटों द्वारा अदा करने का प्रस्ताव करता है ।

निवेश उद्देश्यों और प्लान की प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिनमें योजना की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना को पहले वर्ष में निवेशकों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम लक्षित लाभांश अदा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो सकेगी । इस न्यूनतम लक्षित प्रतिलाभ को नियत आय वाले निवेशों के लिए प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है जिनमें प्लान के अंतर्गत किए गए निवेशों का अधिकांश भाग लगाया जाएगा अर्थात

कार्पोरेट डिबेंचर 18%

प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए लाभांश दर योजना की आय और संबंधित घटकों पर निर्भर करेगी और प्रत्येक वर्ष के मार्च माह तक घोषित की जाएगी और मासिक आधार पर अदा किया जाएगा । लाभांश दर घोषित किए जाने की तिथि से 42 दिनों के भीतर ट्रस्ट आय वितरण वारंट प्रेषित करेगा ।

(2) प्रत्येक माह के लिये आय वितरण अगले महीने के प्रारम्भ में देय होगा और पर्वभुगतान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा भुगतान ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर सममूल्य पर देय आय वितरण वारंट या किसी विलेख के माध्यम से किया जाएगा ।

ऐसे यूनिट जिनकी बिक्री किसी महीने की 15 तारीख को या उसके पहले ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन के अंतर्गत की जा चुकी है पूरे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे और जो यूनिट महीने की 15 तारीख के बाद बेचे गए हों वे उस आधे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे ।

लाभांश की हकदारी निम्न रूप से होगी :

05-08-1996 से 15-08-1996—पूरे महीने का लाभांश
16-08-1996 से 31-08-1996—आधे महीने का लाभांश
01-09-1996 से 15-09-1996—पूरे महीने का लाभांश
16-09-1996 से 18-09-1996—आधे महीने का लाभांश

(3) निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए 31 दिसम्बर, 1996 तक की अवधि के लिए आय वितरण दिनांक 1 नवम्बर, 1996 के एक आय वितरण वारंट के द्वारा किया जाएगा और जनवरी 97 से मार्च 97 अवधि के लिए 3 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारंट जारी किए जाएंगे । कर-कानूनों में हुए परिवर्तनों पर निर्भर करते हुए माह अप्रैल 97 से सितम्बर 97 के लिए आय वितरण वारंट माह मार्च/अप्रैल 97 में जारी किए जाएंगे । उसके बाद के वर्षों के लिए लाभांश की घोषणा और वारंटों का प्रेषण निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा :

अवधि	लाभांश की घोषणा	वारंटों का प्रेषण
01.10.1997 से 31.03.1998	मार्च 1997 तक	मार्च-अप्रैल 1997 तक
01.04.1998 से 31.03.1999	मार्च 1998 तक	मार्च-अप्रैल 1998 तक
01.04.1999 से 31.03.2000	मार्च 1999 तक	मार्च-अप्रैल 1999 तक
01.04.2000 से 31.03.2001	मार्च 2000 तक	मार्च-अप्रैल 2000 तक
01.04.2001 से 30.09.2001	मार्च 2001 तक	मार्च-अप्रैल 2001 तक

माह मार्च के लिए आय वितरण वारंट पर तारीख प्रत्येक वर्ष 31 मार्च होगी ।

(4) उप खण्ड (3) के उपबंधों के अधीन मासिक आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिए वारन्ट सदस्य को अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे ।

वारन्ट को इस प्रकार दिनांकित किया जाएगा कि सदस्य भुगतान के लिए परिपक्व होने पर प्रत्येक वारन्ट को भुना सके । हरेक वारन्ट तीन महीने के लिए वैध रहेगा ।

वैध अवधि पूरी होने के पहले सदस्य के पास कोई वारन्ट नहीं पहुंचने या उनके पुराने हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा ।

(5) पुनर्खरीद की स्थिति में जारी वारन्टों को अभ्यर्पित नहीं करने पर सदस्य अगले महीने देय और परिपक्वता तिथि को सदस्य की अभिरक्षा में शेष वारन्टों को भुनाने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारन्ट की राशि पुनर्खरीद की राशि में काट ली जाएगी ।

(6) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, यदि एकमात्र नामिति/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है और आगे भी यूनिट रखना चाहता है, तो ऐसा एकमात्र नामिति/विधिक उत्तराधिकारी आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी वारन्ट वापस करने के लिए बाध्य होगा ।

तथापि आगे यूनिट रखने के इच्छुक नामिति/विधिक उत्तराधिकारी मृत सदस्य के पक्ष में पहले से जारी वारन्ट को सुधार करके नये प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में करने में लगने वाले समय के लिए कोई ब्याज या मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(7) किसी आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जहां मानसिक रूप से विकलांग किसी व्यक्ति के लाभ के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया जाए, वहां वैकल्पिक आवेदक को आवश्यक सुधार के लिये भावी महीनों के न भनाए हुए सभी आय वितरण वारन्ट वापस करने होंगे । लेकिन, ऐसा वैकल्पिक आवेदक मृत आवेदक के पक्ष में पहले से जारी वारन्ट को सुधार करके नये प्रविष्ट आवेदक के पक्ष में करने में लगने वाले समय के लिये कोई ब्याज या और मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(8) पूर्ववर्ती उपखण्ड में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद यथास्थिति, संबंधी से पूर्व अनुमति लेकर तिमाही, छःमाही या वार्षिक आधार पर आय वितरण करने का, चाहे व्यय औचित्य सदस्यों के हित या अन्य परिस्थितियों के कारण ट्रस्ट के लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाए, ट्रस्ट का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

ऐसी स्थिति में ट्रस्ट अंग्रेजी भाषा के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा सदस्यों को सूचित करेगा । ट्रस्ट द्वारा ऐसी सूचना देने के बाद किसी भी सदस्य को मासिक आधार पर आय वितरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

(9) संबंधी विकल्प :

संबंधी विकल्प के अंतर्गत आय वितरण नहीं किया जाएगा । निवेश तिथि पर निर्भर करते हुए 30 सितम्बर, 1996 तक प्राप्त आय, तीन दशमलव स्थानों तक अतिरिक्त यूनिटों में परिवर्तित की जाएगी और सदस्यों को जारी किया जाएगा । 1 अक्तूबर, 1996 से अर्जित आय का पुनर्निवेश किया जाएगा और उसे शुद्ध आस्ति मूल्य में दर्शाया जाएगा ।

आय वितरण वारंटों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें । तब आय वितरण वारन्ट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे । सदस्य कथित बैंक में अपने खाते में जमा (क्रेडिट) करने हेतु उस आय वितरण वारन्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि बैंक संबंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारन्ट सदस्य के नाम से जारी किया जाएगा ।

अनिवासी भारतीय निवेशक को आय वितरण

प्लान के अंतर्गत लाभांश मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा किया जाएगा । आय वितरण वारंटों को प्राप्त करने के लिए एनआरआई निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चयन कर सकते हैं :

(1) वारंट निवेशक के नाम जारी किया जा सकता है तथा निवेशक के खाते में जमा करने के लिए उसके किसी

ऐसे रिश्तेदार को भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी हो । अथवा

(2) ड्राफ्ट किसी ऐसे रिश्तेदार के नाम जारी किया जा सकता है जो भारत का निवासी हो तथा उसे भेजा जा सकता है ताकि वह अपने खाते में जमा कर सके ।

मासिक आय योजना 1996(3) [एमआईएस '96(3)] का ब्यौरा जारी

(3) इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(क) शेयरों और डिबेंचरों में सूचीबद्ध निवेश जो मूल्यांकन की तारीख से तीन माह पहले तक उधृत न हुए हों तो उन्हें अनोधृत निवेश माना जाएगा ।

(ख) उधृत निवेशों के मामले में, मूल्यांकन दर मूल्यांकन की तारीख पर बाजार दर होगी या यदि मूल्यांकन की तारीख पर बाजार दर उपलब्ध न हो तो एकदम हाल की उपलब्ध दर होगी जो मूल्यांकन की तारीख से पूर्व तीन माह की अवधि के भीतर हो ।

(ग) निवेश के मूल्य में मूल्य वृद्धि/मूल्यह्रास निर्धारित करने के लिए निवेश की कुल लागत की तुलना कुल बाजार मूल्य के साथ की जाती है । निवेश का बाजार मूल्य निकालने के लिए :

(1) उधृत इक्विटी शेयर जिनमें अवरुद्ध अवधि वाले शेयर/अधिमान शेयर शामिल हों, को मूल्यांकन दर पर लिया जाता है ।

(2) उधृत डिबेंचर और बाण्ड मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं जिसमें संचयी ब्याज उधृत होने के मामले में पिछली ब्याज की नियत तारीख से उधृत होने की तारीख तक ब्याज तत्व के लिए घट्टाकृत किया जाता है ।

(3) उधृत वारंट मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं ।

(4) अनोधृत इक्विटी/अधिमान शेयर (जो सूचीबद्ध हैं किन्तु अनोधृत माने जाते हैं, के सहित) को लागत पर लिया जाता है ।

(5) अनोधृत डिबेंचरों और बाण्डों, प्रतिभूत अंतरणीय पत्रों और आस्तिजन्य अंतरणीय पत्रों का मूल्यन परिपक्वता प्रतिफल (वाईएमटी) आधार पर किया जाएगा।

(6) अनोधृत वारंट, संबंधित शेयरों के मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं जो लाभांश तत्वों के लिए तदनुसार यदि हो, तथा देय अर्जन लागत से कम हो । जहां देय अर्जन लागत, बाजार मूल्य से अधिक हो, ऐसे मामले में वारंट का मूल्य 'शून्य' लिया जाता है ।

(7) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड जहां संविभक्त बाजार भाव उपलब्ध नहीं हैं वहां परिवर्तनीय भाग का बाजार मूल्य मूल्यांकन दर पर लिया जाता है जो संबंधित इक्विटी शेयर को लागू हो तथा लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए समायोजित हो । ऐसे डिबेंचरों और बाण्डों के शेष अपरिवर्तनीय भाग को उपरोक्त (5) के अनुसार लिया जाता है । जहां डिबेंचरों और बाण्डों के परिवर्तनीय भाग के संदर्भ में परिवर्तन की शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख न हो वहां उसे लागत पर लिया जाता है ।

(8) मुद्रा बाजार की बाध्यताओं को वही मूल्य पर लिया जाता है ।

(9) सरकारी प्रतिभूतियों/प्रमाणपत्रों का मूल्यन परिपक्वता प्रतिफल (वाईएमटी) आधार पर किया जाएगा ।

(10) जहां परिवर्तन की शर्तें ज्ञात हों, वहां शेयरों/डिबेंचरों के परिवर्तनीय भाग तथा बांडों के लिए राइट्स की हकदारी मूल्यांकन दर पर ली जाती है जो संबंधित इक्विटी शेयरों के लिए लागू हो तथा लाभांश तत्व, यदि हो, हेतु घट्टाकृत हो । ऐसे डिबेंचरों और बांडों के शेष अपरिवर्तनीय भाग को उपरोक्त (5) के अनुसार लिया जाता है ।

आस्तियों का मूल्यांकन, एनएवी, पुनर्खरीद मूल्य का अभिकलन तथा उनके प्रकटीकरण की आवृत्ति सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम के प्रावधानों/दिशानिर्देशों/समय-समय पर सेबी द्वारा जारी निदेशों के अनुसार होगी ।

4. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपबंधों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना की एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा । योजना का एनएवी मासिक आय विकल्प और संचयी विकल्प के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा । प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा । इस एनएवी को (पूर्ववर्ती आधार पर) कम से कम 2 दैनिक समाचार पत्रों में प्रत्येक माह में एक बार प्रकाशित किया जाएगा या सेबी द्वारा अनुमोदित अंतराल में प्रकाशित किया जाएगा । आस्तियों के मूल्यांकन की विधि और शुद्ध आस्ति मूल्य का मूल्यांकन सेबी द्वारा यथासमय निर्धारित विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होगा ।

पुनर्खरीद मूल्य यूनिटों के एनएवी आधारित मूल्य पर (पूर्ववर्ती आधार पर) होगा और प्रत्येक माह में एक बार प्रकाशित किया जाएगा ।

5. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

(1) जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़ कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

(2) जब कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिये आवेदन करता है और ट्रस्ट द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है तो यह नहीं माना जाएगा कि ट्रस्ट ने किसी विश्वास को ध्यान में रखा है । ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत सभी प्रयोजनों के लिए आवेदक या आवेदक की मृत्यु होने पर आवेदन पत्र में वैकल्पिक आवेदक के रूप में उल्लिखित व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा ।

6. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरणीय/गिरवी रखे जाने योग्य/समनुदेशीय हैं :

(क) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाण-पत्र (सदस्य सूचना नहीं) परक्राम्य है और जैसा कि इस योजना के प्रावधानों के खण्ड 3 में उल्लेख किया गया है इसे व्यक्तिगत, व्यक्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है ।

(ख) यूनिटधारण करने की क्षमता रखनेवाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा । किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा ।

(ग) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण दस्तावेज और अंतरण माह सहित और तक अनभुनाए, गए वारंट (मासिक आय विकल्प के मामले में) तथा योजना द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

(घ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे ।

(ङ) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्ट्रार में दाखिल करने तक अंतरण कर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा ।

(च) अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे ।

(छ) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो, नष्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरूरी समझें, को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे ।

(ज) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे ।

(झ) अंतरण को मान्यता देने तथा पंजीकृत करने वाले रजिस्ट्रार, उक्त अंतरण एवं प्रमाणपत्रों तथा वारंटों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र और आय वितरण वारंट (मासिक आय विकल्प के मामले में) अंतरिती को जारी करेंगे ।

(ञ) यदि कोई अंतरिती अधिकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर रजिस्ट्रार ऐसे साक्ष्य जिसे पर्याप्त समझे, के प्रस्तुतीकरण के अधीन अंतरण प्रभावी करेंगे ।

(ट) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र डाकिस करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को लाभांश वारंट, यदि कोई हो, सहित यूनिट प्रमाणपत्र अंतरण संबंधी सभी लिखतों के साथ वापस करेगा।

7. निवेश उद्देश्य और नीतियां :

योजना का निवेश उद्देश्य और इसकी नीतियां मुख्यतः ग्राहक को नियमित मासिक आय उपलब्ध कराना तथा योजना की परिपक्वता पर ग्राहक की पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी है ।

योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारंभिक परिचालन पूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः निम्न रूप में निवेश किया जाएगा :

(1) निधियों का कम से कम 80% नियत आय प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा । निवेश का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा ।

(2) निधियों का 20% इक्विटी, इक्विटी संबंधी लिखतों में निवेश किया जाएगा । जोखिम तत्व इक्विटी निवेश में उच्च होगा ।

पर्वोक्त के बावजद मद्रा बाजार लिखतों में निवेश का अनुपात इस संबंध में सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है ।

(3) सभी ऋण लिखत जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाना है उनके निवेश दर्जे का निर्धारण सीआरआईएस-आईएल/आईसीआरए/सीएआरई या समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा किया जाएगा बशर्ते यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा ।

(4) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिये जाएंगे ।

(5) निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों और अन्य अनोधत ऋण लिखतों के जरिए किया गया निवेश योजना की कुल आस्तियों के 40% से अधिक नहीं होगा ।

(6) एक योजना अपने निकाय का 5% से अधिक किसी एक कम्पनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी ।

(7) इस योजना सहित सभी योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक किसी एक कम्पनी के शेयरों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा ।

(8) इस योजना की निधियों सहित सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक किसी एक उद्योग के शेयरों, डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा । बशर्ते यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उद्योगों में निवेशों के लिए जारी की गई है और उस आशय की घोषणा पेशकश पत्र में की गई है ।

(9) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पाट आधार पर किए गए हों ।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं ।

(ग) असूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

(10) यह योजना यूटीआई की किसी अन्य योजना/प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे उधार नहीं देगी ।

(11) यह योजना अपने निवेशों के वित्तपोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी ।

8. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके । इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों के लिए भी किया जा सकता है ।

9. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

10. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट सेबी को विधिवत् रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और लाभ-हानि लेखा अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिनका सूचित किया जाना आवश्यक हो । ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

सेबी द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने सेबी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सेबी के विचाराधीन है । अत: सेबी द्वारा जारी विनियमों/दिशानिर्देशों पर निर्भर करते हुए शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां परिवर्तन के अधीन होंगी ।

11. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किये गये परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी । किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा ।

12. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :

(क) प्लान 30-09-2001 को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा, सदस्यों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी ।

निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । फिर भी, ट्रस्ट सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में सदस्यों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरम्भ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके ।

(ख) ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :—

(1) प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 30 सितम्बर, 2001 को अथवा 5 वर्ष के आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो ।

(2) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या

(3) योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(4) सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे ।

(ग) जहां उपर्युक्त खण्ड (ख) के अनुसरण में योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और बम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी ।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट :—

(1) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रिया-कलाप नहीं करेगा ।

(2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा ।

(3) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(च) (1) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए खण्ड (च) (1) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त पर, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय ली गई तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई योजना का व्यय, यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भेजेगा ।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, संबंधी [म्यूचुअल फंड] विनियम 1993 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे ।

(झ) खण्ड 12 (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना/विधिवत रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पुनर्खरीद के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे ।

(ट) अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद/परिपक्वता राशि निवेश के मूल पर निर्भर करते हुए निम्नानुसार विप्रेषित की जाएगी ।

(1) जब यूनिटों की खरीद विदेश से विप्रेषित विदेशी मुद्रा से की गई हो अथवा सदस्य की एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई हो अथवा सदस्य के भारत में स्थित अनिवासी (अन्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो प्राप्तियां, सदस्य को विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की जा सकती है ।

(2) जब यूनिटों की खरीद सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में धारित निधियों में की गई हो तो परिपक्वता चेक भारत में निवेशक के रिश्तेदार को प्रेषित किया जाएगा ।

13. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होना चाहिए तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा ।

इसके अंतर्गत दिये योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं ।

14. उपबंधों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में सेबी को सूचित करते हुए ढील दे सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

पेशकश दस्तावेज में कोई परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा ।

15. योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान सदस्यों के लिये बाध्यकारी होगा :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिये इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह इसके लिए सहमत हो कि योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिये बाध्य हो ।

16. सदस्यों को लाभ

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान को समाप्ति के समय पूंजी, प्रारंभिक निधि और अधिकोष के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिये यूनिट के धारक रहे हों।

स्रोत पर कर की कटौती :

निवासी

वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार धारा 194के के अधीन ट्रस्ट द्वारा इस प्लान के अंतर्गत व्यक्तिगत सदस्यों को देय आय पर 15% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी बशर्ते वित्तीय वर्ष के दौरान यह आय रु. 10,000/- से अधिक हो।

इसी प्रकार हिन्दू अविभक्त परिवारों (एचयूएफ) को देय आय से स्रोत पर 15% की दर से कर की कटौती की जाएगी यदि यह आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 10,000/- से अधिक हो।

अनिवासी

वित्त अधिनियम, 1995 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196ए को अनिवासी भारतीय द्वारा यूटीआई की किसी भी योजना के यूनिटों के संदर्भ में प्राप्त आय पर 20% की दर से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने हेतु प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिन्हें उन्होंने अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी करके अर्जित किया हो।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, द्वारा जारी दिनांक 24 जनवरी, 1996 के परिपत्र सं. 734 एफ सं. 500/4/96-एफटीडी के अनुसार मॉरीशस में रहने वाले अनिवासी यूनिट धारकों को दोहरे कराधान से बचाव हेतु, जहां निधि का स्रोत एनआरओ है, स्रोत पर 15% की रियायती दर से कर कटौती की जाएगी।

कर कटौती नहीं :

निवासी

निवासी व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त परिवार जो स्रोत पर कर की कटौती के बिना आय चाहते हैं उन्हें ट्रस्ट को लिखित रूप से निर्धारित फार्म सं. 15 एच पर दो प्रतियों में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे इस आशय की निर्धारित रीति से सत्यापित किया जाना चाहिए कि उसकी गत वर्ष की अनुमानित कुल आय पर कर "शून्य" होगा।

स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने संबंधी निर्धारित फार्म आवेदन पत्र के साथ तथा उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आय वितरण वारंटों के भेजे जाने के कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ऐसा न करने पर प्रचलित कराधान कानूनों के अनुसार कर कटौती की जाएगी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10(23एए) अथवा 10(23सी) के अंतर्गत आने वाले पात्र ट्रस्टों द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रोफार्मा में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

अनिवासी

अनिवासियों के मामले में, यदि यूनिटों की खरीद सीधे विदेशी मुद्रा के विप्रेषण के जरिए अथवा भारत में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते के जरिए अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई है तो ऐसे यूनिटों से प्राप्त आय पूर्णतया आयकर से मुक्त है।

उपर्युक्त मामले में यूटीआई स्रोत पर कर की कटौती नहीं करेगा, भले ही लाभांश की राशि कितनी भी हो।

कर रियायतें

प्लान के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा। वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार "एमआईपी-96 (3)" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी निवासियों और अनिवासियों [यदि यूनिटों की खरीद अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी के जरिए की गई हो] को यूनिटों से प्राप्त आय पर आयकर तथा लाभांश द्वारा व्यक्तियों एवं एचयूएफ को हुई आय कर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80एल के अंतर्गत रु. 13,000/- तक की कुल सीमा तक आय से कटौती उपलब्ध होगी।

इस प्लान के अंतर्गत होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा।

इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धन-कर से मुक्त है।

पात्र ट्रस्टों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(बी) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। अतः यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे।

सदस्यों के अधिकार :

1. प्लान के अधीन सदस्यों का प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है।
2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।
3. लाभांश की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर सदस्य लाभांश वारण्ट प्रेषित किए जाने के हकदार हैं।
4. सदस्यों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाकधारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का

अभिरक्षक भारतीय स्टाकधारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन पाइंट, मुम्बई-400021 में स्थित है ।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें । अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करें । जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक कार्यों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा । अभिरक्षक सभी सूचनाएं, रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगे ।

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. के. कपूर एण्ड कं. 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मैसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री, माणेकजी वाडीया बिल्डिंग, 127, महात्मा गांधी रोड, मुम्बई । योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और ये प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं ।

01–07–1995 से 30–04–1996 की अवधि के लिए निवेशकों की शिकायतें और जिनका निवारण किया गया

योजना	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त शिकायतों से लंबित शिकायतों का प्रतिशत
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	लंबित शिकायतें	
1	2	3	4	5
सीसीसीएफ	1433	1368	65	4.54%
सीजीजीएफ	13183	11604	579	4.75%
सीजीयूएस-91	1868	1840	28	1.50%
सीआरटीएस	134	128	6	4.48%
डीआईयूपी-93	195	162	33	16.92%
डीआईयूपी-95	37	29	8	21.62%
डीआईयूएस-90	1280	1263	17	1.33%
डीआईयूएस-91	826	814	12	1.45%
डीआईयूएस-92	868	863	5	0.58%
आईआईएसएफयूएस	3	2	1	33.33%
जीसीजीआई	366	347	19	5.19%
ग्रैंड मास्टर 93	259	247	12	4.63%
जीएमआईएस-91	1977	1860	117	5.92%
जीएमआईएस-92	931	858	73	7.84%
जीएमआईएस-92 (II)	719	694	25	3.48%
जीएमआईएस-बी-92	164	137	27	16.46%
जीएमआईएसबी-92 (II)	700	680	20	2.86%
जीयूपी-94	1307	1270	37	2.83%
एमईपी 91	2988	2934	54	1.81%
एमईपी 92	21367	20779	588	2.75%
एमईपी 93	2194	2150	44	2.01%
एमईपी 94	4005	3947	58	1.45%
एमईपी 95	26563	26481	82	0.31%
मास्टरगेन 92	19670	9721	9949	50.58%
मास्टर ग्रोथ 93	1395	1299	96	6.88%
एमआईपी 93	1593	1562	31	1.95%
एमआईपी 94(I)	1065	1044	21	1.97%
एमआईपी 94 (II)	1395	1367	28	2.01%
एमआईपी 94 (III)	3370	3303	67	1.99%
एमआईपी-95	352	337	15	4.26%

1	2	3	4	5
एम० आई० पी० 95(II)	276	232	44	15.44%
एम० आई पी० 95(III)	80	56	24	30.00%
एम० आई० एस० 90(I)	444	256	188	42.34%
एम० आई० एस० 90(II)	958	874	84	8.77%
एम० आई० एस० बी०-93	703	681	22	3.13%
एम० आई० एस० जी०-91	1319	1202	117	8.87%
मास्टर प्लस-91	5064	4579	485	9.58%
मास्टर शेयर-86	26061	17813	8248	31.65%
ओमनी प्लान	56	36	20	35.71%
पी० ई० एफ०	650	506	144	22.15%
आर० बी० पी०	2765	2688	77	2.78%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	8069	7804	265	3.28%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1306	1232	74	5.67%
यू० जी० एस०-2000	55795	55157	638	1.14%
यू० जी० एस०-5000	11902	11557	345	2.90%
यूलिप	10104	8936	1168	11.56%
यू० एस०-64	449045	438930	10115	2.25%
यू० एस-92	189	180	9	4.76%
यू एस-93	4	4	0	0.00%
कुल	685997	651813	34184	4.98%

शिकायत लंबित रहने के कारण :

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना ।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना ।

(5) डाक सेवा में विलंब ।

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना ।

(9) पत्रों/दस्तावेजों का गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना ।

सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए संबंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिम अंचल : भारतीय यूनिट ट्रस्ट निवेशक संपर्क कक्ष, कामर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, सी. डी. सामानी मार्ग, कफ परेड, मुम्बई-400005 ।

टेली : 2180172/2181600 ।

पूर्व अंचल : भारतीय यूनिट ट्रस्ट निवेशक संपर्क कक्ष, 2, फेयरली प्लेस, 2सरी मंजिल, कलकत्ता-700001 ।

टेली : 2434581 ।

दक्षिण अंचल : भारतीय यूनिट ट्रस्ट निवेशक संपर्क कक्ष, यूटीआई हाउस, 29, राजाजी सालै, मद्रास-600001 ।

टेली : 517101 विस्तारित : 360/364 ।

उत्तर अंचल : भारतीय यूनिट ट्रस्ट निवेशक संपर्क कक्ष, हेरल्ड हाउस, 2सरी मंजिल, 5क, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 ।

टेली : 3329860 ।

रजिस्ट्रार

यूटीआई निवेशक सेवा लि. को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, समस्त्या प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है ।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री की पश्चात सेवाएं रजिस्ट्रार की चार मुख्य शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिम अंचल : प्लाट नं. 369, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059 ।

पूर्व अंचल : 2, फेयरली प्लेस, पहली मंजिल, पोस्ट बॉक्स नं. 60, कलकत्ता-700001 ।

दक्षिण अंचल : जस्टिस बशीर अहमद सैयद बिल्डिंग, 45, दूसरी लाइन बीच, मद्रास-600001 ।

उत्तर अंचल : गुलाब भवन (रियर ब्लाक), 2सरी मंजिल, 6 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 ।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुम्बई-400020 में उपलब्ध रहेंगे :

* यूटीआई अधिनियम
* सामान्य विनियम
* अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
* पेशकश दस्तावेज एमआईपी 96 (3) की प्रति

सारणी

क्रम सं०	प्लान	वार्षिक लाभांश प्रवाह देय मासिक	परिपक्वता पर पूंजी वृद्धि (%)		बोनस (%)	प्रवाह देय
			आय वांछित	वास्तविक		
1	2	3	4	5	6	
परिपक्व योजनायें						
1	एम० आई० एस०-1	12% प्र० व०	--	6	--	
2.	एम० आई० एस०-2	12% प्र० व०	--	7	--	
3.	एम० आई० एस०-3	12% प्र० व०	--	8	--	
4.	एम० आई० एस०-4	12% प्र० व०	--	8	--	
5.	एम० आई० एस-5	12% प्र० व०	--	10	--	
6.	एम० आई० एस०-6	12% प्र० व०	2	5.5	1.5	
7.	एम० आई० एस-7	12% प्र० व०	2	5	1.5	
8	एम० आई० एस०-8	12% प्र व०	2	7	1.5	
9	एम० आई० एस-9	12% प्र० व०	2	9	1.75	
10.	एम० आई० एस०-10	12% प्र० व०	2	9	2.00	
11.	एम० आई० एस-11	12% प्र० व०	2	11	2.25	
12.	एम० आई० एस-12	12% प्र० व०	2	28	2.25	
13.	एम० आई० एस०-13	12% प्र व०	2	40	3.00	
प्रस्तावित योजनायें						
14.	एम० आई० एस० जी० '90	12% प्र० व०	--	--	1%, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर देय	
15.	एम० आई० एस० जी० '90 (II)	13% प्र० व०	--	--	2% 3 रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और अतिरिक्त 2% बोनस 5वें वर्ष की समाप्ति पर घोषित	
16.	एम आई० एस० जी० '90	13% प्र० व०	--	--	3%, 3 रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और अतिरिक्त 3% बोनस 5 वें वर्ष की समाप्ति पर देय ।	
17	जी० एम० आई० एस० '91	14.5% प्र० व० पहले 3 वर्षों के लिये और 15% प्र० व० अन्तिम 2 वर्षों के लिये	मासिक आय विकल्प के मामले में परिपक्वता पर न्यूनतम 2%	--	--	
18.	जी० एम० आई० एस०-'92	वही	वही	--	--	
19.	19. जी० एम० आई० एस० '92 (II)	वही	वही	--	--	
20.	जी० एम० आई० एस० बी' 92	वही	वही	--	2% बोनस लाभांश घोषित और परिपक्वता पर देय	

1	2	3	4	5	6
21.	जी० एम० आई० एस० बी० 92 (II)	14% प्र० व० पहले 2 वर्षों के लिये और 14.5% प्र० व० अन्तिम 3 वर्षों के लिये	मासिक आय विकल्प के मामले में परिपक्वता पर न्यूनतम 2% वही	—	2%, 3 रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और परिपक्वता पर देय
22.	एम० आई० एस० बी'93	14% प्र०व०	—	—	3 रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित किया जाएगा और घोषणा के बाद दिया जायेगा
23.	एम० आई० पी०'93	13.5% प्र० व०	—		2 रे और 4 थे वर्ष की समाप्ति पर घोषित किया जा सकता है और परिपक्वता पर देय होगा।
24.	एम० आई० पी०'94	पहले 2 वर्षों के लिये अर्थात् फरवरी/96 तक 13% प्र० व० और मासिक आय विकल्प के अन्तर्गत 13.5 % प्र० व० की दर से और संचयी विकल्प के अन्तर्गत 1-3-96 से 28-2-98 के लिये 14 % प्र० व० की दर से	—	—	—
25	एम० आई० पी०'94 (II)	13%प्र० व० पहले 2 वर्षों के लिये मासिक आधार पर देय 14% प्र० व० अगले दो वर्षों के लिये मासिक आधार पर देय*	—	—	—
26.	एम० आई० पी०'94(III)	12% प्र० व० 1ले वर्ष के लिये और 13% प्र० व० 2 रे वर्ष के लिए*	—	—	—
27.	एम० आई० पी०'95	13% प्र० व० 1 ले व० के लिये 14 % प्र० व० दूसरे वर्ष के लिये*	—	—	—
28.	एम० आई० पी० '95 (II)	13.5 % प्र० व० 1 ले वर्ष के लिये और 14% प्र०व० दूसरे वर्ष के लिय	—	—	—
29.	एम० आई० पी० '95 (III)	14 %प्र० व० 1 ले वर्ष के लिये*		—	—
30.	एम० आई० पी० '96	14.5% प्र० व० 1ले वर्ष के लिये	—	—	—
31.	एम० आई० पी० '96 (II)	15% प्र० व० 1 ले वर्ष के लिये*	—	—	—

*बाद के वर्षों के लिये लाभांश दर पहले वर्ष की समाप्ति पर या उसके पहले घोषित की जायेगी।

यू० टी० आई० के पिछले पांच मासिक आय प्लानों का विवरण

प्लान	एम आई पी '95	एम आई पी '95 (II)	एम आई पी '95 (III)	एम आई पी '96	एम आई पी '96(II)
आरम्भ होने की तिथि	01-07-1995	01-09-1995	01-01-1996	01-05-1996	01-07-1996
समाप्ति की तिथि	03-06-2002	31-08-2000	31-12-2000	30-04-2001	30-06-2001
मासिक लाभांश	पहले वर्ष के लिये 13% प्र० व० और दूसरे वर्ष के लिये 14% प्र० व०	पहले वर्ष के लिये 13.5% प्र० व०	पहले वर्ष के लिये 14% प्र० व०	पहले वर्ष लिये 14.5% म० प्र०	पहले वले वर्ष के लिए प्र० व०
संचयी विकल्प					
संग्रह की गई राशि	रु. 537 करोड़	रु० 352 करोड़	रु. 374.39 करोड़	रु० 197.65 करोड़	*रु० 384.54 करोड़
आवेदन की पत्रों की संख्या	172290	147132	136875	69501	*142023

*दिनांक 30-06-1996 तक

पूर्ववर्ती आंकड़े

पूर्ववर्ती सांख्यिकी	1993–94									
	एमआईएस पूल	एमआईएसजी 90 पूल	जीएमआईएस पूल	एमआईएसबी 92 पूल	एमआईएसबी 93 पूल	एमआईएस पूल	एमआईएसजी 90 पूल	जीएमआईएस पूल	जीआईएसबी 92 पूल	
(क)	21976.66	52603.93	30351.93	7045.47	559.20	27496.13	51887.56	40810.07	13301.68	
(ख) व्यय (संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान सहित)	571.08	1135.13	1041.91	628.53	173.32	486.12	1274.92	979.94	434.66	
(ग) शुद्ध आय	21405.58	51468.52	29810.02	6416.94	385.88	27010.01	50612.64	39830.13	12867.02	
(घ) लाभांश	14652.92	43199.38	19278.95	5757.82	0.00	9562.46	47043.45	20441.40	8247.96	
(ङ) एम०ए०बी० (प्रति यूनिट)*										
वर्ष के प्रारंभ में	10.71	10.59	11.19	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	11.55	10.65	11.06	10.16	
वर्ष के अंत में	11.55	10.65	11.06	10.16	10.12	14.73	11.35	12.99	11.71	
(च) औसत मासिक शुद्ध आस्तियों में व्यय %	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
(छ) पोर्ट फोलियो कुल बिक्री वर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
(ज) बाजार मूल्य										
उच्चतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
न्यूनतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
(झ) पुनर्खरीद मूल्य										
उच्चतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
न्यूनतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
(ञ) बिक्री मूल्य										
उच्चतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
न्यूनतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
(ट) अवधि की समाप्ति पर बाकी यूनिटों की संख्या (रु०,000 में)**	104969.69	347161.23	209470.04	62323.85	43104.70	50706.67	354292.41	208431.38	82286.03	

*गु०आ०मू० की गणना आरक्षित और पूल में निवेश की कुल अप्राप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए की गई है।

**यूनिटों का अंकित मूल्य (अंक लाख में) दिया गया है। हालांकि सभी पूलों के अन्तर्गत प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य रु० 10/- है और इस प्रकार तदनुसार यूनिटों की संख्या की गणना की जाती है।

+चालू वर्ष के लिए लाभांशों की गणना की जाती है और उस सीमा तक प्रावधान किए जाते हैं।

1993–94										
एमआईएसबी 93 पूल	एमआईपी 94	एमआईपी 94 II	एमआईएस जी 90 पूल	जीएमआई एस पूल	जीएमआई एसबी 92 पूल	एमआईएस बी 93 पूल	एमआईपी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईपी 94 (III)	एमआईपी 95
13991.33	2443.14	198.33	50382.00	36865.00	15196.00	18030.00	5853.00	7227.00	3978.00	
957.44	286.01	175.07	1550.00	*1000.00	500.00	980.00	2583.00	2976.00	2057.00	13.00
13033.89	2187.13	23.26	−1117.00	5234.00	2642.00	−1820.00	−2548.00	−3890.00	−2779.00	−13.00
			+	+	+	+	+	+	+	+
11822.55	2106.70	0.00	47715.00	30361.00	12054.00	18870.00	5818.00	8141.00	4700.00	0.00
10.12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	11.35	12.99	11.71	10.90	10.06	10.10	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10.96	10.06	10.10	10.92	12.50	11.12	10.02	9.45	9.37	9.49	9.49
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
133731.35	44552.45	38233.01	381368.00	205931.00	82116.00	133068.00	44552.46	61861.00	73500.00	16589.00

31/12/1995 को आय उन्मुख योजनाओं के पूर्ववर्ती आंकड़े

विवरण	एमआईएसजी '90*	जीएमआईएस*	जीएमआईएसबी '92*	एमआईएसबी '93*	एमआईपी '94	एमआईपी '94 (II)	एमआईजी 94' (III)	एमआईपी '95	एमआईपी '95 (II)	एमआईपी '95 (III)
(क) कुल आय	284.23	218.09	82.87	103.99	39.28	40.09	45.54	36.58	16.14	2.49
ख. व्यय (प्रावधानों सहित)	29.30	6.99	21.90	14.73	15.77	24.37	23.10	14.14	1.80	0.62
ग. कुल आय (क-ख)	254.93	209.10	60.97	89.26	23.51	15.63	22.44	22.44	14.34	1.87
घ. लाभांश	252.64	103.61	42.04	60.71	22.44	29.26	33.89	21.02	10.43	—
ङ. एन०ए०वी०										
†आरंभी	10.90	13.02	11.49	10.78	9.86	9.58	10.53	10.05	—	—
§अंतिम	10.65	12.87	11.65	10.73	8.89	9.35	9.25	9.90	10.13	11.43
च. पुनर्खरीद										
आरंभी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अंतिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
छ. औसत मासिक शुद्ध आस्तियों को व्यय (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ज. पोर्टफोलियो टर्नओवर दर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
झ. बाजार मूल्य										
अधिकतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ञ. बिक्री मूल्य										
अधिकतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ट. यूनिटों की संख्या (लाख में)	36,195.34	20,283.91	8,121.04	13,247.75	4,401.50	6,154.68	7,365.59	5,581.94	3,238.25	2,820.99

*ये पूल योजनाएं हैं

†दिनांक 30-06-1995

§दिनांक 31-12-1995 को (अर्द्धवार्षिक लेखापरीक्षा में परिभाषाओं के अनुसार)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाइन्स),

मुम्बई-400020, दूरध्वनि : 2068468

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : केन्द्र-1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005, दूरध्वनि-2181600/2181254, पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700001 दूरध्वनि-2209391/2205322 दक्षिण अंचल : यूटीआई हाउस 29, राजाजी सालै, मद्रास-600001, दूरध्वनि-517101 उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13वीं मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरध्वनि-3329860/3329858 ।

पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

मुम्बई मुख्य शाखा कार्यालय

केन्द्र-1, 29वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005,

दूरध्वनि-2181600/2180057,

शाखाएं, जहां आवेदनपत्र जमा किए जा सकते हैं

अहमदाबाद : बी जे हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, दूरध्वनि-6423-043 बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्सेक सर्कल, रेसकोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि-332481 भोपाल : पहली मंजिल, गंगाजमना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, दूरध्वनि-558308 मुम्बई (1) यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' जेवीपीडी शापिंग सेन्टर के सामने, गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई-400049, दूरध्वनि-6201995 मुम्बई : (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आन्ध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुम्बई-400703, दूरध्वनि-7672607 मुम्बई : (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुम्बई-400020, दूरध्वनि-2850821/822, (मुम्बई मुख्य शाखा के लिए) मुम्बई : (4) श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुम्बई-400092, दूरध्वनि-8020521 मुम्बई : (5) सागर कोनांजा, पहली मंजिल, सोल लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086, दूरध्वनि-516-2256, इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि-22796, कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511 के एच-1/2, ई वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि-65-7315, नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, (किंग्सवे), नागपुर-440001, दूरध्वनि-536893 नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम. जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि-72166 पणजी : ई. डी. सी. हाउस, भूतल, डा. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि-222472 पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005, दूरध्वनि-325954 राजकोट : लल्लूभाई सेंटर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112 सूरत : सैफी बिल्डिंग, अब रोड, नानपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि-34550 ठाणे : यूटीआई हाउस, ठाणे पोस्ट कार्यालय के समीप, स्टेशन रोड, ठाणे (पश्चिम)-4000601, दूरध्वनि-5400905 ।

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले

शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002 दूरध्वनि-54408 इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211-003 दूरध्वनि-50521, अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स रोड, अमृतसर-143001, चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017 दूरध्वनि-543683, देहरादून : दूसरी मंजिल 59/3, राजपुर रोड, देहरादून-248001, दूरध्वनि-26720, फरीदाबाद : बी-614-617 नेहरू ग्राउण्ड, एनआईटी, फरीदाबाद-121001, गाजियाबाद : 41 नवयुग मार्केट, सिघनी गेट के पास, गाजियाबाद-201001, जयपुर : आनन्द भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302001, दूरध्वनि : 365-212, कानपुर : 16/79ई, सिविल लाईन्स, कानपुर-208-001, दूरध्वनि-317278, लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ-226001, दूरध्वनि-232501, लुधियाना : सोढ़ी पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना-141-001, दूरध्वनि-400373, नई दिल्ली : गुलाब भवन (पिछला ब्लाक), दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरध्वनि-3318638/3319786, शिमला : 3, माल रोड, पहली मंजिल, (जानकीदास एण्ड कं. डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर), शिमला-171002, दूरध्वनि-4203, वाराणसी : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221001, दूरध्वनि-54306/54262/54272 ।

दक्षिण अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले

शाखा कार्यालय

बंगलौर : विश्व व्यापार केन्द्र, चेंबर आफ कामर्स, कैम्पेगौडा रोड, बंगलौर-560009, दूरध्वनि-2263739 कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011, दूरध्वनि-362354, कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्ट्स कालेज रोड, कोयम्बतूर-641-018, दूरध्वनि-214973, हुबली : कालक्वीर्ट मेंशन, 4थी मंजिल, लैमिंग्टन रोड, हुबली-580020, दूरध्वनि-363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500001, दूरध्वनि-511095 मद्रास : यू. टी. आई. हाउस, 29, राजाजी सलाई, मद्रास-600001, दूरध्वनि-517101/513695, मदुरै : नटेसलाल महोलिया मांग बिल्डिंग, 108, तिरुप्परन्कुन्रम रोड, मदुरै-625001, दूरध्वनि-38186, मंगलौर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, माल-मसा रोड, मंगलौर-575001, दूरध्वनि-426258, तिरुवनंतपुरम : स्वस्तिक सेंटर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुवनंतपुरम-695-001, दूरध्वनि-331415, त्रिची : 104, सलाई रोड, थोरैयूर, तिरुचिरापल्ली-620003 दूरध्वनि-27060, त्रिचूर 29/876/77 जैम पब्लिकेशन बिल्डिंग, कन्नामकुलम नेहरू-सार रोड, पारमेक मार्ग, त्रिचूर-680020, दूरध्वनि-331259,

विजयवाडा : 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के सामने, विजयवाडा-520002, दूरध्वनि-74434, विशाखापट्टनम : रामा कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 47-15-6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम-530016, दूरध्वनि-548121 ।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : आशा निवास, 246, लेवीस रोड, भुवनेश्वर-751014, दूरध्वनि-56141, कलकत्ता : 2 और 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि-2209391/2205322 दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216, दूरध्वनि-4831, गुवाहाटी : जीवन दीप, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी-78001, दूरध्वनि-543131 जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर प्ररसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्तुपुर, जमशेदपुर-831001, दूरध्वनि-425508, पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंजिल, एग्जिबिशन रोड, पटना-800001, दूरध्वनि-235001, सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734401, दूरध्वनि-24671 ।

दिनांक 22 अक्तूबर 1996

सं. यूटी/डीबीडीएम/आर-160/एसपीडी-65/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाया गया आस्थगित आय प्लान 1991 का पेशकश दस्तावेज जो आस्थगित आय यूनिट योजना 1991 से संबंधित है, 18 जुलाई, 1996 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसको नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए. जी. जोशी, महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

आस्थगित आय प्लान 1991
पेशकश (आफर) दस्तावेज

आस्थगित आय प्लान 1991 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, आस्थगित आय यूनिट योजना 1991 के संबंध में है ।

आस्थगित आय यूनिट योजना 1991 (डीआईयूएस 91) एक लोकप्रिय योजना है जो ऐसे निवेशकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो बाद की तारीख में उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक आय प्राप्त करने के लिए आरंभिक अवधि में प्रतीक्षा कर लेना चाहते हैं । योजना 1 सितम्बर 1996 को परिपक्व हो रही है । योजना ने निवेशकों को आस्थगित आय विकल्प के अंतर्गत 16.91% और संचयी विकल्प के अंतर्गत 18.01% वार्षिक प्रतिलाभ दिया है । इसके अच्छे कार्यनिष्पादन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना को 1 सितम्बर 1996 से आगे आबंटन की तिथि से और पांच वर्षों तक चलाया जाए । आगे चलाई गई योजना को "आस्थगित आय प्लान 1991" कहा जाएगा । योजना के विद्यमान निवेशक योजना में बने रह सकते हैं या अपने निवेश का मोचन कर सकते हैं । इस प्रयोजन से एक पृथक प्रेषण योजना के प्रत्येक विद्यमान निवेशक को भेजा जा चुका है । विद्यमान निवेशकों को पुनर्खरीद या जारी रखने के विकल्प का प्रयोग 10 सितम्बर 1996 तक करना होगा । यदि निवेशक से उसके विकल्प की सूचना 10 सितम्बर 1996 तक नहीं मिली तो पुनर्खरीद राशि उसे भेज दी जाएगी । योजना नयी बिक्री के लिए 19 सितम्बर 96 से 14 अक्तूबर 96 तक खुली रहेगी। तथापि रोल-ओवर का विकल्प चुनने वाले डीआईयूएस 91 के यूनिट धारकों के लिए स्वीकृति तिथि 1 सितम्बर 1996 होगी । रोल ओवर योजना में शामिल होने वाले नए निवेशकों और रोलओवर योजना में बने रहने वाले विद्यमान यूनिट धारकों को एक समान माना जाएगा ।

> प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूच्युअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है ।

प्लान का उद्देश्य

यह एक आय उन्मुख प्लान है । प्लान का उद्देश्य तिमाही आधार पर आय प्रदान कर या दो वर्षों की प्रतीक्षा अवधि के बाद अधिक तिमाही आय प्रदान कर या 5 वर्षों की अवधि में आरंभिक निवेश में वृद्धि कर निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है ।

विशिष्टताएं

* यह एक पांच वर्षीय प्लान है ।
* प्लान निवासी और अनिवासी वयस्क व्यक्तियों/एकल या अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त/या उत्तरजीवी आधार पर/नाबालिगों/हिन्दू अविभक्त परिवारों/न्यासों/समितियों/पंजीकृत सहकारी समितियों/अलाभकारी कम्पनियों सहित निगमित निकायों (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत) के लिए खुला है ।
* यूटीआई तिमाही आय विकल्प के अंतर्गत पहले वर्ष के लिए तिमाही के अंत में देय 15% प्र. व. की दर से (प्राप्ति 15.87% प्र. व.) न्यूनतम लक्षित लाभांश देने का प्रस्ताव करता है । बाद के वर्षों के लिए लाभांश पूर्व वर्षों की समाप्ति से पहले घोषित किया जाएगा ।
* आस्थगित आय विकल्प में तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के आरंभ में 28% प्र. व. लाभांश अदा किया जाएगा । बाद के वर्षों के लिए लाभांश पूर्व वर्षों की समाप्ति से पहले घोषित किया जाएगा ।
* पूंजी वृद्धि विकल्प के अंतर्गत कोई आय वितरण

नहीं होगा । उत्पन्न आय का प्लान में ही विवेश कर दिया जाएगा और यह शुद्ध आस्ति मूल्य में परावर्तित होगा ।

* पुनर्खरीद की अनुमति दूसरे वर्ष से तीनों विकल्पों के अंतर्गत एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर लागत को घटाकर होगी । लागत प्रति यूनिट एनएवी के 5% से अधिक नहीं होगी ।

* निवेश का एक भाग इक्विटियों में होने से पूंजीवृद्धि की संभावना ।

* लाभांश आय और पूंजी वृद्धि से पूंजीगत लाभ पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल और धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ ।

जोखिम के तत्व

* प्लान के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान का शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) प्लान के पोर्टफोलियो पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव पर निर्भर रहते हुए ऊपर या नीचे जा सकता है ।

* यदि पहले वर्ष में तिमाही आय विकल्प में सदस्यों को 15% प्र. व. और आस्थगित आय विकल्प में तीसरे वर्ष में 28% प्र. व. का न्यूनतम लक्षित प्रति-लाभ देने के लिए वास्तविक आय पर्याप्त न हो तो सदस्यों को उस सीमा तक यूनिट पूंजी का घाटा उठाना पड़ सकता है ।

* डी आई यू एस 91 का कार्यनिष्पादन अपरिहार्य रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है । रोल ओवर प्लान के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आसवासन नहीं दिया जा सकता है ।

* आस्थगित आय प्लान 1991 केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं होता है । निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें ।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

ट्रस्ट 32 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 48 मिलियन से अधिक निवेशकों से लगभग 56,800 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है ।

ट्रस्ट के अब तक शुरू किए गए पांच आस्थगित आय योजनाओं/प्लानों के कार्यनिष्पादन नीचे दी गई तालिका में दर्शाये गए हैं :

क्रम संख्या	योजना/प्लान	आस्थगित आय विकल्प में तिमाही लाभांश					परिपक्वता पर देय बोनस लाभांश	परिपक्वता पर पूंजी वृद्धि	प्राप्ति
		3 रे वर्ष	4 थे वर्ष	5वें वर्ष	6 वें वर्ष	7 वें वर्ष			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	डी० आई० यू० एस 90								
	3 वर्षीय प्लान	18%	24%	30%	—	—	5%	30%	17.86%
	7 वर्षीय प्लान	—	24%	24%	30%	30%	7.5%	@	14.20%
(2)	डी० आई० यू० एस० 91								
	आस्थगित विकल्प	18%	24%	30%	—	—	5%* 6%* 6%†	10.3%	16.91%
	संचयी विकल्प	—	—	—	—	—	2.5%* 3%† 3†	10.3%	18.01%
(3)	डी० आई० यू० एस० 92								
	आस्थगित विकल्प	28%	28%	28%				@	15.70%
	संचयी विकल्प	परिपक्वता पर रु० 2000/— रु० 4200/— हो जायेंगे						@	16.00%
(4)	डी० आई० यू० एस० 93								
	आस्थगित विकल्प	28%	28%	28%	—	—	—	@	15.19%
	संचयी विकल्प	परिपक्वता पर रु० 2000/— रु० 4075/— हो जायेंगे ।						@	15.29%
(5)	डी० आई० पी० 95	26%	$	$					

* योजना में आश्वासन न होते हुए भी 9-8-93 को अंतरिम बोनस लाभांश घोषित ।

** बोनस लाभांश घोषित करने के लिए योजना के प्रावधान के अनुसार तीसरे वर्ष की समाप्ति पर बोनस लाभांश 16-08-94 को घोषित ।

† बोनस लाभांश घोषित करने के लिए योजना के प्रावधान के अनुसार चौथे वर्ष की समाप्ति पर बोनस लाभांश 16-08-94 को घोषित ।

‡‡ विकल्प के अंतर्गत बोनस लाभांश का आश्वासन न होते हुए भी 3रे और 4थे वर्ष की समाप्ति पर बोनस लाभांश घोषित ।

$ पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति से पहले लाभांश घोषित किया जाएगा और तिमाही आधार पर अदा किया जाएगा ।

@ विकल्प के अंतर्गत बोनस लाभांश का आश्वासन न होते

यूटीआई की स्थापना

यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत सांविधिक निकाय के रूप में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश का प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी । ट्रस्ट ने 1 जुलाई 1964 से काम करना आरंभ किया था ।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्य एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है । बोर्ड के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी शामिल हैं । यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर विचार करने के लिए सक्षम है ।

न्यासी मंडल

1. श्री जगदीश कपूर—अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ।

2. डा पी जे नायक—कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ।

3. श्री आर वी गुप्ता—उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ।

4. श्री एस. एच. खान—अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ।

5. श्री एन. एस. सेखसरिया—प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेंट लि. ।

6. डा. अरविंद वीरमणि—सलाहकार, नीति निर्धारण, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ।

7. श्री पी. आर. खन्ना—सनदी लेखाकार ।

8. श्री एन. एम. गोवर्धन—अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम ।

9. श्री पी. जी. काकोडकर—अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक ।

10. श्री एन. वाघुल—अध्यक्ष, आई सी आई सी आई लि. ।

11. श्री जे. वी. शेट्टी—अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक ।

आस्थगित आय यूनिट योजना 1991 (डीआईयूएस'91) का ब्यौरा

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :

(1) योजना आस्थगित आय यूनिट योजना 1991 (डीआईयू-एस' 91) कहा जाएगी ।

(2) यह योजना पांच वर्षों के लिए अर्थात् 15 अक्तूबर 1996 से 14 अक्तूबर 2001 तक की अवधि के लिए होगी ।

योजना के अंतर्गत तीन विकल्प होंगे । 1 (तिमाही आय) के अंतर्गत पहले वर्ष के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत में 15% प्र. व. की दर से लाभांश दिया जाएगा ।

2 (आस्थगित आय) के अंतर्गत पहले दो वर्षों के लिए कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा । प्रतीक्षा अवधि के बाद बाकी बचे वर्षों के लिए बढ़ी हुई दर से लाभांश दिया जाएगा । तीसरे वर्ष के लिए 28% प्र. व. की दर से न्यूनतम लक्षित लाभांश हर तिमाही के शुरू में दिया जाएगा ।

3 (पूंजी वृद्धि) के अंतर्गत कोई आय वितरण नहीं होगा । अर्जित आय का पुनः निवेश किया जाएगा और यह वृद्धि आस्ति मूल्य में प्रतिबिंबित होगी ।

(3) यूनिटों की बिक्री 19 सितम्बर 1996 से 14 अक्तूबर 1996 तक 26 दिनों के लिए होगी ।

बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंज में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक आर्थिक कारण होने पर अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं ।

2. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) ''वैकल्पिक आवेदक'' का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो।

(घ) ''आवेदक'' का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र है, जो आवश्यक नहीं है और प्लान के खंड 3 के अंतर्गत आवेदन करता है।

(ङ) ''पात्र संस्था'' का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है।

(च) योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में ''सदस्य'' के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है जिसे इस योजना में यूनिट आवंटित किए गए हों।

(छ) ''अनिवासी भारतीय (एनआरआई)'' का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है। जैसा कि मूलतः अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को ''भारतीय मूल का व्यक्ति'' माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृपक्ष से हो या मातृ पक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो।

(ज) ''जारी समझे जाने वाले यूनिटों की संख्या'' का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है।

(झ) ''विदेशी निगमित निकाय'' (ओसीबी) के अंतर्गत विदेशी कम्पनियां, भागीदार फर्में, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% लाभकारी हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो, शामिल है।

(ञ) ''व्यक्ति'' में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है।

(ट) ''मान्यताप्राप्त शेयर बाजार'' का अर्थ वह शेयर बाजार है, जिसे फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त है।

(ठ) ''रजिस्ट्रार'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें।

(ड) ''विनियमावली'' का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अंतर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(ढ) ''सेबी'' का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(ण) ''समिति'' का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अंतर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है।

(त) ''यूनिट'' का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपए के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(थ) यूनिट पूंजी का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है।

(द) ''यूनिट ट्रस्ट'' या ''ट्रस्ट'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(ध) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम विनियमावली में दिए गए हैं।

(न) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं।

योजना के अन्य उपबंध पृष्ठ सं. 13 से पृष्ठ सं. 20 तक दिए गए हैं।

आस्थगित आय यूनिट योजना 1991 के अंतर्गत बनाए गए आस्थगित आय प्लान 1991 (डीआईपी' 91) के उपबंध यहां नीचे दिए जाते हैं।

1. परिभाषाएं :

शब्द (जो) प्लान में परिभाषित नहीं किया गया है तथा योजना और अधिनियम/विनियमों में परिभाषित किया गया है उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं।

2. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत जारी प्रत्येक यूनिट का मूल्य दस रुपए होगा।

3. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों और अनिवासियों द्वारा भी किए जा सकते हैं।

निवासी :

(क) व्यक्ति, एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त/कोई एक या उत्तरजीवी आधार पर।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक। नाबालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकता।

(ग) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था जिनमें अप्रतिसंहरणीय और निजी द्वारा निर्मित निजी ट्रस्ट शामिल है।

(घ) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति ।

(ङ) पंजीकृत सहकारी समिति ।

(च) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत निर्मित कम्पनी सहित अन्य निगमित निकाय ।

(छ) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

अनिवासियों द्वारा पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय आधार पर :

(क) अनिवासी व्यस्क व्यक्ति या तो एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त/कोई एक या उत्तरजीवी आधार पर ।

(ख) नाबालिग अनिवासी की ओर से माता-पिता/सौतेले माता-पिता/विधिक अभिभावक ।

(ग) अनिवासी हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(घ) अनिवासी कम्पनी/विदेशी निगमित निकाय जिनमें अनिवासी भारतीयों का स्वत्वाधिकार कम से कम 60% तक हो ।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किए जाएंगे ।

4. न्यूनतम निवेश राशि :

आवेदन न्यूनतम 200 यूनिटों अर्थात रुपया 2000/- के लिए किया जाएगा । कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी । जो निवेश रुपया 10/- के गुणकों में न हों, उनसे [illegible] के बाद तीन दिनों तक [illegible] में [illegible] किया जाएंगे । रुपया 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करें ।

5. खर्चों पर सीमा

निर्गम के आरम्भिक खर्च प्लान के अंतर्गत एकत्र निधि के 6% से अधिक नहीं होंगे । प्लान के प्रारम्भिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.75
एजेंटों को कमीशन	1.50
रजिस्ट्रारों को प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
स्टाम्प शुल्क और अभिरक्षण शुल्क	0.50
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किया गया प्रत्येक रुपये का कम से कम 94 पैसे का प्लान में निवेश किया जाएगा ।

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर प्लान का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा । अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	1.00
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.10
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
विविध	0.80
योग	3.00

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं । फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर ही होगा । इसके अलावा, प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान योजना के साप्ताहिक औसत एनएवी के 1.25% से अधिक नहीं होगा ।

सेबी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो सेबी के विचाराधीन है । अतः शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां सेबी द्वारा जारी विनियमों/दिशानिर्देशों पर निर्भर रहते हुए परिवर्तित के अधीन होंगी ।

6. भुगतान विधि :

(1) (1) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

जहां आवेदन यूटीआई के शाखा कार्यालयों में जमा किये जाएं, वहां चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किये जाएं, जिस शहर में स्थित यूटीआई शाखा कार्यालय में आवेदन किए जाएं ।

लेकिन जहां आवेदक ट्रस्ट के कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिये आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिये देय बैंक प्रभार घटाकर बैंक ड्राफ्ट भेजते हुए ऐसा कर सकता है। बैंक प्रभार भारतीय बैंक संघ के दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे यथा यदि आवेदन राशि रु. 10,000/- है तो इस राशि के लिए बैंक ड्राफ्ट के प्रभार रु. 20/- होंगे । इस प्रकार ड्राफ्ट रु. 9980/- के लिए (यानी रु. 10,000/- से रु. 20/- घटाकर) बनाया जा सकता है । ड्राफ्ट की कमीशन का प्रभार प्लान के आरंभिक निर्गम व्यय का भाग होगा ।

किन्तु यदि आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिले जहां ट्रस्ट का शाखा कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय है, वहां बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही भरना होगा ।

(2) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो ।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो । लेकिन आवेदन ड्राफ्ट जारी करने की तारीख से 15 दिन के अंदर ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या संग्रहण केन्द्र को प्राप्त हो जाए । यदि आवेदन राशि प्लान के अंतर्गत न्यूनतम निवेश से कम है तो सारी राशि आवेदक को उसकी लागत पर वापस कर दी जाएगी ।

(3) प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि :

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार नियोजित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा । इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है।

(क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट ।

(ख) विदेशी बैंकों/विनिमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में रुपये में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्ककर्ता बैंकों पर आहरित हो ।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम रखे गए एनआरआई खाते पर आहरित चेक द्वारा ।

(घ) एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा ।

इसके अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है । चूंकि यूनिटों में निवेश रुपये में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो । यदि कोई कमी पड़ती है, तो उसे एनआरआई निवेशक द्वारा भेजा जाएगा ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एनआरआई/ओसीबी निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों के द्वारा अदायगी करें ।

4 प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि :

जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है, वहां इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होंगी ।

तथापि भा. रि. बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए. डी. (एम. ए. श्रृंखला) सं. 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होगी। जबकि इन मामलों में यूटीआई/एनआरओ खाते में जमा करने के लिए रुपये में अदायगी करेगी। निवेशकों को यह सूचना दी जाती है कि यदि वे यूनिटों पर लाभांश का प्रेषण प्राप्त करना चाहते हों तो अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें ।

(2) (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह वह अपने विवेक से योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान से यूनिट जारी करने के लिये आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके । योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ख) अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किये जा सकते हैं :

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी ।

अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर राशि वापस की जाएगी ।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक को योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी जैसे न्यासों से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में ट्रस्ट विलेख, प्रबंध समिति का यूनिट खरीदने संबंधी संकल्प, नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाणपत्र, आदि जो निवेशक की श्रेणी पर निर्भर करेगा । ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट को संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी । गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा ।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापिस करे ।

पुनर्खरीद करने और आवेदक का पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों का बिक्री मूल्य सममूल्य पर होगा ।

ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरा हुई समझी जाएगी । तथापि रोलओवर चुनने वाले डीआई-यूएस 91 के यूनिटधारकों के लिए स्वीकृति तिथि 1 सितम्बर 1996 होगी । बिक्री संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को सदस्यता सूचना जारी करेगा । यह इस बात का साक्ष्य होगा कि उसे योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था और निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना पात्र संस्था/निगमित निकाय के नाम में होगी । प्रेषित सदस्यता सूचना के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा ।

ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 10 हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना भेजने का प्रयास करेगा ।

सभी सदस्यों के संबंध में आबंटन तिथि 15 अक्तूबर 1996 होगी ।

8. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) प्लान के अंतर्गत पुनर्खरीद, तीनों विकल्पों के अंतर्गत, प्लान के आरंभ होने की तारीख से एक वर्ष के बाद अर्थात् 15 अक्तूबर 1997 से आरम्भ होगी । प्लान के पहले वर्ष के दौरान पुनर्खरीद नहीं होगी । तीनों विकल्पों के अंतर्गत पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) पर बट्टे पर होगा । बट्टा 5% से अधिक नहीं होगा । यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य और पुनर्खरीद मूल्य प्लान के आरंभ होने की तारीख से छः महीनों के बाद मासिक अंतरालों पर घोषित किए जाएंगे । पहले वर्ष के लिए पुनर्खरीद मूल्य मृत्यु दावों के मामलों के निपटान के लिए लागू होंगे ।

(2) पुनर्खरीद तब प्रभावी होगी जब साद कागज पर अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त हो जाएगी, जो सभी धारकों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो और दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका नाम, पता और पेशा देते हुए विधिवत् साक्षीकृत हो ।

तिमाही आय विकल्प के मामले में सदस्य जब पुनर्खरीद के लिए आवेदन दें, तब वह पुनर्खरीद वाली तिमाही सहित और उसके बाद के सभी बकाया बचे अनभुनाए आय वितरण वारंटों को ट्रस्ट को समर्पित करने के लिए बाध्य होगा । आस्थगित आय विकल्प के मामले में सदस्य से पुनर्खरीद वाली तिमाही से संबंधित वारंट को समर्पित करने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि पुनर्खरीद मूल्य की गणना करने के लिए एनएवी लाभांश रहित एनएवी होगी । हालांकि सदस्य पुनर्खरीद वाली तिमाही से बाद के बकाया बचे सभी अनभुनाए आय वारंटों को समर्पित करने के लिए बाध्य होगा ।

ट्रस्ट पुनर्खरीद के अनुरोध पत्र सहित सदस्यता सूचना प्राप्त होने पर तिमाही आय विकल्प के अंतर्गत स्वीकृति वाली तिमाही या भविष्य की तिमाहियों के लिए और आस्थगित आय विकल्प के अंतर्गत भविष्य की तिमाहियों के लिए यूनिटों पर आय वितरण अदा करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही पुनर्खरीद की प्राप्तियों पर कोई ब्याज देय होगा ।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते सदस्य रुपए 2000/- (अंकित मूल्य) का न्यूनतम बकाया बनाए रखे ।

आंशिक पुनर्खरीद की स्थिति में, सदस्य द्वारा अपने पास रखे गए यूनिटों की संख्या पर निर्भर रहते हुए उसे नयी सदस्यता सूचना और तिमाही आय विकल्प के अंतर्गत स्वीकृति वाली तिमाही सहित बाकी बची अवधि के लिए आय वितरण वारन्टों का नया सैट जारी किया जाएगा और आस्थगित आय विकल्प में बाकी बची अवधि के लिए आय वितरण वारन्टों का नया सैट जारी किया जाएगा । पुनर्खरीद राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा ।

(3) पूर्ववर्ती उप-खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद वारंट समय समय द्वारा वहां उपर उपखण्ड (2) के अनुसार आय वितरण वारन्टों को अभ्यर्पित न किए जाने की स्थिति में ट्रस्ट पुनर्खरीद राशियों में से आय वितरण वारन्टों की ऐसी राशि का काटने के लिए स्वतंत्र होगा जो वारन्ट यहां ऊपर उप खण्ड (2) के अनुसार अभ्यर्पित नहीं किए गए हैं । ट्रस्ट द्वारा सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र स्वीकार कर लिए जाने पर तथा पूर्ण पुनर्खरीद की स्थिति में सदस्य को तिमाही आय विकल्प के अंतर्गत स्वीकृति वाली तिमाही सहित भावी आय वितरण और आस्थगित आय विकल्प के अंतर्गत भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहेगा और ऐसे बकाया आय वितरण का हकदार ट्रस्ट होगा ।

(4) तिमाही आधार पर प्रदत्त पूरे वर्ष के आय वितरण के हकदार सदस्य को यूनिट पूरे वर्ष तक रखने होंगे । वर्ष के किसी भाग के लिये यूनिट रखनेवाला सदस्य केवल धारण अवधि के लिये, जो हमेशा धारण की पूरी तिमाहियां होंगी, आनुपातिक आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और तिमाही के भाग को, चाहे उसकी अवधि कितनी भी क्यों न हो, हमेशा छोड़ दिया जाएगा ।

(5) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कानूनी प्रतिनिधि या नामित द्वारा सदस्यता सूचना, पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र और बकाया अनभुनाए आय वितरण वारन्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित आवश्यकता पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखण्ड (2) और (3) में यथावर्णित रूप में यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा और दावे को निपटान तिथि तक के बकाया तिमाही आय वितरण का आनुपातिक भुगतान करेगा और ऐसा भुगतान पूरी तिमाहियों को अवधि के लिए होगा ।

(6) ट्रस्ट द्वारा कटौती, यदि कोई हो, करने के बाद पुनर्खरीदे गए यूनिटों के लिए भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में यथोल्लिखित रीति से किया जायेगा ।

आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चेक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा ।

(7) पुनर्खरीदे गए यूनिट पुनः जारी नहीं किए जाएंगे। तथापि जब कभी सेबी यूनिटों को पुनः जारी करने की अनुमति देता है, ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत पुनर्खरीदे गए यूनिटों को पुनः जारी करने का अपना अधिकार अपने पास रखता है ।

(8) अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद राशियां निवेश के सूत्र पर निर्भर रहते हुए निम्नानुसार प्रेषित की जाएंगी :—

(क) जब यूनिट विदेश से भेजी गई विदेशी मुद्रा/सदस्य की एफसीएनआर जमाओं की राशियों से या सदस्य के भारत में रखे अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी निधियों से जारी चेक/ड्राफ्ट द्वारा खरीदे गए हों तो सदस्य को राशियां विदेशी मुद्रा में (विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का वहन सदस्य को करना होगा) प्रेषित की जा सकती है या सदस्य के भारत स्थित संबंधी को सदस्य के अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा करने के लिए भेजी जा सकती है बशर्ते सदस्य विदेश में रह रहा हो। यदि सदस्य चाहे तो इन राशियों को उसके अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भी भेजा जा सकता है ।

(ख) ऐसा यूनिट सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में रखी निधियों से करोड़े गए हों तो राशियां सदस्य के भारत स्थित संबंधी को सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भेजी जाएंगी ।

(9) तीनों विकल्पों में पुनर्खरीद मूल्यों की गणना का आधार उन विनियमों, दिशा-निर्देशों के अधीन होगा जो यथा समय सेबी द्वारा निर्धारित किए जाएं ।

9. यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(1) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नहीं हों ; और

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे की वार्षिक बन्दी (ट्रस्ट द्वारा यथा अधिसूचित) के संबंध में सदस्यों की पंजीबन्दी हो ।

स्पष्टीकरण :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही

(2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा ।

10. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट यथाशीघ्र इसे प्रकाशन के लिए प्रेस को जारी करेगा ।

11. सदस्यता सूचना :

योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में जारी यूनिटों की सदस्यता के संबंध में किसी सदस्य को यूनिट/सदस्यता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा । तथा उसको सदस्यता सूचना दी जाएगी, जो योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में सदस्य के रूप में प्रवेश का साक्ष्य होगी ।

12. सदस्यता सूचना तैयार करने की रीति :

सदस्यता सूचना ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित रूप के अनुसार होगी ।

13. सदस्यता सूचना का विनिमय और उसके कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

प्लान के अन्तर्गत सदस्य इसके प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे, जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाये जाएंगे/अपेक्षित होंगे ।

14. सदस्यों की पंजी :

सदस्यों के पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे;

(क) सदस्यों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता सूचना की संख्या और हरेक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिट की संख्या; और

(ग) वह तिथि, जिस तिथि को ऐसा व्यक्ति अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया ।

(2) सदस्य की ओर से उसके नाम और पते में परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी । ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा ।

(3) इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार केवल पंजी 'बंदी' को छोड़कर, कार्य-समय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिये पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) सदस्य के निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी ।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिये पंजी बन्द रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 45 दिन से अधिक समय के लिये बन्द नहीं रहेगी । ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बन्दी की सूचना देगा ।

(5) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी ।

15. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों आदि द्वारा आवेदन और पंजीकरण :

(1) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों सहित) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी ।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है । अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा । आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणपत्र के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(3) पात्र संस्थाओं, निगमित निकाय या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उप-विधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति, मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट को पेश करनी होगी ।

16. ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिये सदस्य द्वारा रसीद :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के संबंध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिये उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

17. सदस्यों द्वारा नामांकन :

(1) सदस्यों विनियमों में उपबंधित सीमा तक नामांकन कर या निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ।

(2) सदस्यों, जो किसी नाबालिग के माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों, तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकायों और हिंदू अविभक्त परिवार को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा । आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनआरआई नामित किए जा सकते हैं ।

18. सदस्य की मृत्यु :

(1) यूनिट के संयुक्त सदस्यों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा जीवित व्यक्ति को ही योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी ।

लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिती को यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी ।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन नहीं किये जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है ।

(4) किसी सदस्य (सदस्यों) की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार हो जाने वाले व्यक्ति को, ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिये पर्याप्त समझे गये साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बाद तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा ।

(5) यदि एकमात्र नामिती यूनिट रखने का पात्र है तो उक्त नामिती अपनी इच्छा के अनुसार मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने और पंजीकृत सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाएगी तथा जितने यूनिट वह रखना चाहेगा, न्यूनतम यूनिट रखने की शर्तों पर उसने यूनिटों का उल्लेख करते हुए उसके नाम से सदस्यता सूचना जारी की जाएगी ।

(6) अवरुद्ध अवधि में एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा और संबंधित खण्डों में दिये गये ब्यौरे के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिती को पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान करेगा ।

(7) अनिवासी सदस्य (सदस्यों) की मृत्यु के मामले में यूनिटों की पुनर्खरीद राशि अनिवासी नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को प्रेषित की जा सकती है बशर्ते :

(क) यूनिट भारत से बाहर से भेजी गई निधियों से, भारत में अनिवासी (ई) खाते में रखी निधियों से या एफसीएनआर जमाओं की राशियों से खरीदे गए हों और

(ख) नामिती भारत से बाहर रह रहा/रही हो/कानूनी उत्तराधिकारी भारत से बाहर रह रहा हो/रहे हों ।

जहां यूनिट एनआरओ खातों में रखी निधियों से खरीदे गए हों, अनिवासी नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) के मामले में पुनर्खरीद राशि भारत से बाहर प्रत्यावर्तन के योग्य नहीं होगी ।

दावों के ऐसे मामले, जिनमें नामिती नामांकन के समय निवासी था लेकिन बाद में अनिवासी बना उन्हें राशि प्रेषित करने के माध्यम के लिए रिजर्व बैंक को संदर्भित करना होगा ।

19. आय वितरण :

सदस्य को तिमाही आय विकल्प या आस्थगित आय विकल्प या पूंजी वृद्धि विकल्प में भाग लेने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा । यह प्लान में निवेश के समय किया जाएगा और एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा । आवेदक द्वारा प्रयोग किए गए किसी निर्दिष्ट विकल्प के अभाव में उसे पूंजीवृद्धि विकल्प समझा जाएगा । योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रावधान सभी विकल्पों को लागू होंगे और जहां प्रावधान परिवर्तित होते हैं, वहां संबंधित विवरण तदनुसार दिए गए हैं ।

निवेश की तारीख पर निर्भर रहते हुए सदस्य को 15% प्र.व. की दर से 14 अक्तूबर, 1996 तक आय समानुपातिक आधार पर अदा की जाएगी । बैंक सदस्यता सूचना के साथ या अनिवासी के मामले में आवेदक की इच्छानुसार भेजा जाएगा ।

(1) तिमाही आय विकल्प :

ट्रस्ट पहले वर्ष के लिए 15% प्र.व. की दर से न्यूनतम लक्षित लाभांश अदा करने का प्रस्ताव करता है, जो प्रत्येक तिमाही के अंत में अदा किया जाएगा। बाद के वर्षों के लिए लाभांश पिछले वर्ष की समाप्ति से पहले घोषित किया जाएगा ।

(2) आस्थगित आय विकल्प :

ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत पहले दो वर्षों के लिए कोई लाभांश नहीं देगा । ट्रस्ट प्रतीक्षा अवधि के बाद बचे हुए वर्षों के लिए बढ़ी हुई दर से लाभांश देने का प्रस्ताव करता है । तीसरे वर्ष में 28% प्र.व. की दर से न्यूनतम लक्षित लाभांश हर तिमाही की शुरुआत में, अर्थात् 15-10-1998 को शुरू होने वाली तिमाही से, देय होगा ।

(3) प्लान के अंतर्गत लाभांश घोषित करने से पहले ट्रस्ट निवेशों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करेगा और अपने लेखा परीक्षकों को संतुष्ट करते हुए संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए भी प्रावधान करेगा और लेखा नीतियों की विवरणी में निवेश मूल्यांकन का उद्घाटन करेगा ।

निवेशों उद्देश्यों और योजना की प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिनमें योजना की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना न्यूनतम लक्षित लाभांश अदा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न कर सकेगी ।

नियत आय प्रतिभूतियों में प्लान के अधिकतर निवेश किए गए हैं, वर्तमान में लाभ 18% प्र.व. है।

इस तरह ट्रस्ट के लिए यह संभव हो सकेगा कि वह निवेशकों को तिमाही आय विकल्प में पहले वर्ष के लिए 15% प्र.व. आस्थगित आय विकल्प में तीसरे वर्ष में तिमाही आधार पर देय 28% प्र.व. का न्यूनतम लक्षित लाभ अदा कर सके। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए लाभांश दर योजना की आय और संबंधित घटकों के आधार पर तय की जाएगी।

दोनों विकल्पों में उत्तरदिनांकित आय वितरण वारंट पहले ही भेज दिए जाएंगे।

तिमाही आय विकल्प के अंतर्गत दो अग्रिम उत्तरदिनांकित आय वितरण वारण्ट होंगे। एक 15 अक्तूबर 1996 से 31 दिसम्बर 1996 तक के लिए (31 दिसम्बर 1996 को देय) और दूसरा 1 जनवरी 1997 से 31 मार्च 1997 तक के लिए (31 मार्च 1997 को देय)। आय वितरण वारण्ट सदस्यता सूचना के साथ भेजे जाएंगे और बाकी दो आय वितरण वारण्ट अर्थात् 1 अप्रैल 1997 से 30 जून 1997 (30 जून 1997 को देय) और 1 जुलाई 1997 से 14 अक्तूबर 1997 (14 अक्तूबर 1997 को देय) की तिमाही के लिए अप्रैल 1997 में भेजे जाएंगे।

बाद के वर्षों के लिए लाभांश की घोषणा और लाभांश वारण्टों का प्रेषण निम्नलिखित सूची के अनुसार होगा :

अवधि, लाभांश की घोषणा तथा वारण्टों का प्रेषण

15-10-1997 से 31-03-1998, मार्च 1997—अप्रैल 1997

01-04-1998 से 31-03-1999, मार्च 1998—अप्रैल 1998

01-04-1999 से 31-03-2000, मार्च 1999—अप्रैल 1999

01-04-2000 से 31-03-2001, मार्च 2000—अप्रैल 2000

01-04-2001 से 14-10-2001, मार्च 2001—अप्रैल 2001

आस्थगित आय विकल्प में तीसरे वर्ष के लिए दो अग्रिम उत्तरदिनांकित आय वितरण वारण्ट होंगे। एक 15 अक्तूबर 1998 से 31 दिसम्बर 1998 तक के लिए (15 अक्तूबर 1998 को देय) और दूसरा 1 जनवरी 1999 से 31 मार्च 1999 तक के लिए (1 जनवरी 1999 को देय) जो 15 अक्तूबर 1998 से पहले भेज दिए जाएंगे। बाकी दो आय वितरण वारण्ट अर्थात् 1 अप्रैल 1999 से 30 जून 1999 (1 अप्रैल 1999 को देय) और 1 जुलाई 1999 से 14 अक्तूबर 1999 (1 जुलाई 1999 को देय) तक की तिमाहियों के लिए मार्च 1999 में भेजे जाएंगे। बाद के वर्षों के लिए लाभांश की घोषणा और वारण्टों का प्रेषण निम्नलिखित सूची के अनुसार होगा :

अवधि, लाभांश की घोषणा तथा वारण्टों का प्रेषण

15-10-1999 से 31-03-2000, फरवरी 1999—मार्च 1999

01-04-2000 से 31-03-2001, फरवरी 2000—मार्च 2000

01-04-2001 से 14-10-2001, फरवरी 2001—मार्च 2001

ट्रस्ट लाभांश दर की घोषणा की तारीख से 42 दिन के भीतर आय वितरण वारण्ट प्रेषित कर देगा।

(4) प्रत्येक तिमाही के लिए आय वितरण ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर समतुल्य पर देय आय वितरण वारण्ट या अन्य किसी लिखत के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित रीति से और अवधि के लिए ऐसे सदस्यों के लिए, जिन पर लागू होगा, उत्तर दिनांकित आय वितरण वारण्ट भेजने का ट्रस्ट का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(5) उप खंड (4) के उपबंध के अधीन तिमाही आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिए वारण्ट सदस्य को भेजे जाएंगे। वारण्ट को इस प्रकार दिनांकित किया जाएगा कि सदस्य भुगतान के लिए परिपक्व होने पर प्रत्येक वारण्ट को भुना सके। हरेक वारण्ट तीन महीने के लिए वैध रहेगा।

वैध अवधि पूरी होने के पहले सदस्य के पास कोई वारण्ट नहीं पहुंचने या उसके पुराने हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

आय वितरण वारण्टों के गुम हो जाने/स्थान परिवर्तन के परिणामस्वरूप कपटपूर्ण ढंग से भुनाने की संभावनाओं से सावधानी बरतने के लिए आवेदकों से निवेदन है कि वे अपने बैंक खातों का विवरण (जैसे खातों की प्रकृति एवं संख्या, बैंक का नाम) आवेदन पत्र में उचित जगहों पर एवं अभिलेख के लिए पावती रसीद वाले हिस्से पर दें। आय वितरण वारण्ट बैंक के विनिर्दिष्ट खातों में जमा करने के लिए भेज दिए जाएंगे।

सदस्य आय वितरण वारण्टों को कथित बैंक में अपने खातों में जमा करें। अगर बैंक का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो, तो आय वितरण वारण्ट सदस्य के नाम से जारी किए जाएंगे।

(6) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, यदि नामिती यूनिट रखने का पात्र है और आगे भी यूनिट रखना चाहता है, तो ऐसा नामिती आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनुसार सभी वारण्ट वापस करने के लिए बाध्य होगा।

लेकिन आगे यूनिट रखने के इच्छुक नामिती मृत सदस्य के पक्ष में पहले से जारी वारण्ट को ट्रस्ट सुधार करके नये प्रतिष्ठित सदस्य के पक्ष में करने में लगने वाले समय के लिए कोई ब्याज या मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(7) पूर्ववर्ती उपखंडों में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद यथास्थिति, तिमाही, छःमाही या वार्षिक आधार पर आय वितरण करने, चाहे व्यय औचित्य, सदस्यों के हित या अन्य परिस्थितियों के कारण ट्रस्ट के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाए, का ट्रस्ट का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में ट्रस्ट अंग्रेजी भाषा के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा सदस्यों को सूचित करेगा। ट्रस्ट द्वारा ऐसी सूचना देने के बाद किसी भी सदस्य को तिमाही आधार पर आय वितरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

(8) पूंजी वृद्धि विकल्प :

पूंजी वृद्धि विकल्प के अंतर्गत कोई आय वितरण नहीं किया जाएगा। उपार्जित आय का पुनः निवेश किया जाएगा जो वह शुद्ध आस्ति मूल्य में प्रतिबिंबित होगी।

(9) अनिवासी भारतीय निवेशक को आय वितरण :

इस प्लान के अंतर्गत विदेशी विनिमय नियंत्रण विनियमों के अनुसार देय होगा । अनिवासी निवेशक आय वितरण वारंट प्राप्त करने के निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं :—

(1) लाभांश निवेशक के नाम से जारी किया जा सकता है जो उसके भारत के निवासी किसी रिश्तेदार को प्रेषित किया जाएगा ताकि वह निवेशक के एनआरई/एनआरओ खाते में जमा हो सके गा ।

(2) वारंट भारत के निवासी रिश्तेदार के नाम से जारी किया जा सकता है और उसके खाते में जमा करने के लिए प्रेषित किया जाएगा ।

आस्थगित आय यूनिट योजना 1991 (डी आई यू एस 91) का शेष ब्यौरा जारी

3. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन:

(क) शेयरों और डिबेंचरों में सूचीबद्ध निवेश जो मूल्यांकन से पहले दो महीनों तक उधृत नहीं हुए हैं, वे अनोधृत निवेश समझे जाएंगे ।

(ख) उधृत निवेशों के मामले में मूल्यांकन दर मूल्यांकन की तारीख की बाजार दर होगी या मूल्यांकन की तारीख को बाजार भाव उपलब्ध न होने के मामले में मूल्यांकन की तारीख से पहले दो महीनों के बीच किसी निकटतम दिन का उपलब्ध भाव होगी ।

(1) उधृत इक्विटी शेयर, जिनमें समय बंदी वाले/निवेश की कुल लागत की तुलना कुल बाजार मूल्य से की जाती है । निवेश का बाजार मूल्य तय करने के लिए :—

(1) उधृत इक्विटी शेयर जिनमें समय बंदी वाले/अधिमान शेयर भी शामिल हैं, मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं ।

(2) उधृत डिबेंचर और बाण्ड मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं लेकिन ब्याज सहित भावों के मामले में पिछली ब्याज की नियत तारीख से भाव की तारीख तक ब्याज के तत्व पर बट्टा काटा जाता है ।

(3) उधृत वारंट मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं ।

(4) अनोधृत इक्विटी/अधिमान शेयर (सूचीबद्ध परन्तु अनोधृत समझे जाने वाले शेयरों सहित) लागत पर या ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार लिए जाते हैं ।

(5) अनोधृत डिबेंचर और बाण्ड, जमानती अंतरणीय नोट और गैरजमानती अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईएमटी) के आधार पर या ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार मूल्यांकित किए जाते हैं ।

(6) अनोधृत वारंट संबंधित शेयरों की मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं । इनमें लाभांश तत्व, यदि कोई हो, का बट्टा काटा जाता है जो देय अर्जन लागत द्वारा घटाया गया होता है । जिन मामलों में देय अर्जन लागत बाजार मूल्य से ज्यादा हो, उनमें वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है ।

(7) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हों, वहां परिवर्तनीय भाव का आधार पर संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्व के लिए, यदि कोई है, बट्टा काटा गया है, को लागू मूल्यांकन दर पर लिया जाता है । ऐसे डिबेंचरों के शेष भाग का मूल्य ऊपर (5) के समान लिया जाता है । जहां डिबेंचरों और बाण्डों के परिवर्तनीय भाग के संबंध में परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां यह लागत पर लिया जाता है ।

(8) मुद्रा बाजार की बाध्यताएं बही मूल्य पर ली जाती हैं ।

(9) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन उधृत प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य के आधार पर और अनोधृत प्रतिभूतियों के लिए परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईएमटी) के आधार पर या ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाता है ।

(10) शेयरों/डिबेंचरों और बाण्डों के परिवर्तनीय भाग की अधिकार पात्रता, जहां परिवर्तन की शर्तें मालूम हों, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्व के लिए यदि कोई हो, बट्टा काटा गया हो, को लागू मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं । ऐसे डिबेंचरों और बाण्डों का शेष अपरिवर्तनीय भाग ऊपर (5) के अनुसार लिया जाता है ।

4. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का अभिकलन और प्रकटीकरण :

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के उपबंधों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा । प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना कोएनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा । योजना के तीनों विकल्पों के शुद्ध आस्ति मूल्य अलग-अलग निर्धारित किए जाएंगे । योजना आरम्भ होने की तारीख से छः महीनों के बाद एनएवी को (पर्ववर्ती आधार पर) कम-से-कम 2 दैनिक समाचार पत्रों में प्रत्येक छः महीनों में एक बार प्रकाशित किया जाएगा ।

5. (क) निवेश के उद्देश्य :

योजना का निवेश उद्देश्य मध्यस्थ या ग्राहकों को नियमित आय उपलब्ध कराना तथा योजना की परिपक्वता पर पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी है ।

योजना के अंतर्गत संगृहीत निधियों का सभी आनुषंगिक, कार्यपूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद निम्न रूप में निवेश किया जाएगा :

(1) निधियों का कम से कम 60% नियत आय प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा । निवेश का जोखिम घटक निम्न से मध्यम रहेगा ।

(2) निधियों का 40% इक्विटी, इक्विटी संबंधी लिखतों और मुद्रा बाजार निवेशों में निवेश किया जाएगा । निवेशों का जोखिम घटक ऊंचा हो सकता है ।

(3) मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश इस संबंध में सेबी द्वारा समय समय जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा ।

उपरकथित के बावजूद, ऊपर निर्दिष्ट निवेश अनुपात निवेश प्रबंधकों के विवेकानुसार परिवर्तित हो सकता है जो बाजार की स्थितियों/उपलब्ध निवेश अवसरों और योजना की कुल बिक्री में विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत की गई बिक्री पर निर्भर होगा ।

(ख) निवेश नीतियां

(1) सभी ऋण लिखत, जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाना है उनके निवेश दर्जे का निर्धारण सी आर आई एस आई एल/आई सी आर ए/सी ए आर ई या समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा किया जाएगा । परन्तु यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मण्डल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा ।

(2) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा ।

(3) निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों और अन्य असूचीबद्ध ऋण लिखतों के जरिए किया गया निवेश योजना की कुल आस्तियों के 40% से अधिक नहीं होगा ।

(4) यह योजना अपने निकाय का 5% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी ।

(5) इस योजना सहित सभी योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक किसी एक कम्पनी के शेयरों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा ।

(6) इस योजना की निधियों सहित सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक किसी एक उद्योग के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उद्योगों में निवेशों के लिए जारी की गई है और उस आशय की घोषणा प्रस्ताव पत्र में की गई है ।

(7) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण तात्कालिक आधार पर किए गए हों ।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं ।

(ग) योजना से सूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) यह योजना यूटीआई की किसी अन्य योजना/प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे उधार नहीं देगी ।

(9) यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी अन्यथा जब तक सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियमों/दिशा निर्देशों/निदेशों के अन्तर्गत अनुमति न मिली हो ।

(ग) तथापि, ऊपर खण्ड 3, 4 और 5(ख) के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उसके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय समय पर जारी सेबी के (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों और निदेशों के अनुसरण में होगा ।

(घ) उपर कथित के बावजूद, आगे चलाई गई (रोल्ड ओवर) योजना में ऐसी गैर-अंतरणीय/गैर दर्जा निर्धारित/असूचीबद्ध आस्तियां बनी रहेंगी जो इसमें 31 अगस्त 1996 से इन आस्तियों की या रोल ओवर प्लान की परिपक्वता तक, जो भी पहले हो बनी रहें । और इन आस्तियों की मात्रा किसी भी हाल में नए प्लान में रोल ओवर की गई निधियों से अधिक नहीं होगी । इन आस्तियों का मूल्यांकन न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगा ।

6 विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके । इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट की छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों के लिए भी किया जा सकता है ।

7. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

8 लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा निर्धारित रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना और इसके अन्तर्गत बने

प्लान के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट सेबी को विधिवत् रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और लाभ हानि लेखा अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिसका सूचित किया जाना आवश्यक हो । ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

सेबी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत कर दी है जो सेबी के विचाराधीन है, अतः सेबी द्वारा जारी विनियमों/दिशानिर्देशों पर निर्भर करते हुए शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां परिवर्तन के अधीन होंगी ।

9. योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों की स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

जो विधिवत सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना जारी की गई है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में माना होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित की मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

10. यूनिटों का अंतरण/गिरवी/समनुदेशन :

इस योजना के अन्तर्गत जारी यूनिट अंतरणीय/गिरवी रखने योग्य/समनुदेशनीय नहीं है ।

11. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

कोई समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किये गये परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी । किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा ।

12. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :

(क) योजना और इसके अंतर्गत बना प्लान पूर्ण रूप से 14-10-2001 को समाप्त हो जाएगा । सदस्यों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी ।

निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । फिर भी, ट्रस्ट, लिखित रूप में सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में सदस्यों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरम्भ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाले किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके ।

(ख) ट्रस्ट योजना को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :—

(1) योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 14 अक्तूबर, 2001 को अथवा 5 वर्ष के आगे ऐसी तारीख को समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा निर्धारित हो ।

(2) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या

(3) यदि योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(4) यदि सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए, निर्देश दे ।

(ग) जहां उपर्युक्त खण्ड (ख) के अधीन योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को समापन की कारक परिस्थितियों की सूचना समापन के प्रभावी होने से कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को देनी होगी और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी ।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि और उस तिथि से ट्रस्ट :—

(1) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बन्द करेगा ।

(3) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(च) (1) न्यासी मण्डल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए खण्ड (च) (1) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टांत में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति के निर्णय की तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति पर एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व निधि की आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई निधियों का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र शामिल होगा ।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी (म्यूच्युअल फंड) विनियमन 1993 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे ।

(झ) खण्ड 12 (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(ञ) पुनर्खरीद के लिए पत्र के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । पुनर्खरीद के लिए प्राप्त सदस्यता सूचना और अन्य फार्म, यदि कोई हो, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे।

(ट) अनिवासी निवेशकों के मामले में, पुनर्खरीद/परिपक्वता राशि निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए नीचे बताए अनुसार प्रेषित की जाएगी :—

(1) जब यूनिट विदेश से प्रेषित विदेशी मुद्रा में अथवा सदस्य के एफसीएनआर में जमा राशि से अथवा सदस्य के भारत में रखे अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा निधि से खरीदे गए हों, तब सदस्य को विदेशी मुद्रा में राशि का प्रेषण किया जाएगा ।

(2) जब यूनिटों की खरीद सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा निधि से की गई हो, तब परिपक्वता चेक निवेशक के भारत में रहने वाले रिश्तेदार को भेजा जाएगा ।

13. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार .

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा ।

इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान, जैसा कि योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं ।

14. उपबंधों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिये योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है, परिवर्तित या संशोधन कर सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

प्रावधान में परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा ।

15. योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान सदस्यों के लिये बाध्यकारी होगा :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिये इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानों वह इस बात के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है कि योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद वे उसके लिये बाध्यकारी होंगे ।

16. सदस्यों को लाभ

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिक राशि के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिये यूनिट के धारक रहे हों ।

कर-मार्गदर्शक :

स्रोत पर कर की कटौती :

निवासी :

वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार धारा 194के के अनुसार ट्रस्ट द्वारा इस प्लान के अंतर्गत व्यक्ति सदस्यों को देय आय पर 15% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी । बशर्ते वित्तीय वर्ष के दौरान यह आय रु. 10,000/- से अधिक हो। इसी प्रकार हिंदू अविभक्त परिवारों (एचयूएफ) को देय आय से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी यदि यह आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 10,000/- से अधिक हो ।

अनिवासी

वित्त अधिनियम, 1995 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196ए को अनिवासी भारतीय द्वारा यूटीआई को किसी भी योजना के यूनिटों के संदर्भ में प्राप्त आय पर 20% की दर से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने हेतु प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिसे उन्होंने अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी करके अर्जित किया हो ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, द्वारा जारी 24 जनवरी, 1996 के परिपत्र सं. 734 एफ सं. 500/4/96-एफटीडी के अनुसार यूएई में रहने वाले अनिवासी यूनिट धारकों को बाहर कराधान से बचाव हेतु, जहां निधि का स्रोत एनआरओ है, स्रोत पर 15% की रियायती दर से कर कटौती की जाएगी ।

कर कटौती नहीं

निवासी

सदस्य (जो कंपनी या फर्म न हो) जो स्रोत पर कर की कटौती के बिना आय चाहते हैं उन्हें ट्रस्ट को लिखित रूप से निर्धारित फार्म सं. 15 एच पर दो प्रतियों में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे इस आशय की निर्धारित रीति से सत्यापित किया जाना चाहिए कि उसकी गत वर्ष की अनुमानित कुल आय पर कर "शून्य" होगा । स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने संबंधी निर्धारित फार्म आवेदन पत्र के साथ तथा उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आय वितरण वारंटों के भेजे जाने के कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ऐसा न करने पर प्रचलित कराधान कानूनों के अनुसार कर कटौती की जाएगी ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10(23एए) अथवा 10(23सी) के अंतर्गत आनेवाले पात्र ट्रस्टों द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

अनिवासी

अनिवासियों के मामले में, यदि यूनिटों की खरीद सीधे विदेशी मुद्रा के प्रेषक के जरिए अथवा भारत में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते के जरिए अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई है तो ऐसे यूनिटों से प्राप्त आय पूर्णतया आयकर से मुक्त है। उपरोक्त मामले में यूटीआई स्रोत पर कर की कटौती नहीं करेगा, भले ही लाभांश की राशि कितनी भी हो।

कर रियायतें

प्लान के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा। वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार "डीआईपी-91" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं और अन्य योग्य निवेशों के अंतर्गत सभी निवासियों और अनिवासियों (यदि यूनिटों की खरीद अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी के जरिए की गई हो) लाभांश के जरिए व्यक्तियों और हिंदू अविभक्त परिवारों की आय] को यूनिटों से प्राप्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल के अंतर्गत रु. 13,000/- तक की कुल सीमा तक आय से कटौती उपलब्ध होगी।

इस प्लान के अंतर्गत होनेवाला कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत अधिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा।

इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से मुक्त है।

पात्र ट्रस्टों के लिए :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) (बी) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। अतः यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे।

सदस्यों के अधिकार

1. प्लान की अधीन सदस्यों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है।

2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. लाभांश की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर सदस्य लाभांश वारंट के प्रेषित किए जाने के हकदार होंगे।

4. सदस्यों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मिसल कोर्ट, बी विंग, नरीमन पाइंट, मुंबई-400021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत सभी योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित सभी प्रतिभूतियों की सपुर्दगी लें और उन्हें अभिरक्षा में धारित करें। अभिरक्षक उनकी सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे।

जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा। अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस के कपूर एण्ड कं. 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मैसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री, मांकजी वाडिया बिल्डिंग 127, महात्मा गांधी रोड, मुंबई। योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन है।

निवेशकों की शिकायतें

01-07-95 से 30-04-96 तक की अवधि के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या जिनका निवारण किया गया और लंबित शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

योजना	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त शिकायतों से लम्बित शिकायतों का प्रतिशत
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	लम्बित शिकायतें	
1	2	3	4	5
सी० एम० एम० एफ०	1433	1368	65	4.54%
सी० सी० जी० एफ०	12183	11604	579	4.75%
सी जी० यू० एस–91	1868	1840	28	1.50%
सी० आर० टी० एस०	134	128	6	4.48%
डी० आई० यू० पी०–93	195	162	33	16.92%
डी० आई० यू० पी०–95	37	29	8	26.62%
डी० आई० यू० एस०–90	1280	1263	17	1.33%
डी० आई० यू० एस०–91	926	914	12	1.45%
डी० आई० यू० एस०–92	868	863	5	0.58%
आई० आई० एस० एफ० यू० एम०	3	2	1	33.33%
जी० सी० जी० आई०	366	347	19	5.19%

1	2	3	4	5
ग्रैंड मास्टर 93	259	247	12	4.63%
जी० एम० आई० एस०-91	1977	1860	117	5.92%
जी० एम० आई० एस०-92	931	858	73	7.84%
जी० एम० आई० एस०-92 (II)	719	694	25	3.48%
जी० एम० आई० एस० बी०-92	164	137	27	16.46%
जी०एम०आई०एस०बी०-92(II)	700	680	20	2.86%
जी० यू० पी०-94	1307	1270	37	2.83%
एम० ई० पी 91	2988	2934	54	1.81%
एम० ई० पी० 92	21367	20779	588	2.75%
एम० ई० पी० 93	2194	2150	44	2.01%
एम०ई० पी० 94	4005	3947	58	1.45%
एम० ई० पी० 95	26563	26481	82	0.31%
मास्टर गेम 92	19670	9721	949	30.58%
मास्टर ग्रोथ 93	1395	1299	96	6.88%
एम०आई०पी० 93	1593	1562	31	1.95%
एम०आई०पी० 94 (I)	1065	1044	21	1.97%
एम०आई०पी० 94 (II)	1395	1367	28	2.01%
एमआई पी 94 (III)	3370	3303	67	1.99%
एम० आई०पी०-95	352	337	15	4.26%
एम० आई० पी० 95 (II)	276	232	44	15.94%
एम० आई० पी० 95 (III)	80	56	24	30.00%
एम० आई० एस० 90 (I)	444	256	188	42.34%
एम० आई० एस० 90 (II)	958	874	84	8.77%
एम० आई० एस०-बी०-93	703	681	22	3.13%
एम० आई० एस० जी०-91	1319	1202	117	8.87%
मास्टर प्लस 91	5064	4579	485	9.58%
मास्टर गेयर-86	26061	17813	8248	31.65%
ओमनी प्लान	56	36	20	35.71%
पी० ई०एफ०	650	506	144	22.15%
आर० बी० पी०	2765	2688	77	2.78%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	8069	7804	265	3.28%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1306	1232	74	5.67%
यू० जी० एस०-2000	55795	55157	638	1.14%
यू० जी० एम०-5000	11902	11557	345	2.90%
यूलिप	10104	8936	1168	11.56%
यू० एस-64	449045	438930	10115	2.25%
यू एस-92	18	180	9	4.76%
यू एम-95	4	4	0	0.00%
कुल	685997	651813	34184	4.98%

शिकायतें लंबित रहने के कारण :

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना ।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना ।

(5) डाक सेवा में विलंब ।

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना ।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना ।

सभी निवेशक निवेश का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अपनी शिकायतें सम्बंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पतों पर भेज सकते हैं :

पश्चिम अंचल : भारतीय यूनिट ट्रस्ट, निवेशक संपर्क कक्ष, कामर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, जी. डी. सोमानी मार्ग, कफ परेड, मुंबई-400 005 टेली 2180172/2181600 ।

पूर्वी अंचल : भारतीय यूनिट ट्रस्ट, निवेशक संपर्क कक्ष, 2, फेयरली प्लेस 2री मंजिल, कलकत्ता-700 001, टेली : 2434581 ।

दक्षिणी अंचल : भारतीय यूनिट ट्रस्ट, निवेशक संपर्क कक्ष, यूटीआई हाउस, 29 राजाजी सालै, मद्रास-600001 टेली : 517101 विस्तार : 360/364 ।

उत्तरी अंचल : भारतीय यूनिट ट्रस्ट, निवेशक संपर्क कक्ष, हेरोल्ड हाउस, 2री मंजिल, 5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 टेली : 3329860 ।

रजिस्ट्रार

मैसर्स एमसीएस लि., श्री पद्मावती भवन, प्लाट नं. 93, रोड नं. 16, एमआईडीसी एरिया, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093, टेलिफोन नं. 8368681 को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, सदस्यता सूचनाओं को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है ।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सबाए-रजिस्ट्रार की चार मुख्य शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिम अंचल : श्री पद्मावती भवन, प्लाट नं. 93, रोड नं. 16, एमआईडीसी एरिया, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093, टेलिफोन नं. 8368681 ।

पूर्वी अंचल : श्री वेंकटेश मंगलम, 24/26 हेमंत बासु सरणी, कलकत्ता-700 001 टेलिफोन नं. 2487465 ।

दक्षिणी अंचल : श्री वेंकटेश भवन, 35 अर्मेनियम स्ट्रीट, मद्रास-600 001, टेलिफोन नं. 5231848, 523-1007 ।

उत्तरी अंचल : श्री वेंकटेश भवन, 212ए शाहपुर जाट, नई दिल्ली-110 049, टेलिफोन नं. 6213830 ।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज :

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्व-विद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400 020 में उपलब्ध रहेंगे :

* यूटीआई अधिनियम

* सामान्य विनियम

* अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार

* डीआईपी 91, के पेंशकश दस्तावेज की प्रति ।

यू. टी० आई० के चार पूर्व आस्थगित आय योजना/प्लानों का ब्यौरा

योजना/प्लान का नाम	डी० आई यू एस /91	डी० आई० यू० एस/92	डी० आई० यू० एस/93	डी० आई० पी०/95
आरम्भ होने की तिथि	01-08-1991	10-08-1992	01-10-1993	01-10-1995
समाप्ति तिथि	01-09-1996	30-08-1997	30-09-1998	30-09-2000
लाभांश	पहले दो वर्षों के लिये कोई लाभांश नहीं। 3रे, 4थे और 5वें वर्ष के लिये क्रमशः 18%, 24% और 30% की दर से तिमाही आधार पर	पहले दो वर्षों के लिये कोई लाभांश नहीं। 3रे, 4थे और 5वें वर्ष के लिये 28% की दर से तिमाही आधार पर	पहले दो वर्षों के लिये कोई लाभांश नहीं। 3रे, 4थे और 5वें वर्ष के लिये 28% की दर से तिमाही आधार पर	पहले दो वर्षों के लिये कोई लाभांश नहीं। 3रे, वर्ष में 26% की दर से तिमाही आधार पर। 4थे और 5वें वर्ष के लिये लाभांश पूर्व वर्ष की समाप्ति से पहले घोषित किया जायगा और तिमाही आधार पर अदा किया जायेगा।
संचयी विकल्प	5 वें वर्ष की समाप्ति पर यूनिटों को पुनर्खरीद, पुनर्खरीद मूल्य पर की जायेगी और उसका मूल्य रु० 20/- प्रति यूनिट से कम नहीं होगा।	5 वें वर्ष की समाप्ति पर यूनिटों की पुनर्खरीद, पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी और उसका मूल्य रु० 21/- प्रति यूनिट से कम नहीं होगा।	रु० 2000/- बनते हैं रु० 4,075/-	तीसरे वर्ष की चौथे तिमाही के आरम्भ में प्रत्येक रु० 1000/- के निवेश का विनिवेशक मूल्य होगा रु० 1260/-
संग्रहित राशि (रु० करोड़)	205.23	128.7	376.56	98.75
आवेदनों की संख्या	189465	95930	246830	68192

पूर्ववर्ती आंकड़े—डी०आई०यू०पी० सूचना

(रु० करोड़ में)

विवरण		डी०आई०यू०एस० 92					डी०आई०यू०पी० 93				डी० आई०यू०पी० 95	
		1992–93	1993–94	1994–95	31–12–95$	1995–96*	1993–94	1994–95	31–12–95$	1995–96*	31–12–95$	1995–96*
(क) सकल आय		13.27	35.46	26.89	14.21	30.47	34.16	59.01	31.90	64.31	4.75	13.22
(ख) व्यय (प्रावधानों सहित)		5.57	0.79	2.12	6.61	8.83	3.86	2.42	14.03	14.97	0.35	0.95
(ग) शुद्ध आय (क–ख)		7.70	34.67	24.77	7.60	21.64	30.30	56.59	17.87	49.34	4.40	12.27
(घ) लाभांश		–	–	8.87	5.32	10.65	–	0.00	4.92	14.75	0.00	0.00
(ङ) एन०ए०वी.	आरंभ में	–	10.28	14.81	–	14.51	–	11.83	–	12.35	–	0.00
	अंत में	10.28	14.81	14.51	14.68	15.34	11.83	12 35	12.67	13.17	10.43	11.40
(च) पुनर्खरीद	आरंभ में	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	अंत में	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(छ) औसत मासिक शुद्ध आस्तियों का व्यय (%)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ज) पोर्टफोलियो टर्नओवर दर		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(झ) बाजार मूल्य	उच्चतम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	न्यूनतम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ञ) बिक्री मूल्य (रु० में)	उच्चतम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	न्यूनतम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ट) अवधि के अंत में यूनिटों की संख्या (लाखों में)		1285.77	1286 31	1285.50	1285.29	2285.10	3765.11	3756.41	3752.30	3750.00	998.15	1002.60

*अनन्तिम

$31–12–1995 को (अ–लेखा परीक्षित छः माही परिणामों के अनुसार)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
कार्पोरेट कार्यालय
13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाईन्स),
मुम्बई-400020, दूरध्वनि : 2068468
आंचलिक कार्यालय
पश्चिमी अंचल : केन्द्र-1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005, दूरध्वनि-2181600/2181254, पूर्वी अंचल 2 फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700001 दूरध्वनि-2209391/2205322 दक्षिण अंचल : यूटीआई हाउस 29, राजाजी सालै, मद्रास-600001, दूरध्वनि-517101 उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13वीं मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरध्वनि-3329860/3329858 ।

पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

मुम्बई मुख्य शाखा कार्यालय

केन्द्र-1, 29वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005,

दूरध्वनि-2181600/2180057

शाखाएं, जहां आवेदनपत्र जमा किए जा सकते हैं

अहमदाबाद : बी जे हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, दूरध्वनि-6423-043 बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्सेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि-332481 भोपाल : पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, दूरध्वनि-558308 मुम्बई (1) यूनिट नं. 2, ब्लाक 'बी' जेवीपीडी शापिंग सेन्टर के सामने, गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई-400049, दूरध्वनि-6201995 मुम्बई : (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आन्ध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नयी मुम्बई-400703, दूरध्वनि-7672607 मुम्बई : (3) नोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुम्बई-400020, दूरध्वनि-2850321/822, (मुम्बई शाखा के लिए) मुम्बई : (4) अवधा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुम्बई-400092, दूरध्वनि-8020521 मुम्बई : (5) सागर वोनांजा, पहली मंजिल, खोत लैन, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086, दूरध्वनि-516-2256, इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796, कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी. एस. नं. 511, के एच-1/2, ई वार्ड, दाबोलकर कर्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि : 657315, नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, (किंग्सवे), नागपुर-440001, दूरध्वनि : 536893 नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम. जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि 72166 पणजी : ई. डी. सी. हाउस, भूतल, डा. ए.बी. मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि : 222472 पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्यूसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005, दूरध्वनि : 325954 राजकोट : लल्लुभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, शिवाजी राज रोड, राजकोट-360014, दूरध्वनि : 35112 सूरत : सैफी बिल्डिंग, डच्च रोड, नानपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 434550। ठाणे : यटीआई हाउस, ठाणे पोस्ट कार्यालय के समीप, स्टेशन रोड, ठाणे (पश्चिम)-4000601, दूरध्वनि : 5400905।

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002 दूरध्वनि : 54408 इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद 211003 दूरध्वनि : 50521, अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्वींस रोड, अमृतसर-143001, चण्डीगढ़ : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017 दूरध्वनि 543683, देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून 248001, दूरध्वनि 26720, फरीदाबाद : बी-611-617 नेहरू ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद-121001, गाजियाबाद : 41 नवयुग मार्केट, सिहानी गेट के पास, गाजियाबाद-201001, जयपुर : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर 302001, दूरध्वनि : 365212, कानपुर : 16/79ई, सिविल लाइन्स, कानपुर 208001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिजेंसी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ-226001, दूरध्वनि-232501, लुधियाना : सोहन पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना-141-001, दूरध्वनि-400373, नई दिल्ली : गुलाब भवन (पिछला ब्लाक), दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरध्वनि-3318638/3319786, शिमला : 3, माल रोड, पहली मंजिल, (जानकीदास एण्ड क. डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर), शिमला-171002, दूरध्वनि-4203, वाराणसी : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221001, दूरध्वनि-54306/54262/54272।

दक्षिण अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलौर : विश्व व्यापार केन्द्र, चेंबर आफ कामर्स, कोम्पेगौड़ा रोड, बंगलौर-560009, दूरध्वनि-2263739 कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011, दूरध्वनि-362354, कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्ट्स कालेज रोड, कोयम्बतूर-641-018, दूरध्वनि-214973, हुबली : कालकर्णी मेंशन, 4थी मंजिल, लेमिंग्टन रोड, हुबली-580020, दूरध्वनि-363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500001, दूरध्वनि-511095 मद्रास : यू. टी. आई. हाउस, 29, राजाजी सलाई, मद्रास-600001, दूरध्वनि-517101/513695, मदुरई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्ड्रम रोड, मदुराई-6250001, दूरध्वनि-38186, मंगलौर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलौर-575001, दूरध्वनि-426258, तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुअनंतपुरम-695-001, दूरध्वनि-331415, त्रिची : 104, सलाई रोड, थोरेयर, तिरुचिरापल्ली-620003, दूरध्वनि-27060, त्रिचूर 28/876/77, वेस्ट पल्लिथामास बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउन्ड नार्थ, त्रिचूर-680020, दूरध्वनि-331259, विजयवाड़ा : 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा-520002, दूरध्वनि-74434, विशाखापट्टनम : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47-15-6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम-530016, दूरध्वनि-548121।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : शाखा निवास, 246, लेविस रोड, भुवनेश्वर-751014, दूरध्वनि-56141, कलकत्ता : 2 और 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि-2209391/2205322 दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216, दूरध्वनि-4831, गुवाहाटी : जीवन दीप, एच एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी-781001, दूरध्वनि-543131 जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्टुपुर, जमशेदपुर-831001, दूरध्वनि-425508, पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंजिल, एक्जिबिशन रोड, पटना-800001, दूरध्वनि-235001 सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सरनी, सिलीगुड़ी-734401, दूरध्वनि-24671।

BANK OF INDIA

INDUSTRIAL LAW DIVISION

HEAD OFFICE

Mumbai-400 021, the 1996

No. IL-96-97.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-Section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. Short Title and Commencement

(1) These Regulations may be called Bank of India Officer Employees (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 for the Schedule, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Sl. No.	Scale of the Officer employee	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
1.	Officers in Scale I & II	Deputy Zonal Manager/Regional Manager/Chief Manager/Officer in Scale IV	Zonal Manager in Scale V/ Joint Zonal Manager/ Chief Regional Manager/Assistant General Manager	General Manager
2.	Officers in Scale III	Zonal Manager in Scale V/Joint Zonal Manager/Chief Regional Manager/ Assistant General Manager	Zonal Manager in Scale VI/ Deputy General Manager	General Manager
3.	Officers in Scale IV	Zonal Manager in Scale VI/ Deputy General Manager	General Manager	Executive Director
4.	Officers in Scale V & VI	General Manager	Executive Director	Chairman & Managing Director
5.	Officers in Scale VIII	Executive Director	Chairman & Managing Director	Committee of Board

NOTE FORMING PART OF SCHEDULE

1. Any authority higher than the one specified in columns (iii), (iv) and (v) above is empowered to exercise the powers of Disciplinary or Appellate or Reviewing Authority as the case may be.

2. Wherever the Disciplinary or Appellate or Reviewing Authority is appointed/nominated by designation, any person officiating in such designated post shall ipso-facto exercise the authority of Disciplinary or Appellate or Reviewing Authority as the case may be.

3. Wherever there are more than one officer of the same designation who can function as Disciplinary or Appellate or Reviewing Authority or where such authorities are not in a position to function as such or for any reason whatsoever, then :—

(i) the Executive Director and in his absence the Managing Director by general or special order shall empower :—

(a) an officer not below the rank of Zonal Manager in Scale V/Assistant General Manager to nominate which officer of the appropriate scale shall function as Disciplinary Authority in respect of Officers in Scale I and II;

(b) an officer not below the rank of Zonal Manager in Scale VI/Deputy General Manager to nominate which officer of the appropriate scale shall function as Appellate Authority in respect of officers in Scale I & II and Disciplinary Authority in respect of Officers in Scale III;

(c) the General Manager to nominate which officer of the appropriate scale shall function as Appellate Authority in respect of Officers in Scale III and as Disciplinary Authority in respect of officers in Scale IV.

(ii) the Executive Director and in his absence the Managing Director shall decide which General Manager shall function as (a) Disciplinary Authority in respect of officers in Scale V and VI (b) Appellate Authority in respect of officers in Scale IV and (c) Reviewing Authority in respect of officers in Scale I, II and III.

4. Where the Executive Director is not in a position to function as Disciplinary Authority and as Appellate Authority or Reviewing Authority or the Managing Director is not in a position to function as Appellate Authority or as Reviewing Authority, then the Board shall appoint any one of the Directors to be the Disciplinary or Appellate Authority in the place of the Executive Director and a Committee of two or more Directors to be the Appellate or Reviewing Authority in the place of the Managing Director. Reviews arising out of the appeals disposed of by the Committee of Directors shall lie to the Board.

5. The Appellate or Reviewing Authorities for officer employees posted in establishment outside India and for those on deputation shall be the same as for officer employees posted in Head Office.

6. Where disciplinary action is required to be taken against more than one officer in respect of a common misconduct or a common transaction or series of transactions, then the

Disciplinary Authority for the seniormost officer concerned is empowered to initiate disciplinary proceedings against all such officers. Correspondingly, Appellate and Reviewing Authorities for all such officers will be same as those for the seniormost officer.

7. The above Schedule is applicable also to those officers who have not opted for fitment in the Scales of Pay under the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, and in their cases, their Scales for the purpose of this Schedule would be notionally determined as per the fitment formula under the said Service Regulations.

8. Any proceedings which have been initiated but not yet been completed by the appropriate authority on the date of coming into force of this Schedule shall be continued and/or disposed of as far as may be by the same authority who initiated such proceedings."

K. M. MEHROTRA
General Manager

PERSONNEL DEPARTMENT

Mumbai-400 021, the 18th October 1996

No. P-IR-SAH-706.—The notification pertaining to Amendment to Regulation 49(ii) vide P-IR(O)-SAH-506 dated 27-6-95 in Part III—Section 4, the Gazette of India No. 38 dated 23rd September, 1995, shall be read as under :—

In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Director of Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 namely :—

1. Short title and Commencement :—

(1) These regulations may be called the Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Regulation 49(ii) of Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 shall be substituted by the following :—

"During the joining time an Officer shall be eligible to draw the emoluments as applicable to the place of transfer."

J. CHAKRABORTY
Dy. General Manager
(Personnel)

The 24th October 1996

No. P-IR-SAH-740.—Corrigendum in the notification published vide P-IR-SAH-191 dated 30-5-1995 in Part III—Section 4, the Gazette of India No. 29 dated 22nd July, 1995 pertaining to amendment to Regulation 2 :—

Published as	To be published as
.....Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970)/1980 (40 of 1980) the Board of Directors.....	.....Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors.....

J. CHAKRABORTY
Dy. General Manager
(Personnel)

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 28th June 1996

No. UT/DBDM/R-115/SPD51/95-96.—The amendments to the provisions of Unit Scheme, 1964 (U S '64) made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 3rd June, 1996 to come into effect from the 1st of July 1996 are published herebelow :—

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

ANNEXURE

AMENDMENTS TO UNIT SCHEME, 1964

(1) Clause No. 4(4) on 'Application for units' is amended as

The minimum investment shall be Rs. 2000/-. Depending on the sale price of units on the acceptance date units will be allotted upto three places after decimal.

(2) Last sentence of Clause No. 6 on 'Sale of units' is amended as :

Each application shall however be for a minimum investment of Rupees two thousand with no maximum limit.

(3) Clause 7 (ii) on 'Repurchase of Units' is amended as :

No repurcahse so made should result in unitholder having a balance of less than 200 units (i.e. face value of Rs. 2000/-), in which case the entire unitholding in the account of the investor will be repurchased.

(4) Clause 16(2) on 'Register of unitholder' is amended as :

No application for registration as a unitholder shall be entertained unless the application is for an investment of minimum Rupees two thousand.

Provided that where, no death of a unitholder, any other person becomes entitled to a number of units whose face value is less than Rupees two thousand, such person may be registered as a unitholder in respect of such number units.

(5) Clause 20 (1) on 'Transfer of Units' is amended as :

Every unitholder shall be entitled to transfer the units or any of the units held by him by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust, provided that no Transfer shall be registered if the Registration thereof would result in the transferor or the transferee being a holder of a number of units whose face value, as on date of transfer, is less than Rupees two thousand.

No. UT/DBDM/R-118/SPD 92/95-96.—The amendments to the provisions of UTI Equity Opportunity Fund 96 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 8th May, 1996 to come into effect from the 1st of July 1996 are published herebelow :—

A. G. JOSHI
General Manager,
Business Development & Marketing

ANNEXURE

AMENDMENTS TO UTI EQUITY OPPORTUNITY FUND 1996

(1) Highlight (Point No. 3) is amended as :

Repurchase allowed at NAV based price after Six months from the date of allotment i.e. from 1st January, 1997 at NAV based repurchase price.

(2) Clause XV(I) on 'REPURCHASE OF UNITS' is amended as :

The Trust will repurchase units after six months from the date of allotment i.e. from 1st January, 1997 at NAV based repurchase price upto a maximum of 5% of the outstanding unit capital per month on a first come first served basis.

Repurchase will close once the repurchase demand reaches 5% of the unit capital outstanding at the begining of the month.

The repurchase price shall be the historic NAV less discount not exceeding 5% of the NAV. Repurchase shall be declared once every three months during the first six months of lock-in-period (for settlement of death claim cases). On completion of lock-in-period of six months i.e. from 1-1-97 NAV based repurchase price shall be declared on weekly basis.

(3) Second paragraph of clause on XXI on 'COMPUTATION AND DECLARATION OF NET ASSET VALUE (NAV)' is amended as under :

The repurchase price shall be the historic NAV less a discount not exceeding 5% of the NAV. The repurchase price shall be declared initially once every three months upto 31/12/96 (only for settlement of death claim cases). Thereafter the NAV based repurchase price shall be declared on a weekly basis from 1st January, 1997.

The 9th July 1996

No. UT/DBDM/122/SPD59A/96-97.—The amendments to the provisions of the RAJLAKSHMI UNIT SCHEME (II) [RUS (II)] made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) and the LAJLAKSHMI UNIT PLAN (II) [RUP (III)] made under Section 19 (1) (8) (c) of the said Act approved by the Executive Committee in the meeting held on 3rd June, 1996 to come into effect from the 1st of July 1996 are published herebelow :—

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

ANNEXURE

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF RAJLAKSHMI UNIT SCHEME (II) [RUS (II)] AND RAJLAKSHMI UNIT PLAN (II) [RUP (II)]

(1) 2nd Sentence of the Objective of the Scheme is amended as :

The amount invested in favour of the child is irrevocable in nature and can be claimed only by the child on completion of maximum lock-in-period ranging from 16 to 20 years. However, premature repurchase is allowed under the scheme after completion of 18 years of age of the girl child i.e. after the minimum lock-in-period ranging between 13 years and 18 years depending upon the age of the child.

(2) Last paragraph of clause No. VIII on 'How the Scheme Works' in the provisions of the Scheme is amended as :

There is also a facility to withdraw the maturity proceeds only after completion of 18 years of age of the child I.e. after the minimum lock-in period ranging between 13 years and 18 years depending upon the age of the Child. The table given below indicate the maturity value for various lock-in-periods for a minimum amount of investment of Rs. 1,500/- :—

Lock-in-period	Maturity amount payable after completion of lock-in-period
13	Rs. 7,000/-
14	Rs. 8,150/-
15	Rs. 9,500/-
16	Rs. 11,000/-
17	Rs. 13,000/-
18	Rs. 15,000/-

(3) Clause No. V (vi) on 'Mode of Payment' in the provisions of the Plan is amended as :

An appliacnt desirous of participating in the scheme may, at the time of making the application or at any time during the period the child participates in the scheme, indicated in the application that in the event of the child dying within the stipulated lock-in-period, ranging from 16 years to 20 years depending on the age of child at entry, another girl child mentioned in this behalf in the application, who is not more than 5 years of age at the time of making the application shall be entitled to all the rights of the first mentioned child.

On the death of the first mentioned child within the stipulated lock-in-period, ranging from 16 years to 20 years depending on the age of child at entry, the provisions of the scheme shall apply as if the surviving second mentioned child had been the only child mentioned in the application.

(4) Clause No VII (1) on 'Repurchase of Units' in the provisions of the Plan is amended as :

The child shall be entitled to repurchase the units after completion of lock-in-period ranging from 16 to 20 years.

Additionally, facility of premature repurchase shall be available after child completes 18 years of age.

(5) Clause No. XVII (i), (ii), (iii) and (vi) (a) on 'Death of the Member' in the provisions of the Plan is amended as :

(i) In the event of the death of the child in whose favour units have been issued before the completion of the lock-in-period ranging from 16 to 20 years, Trust shall pursuant to what has been stated in Clause (iv) (vi) hereln, recognise the alternate child if any as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units issued in favour of the child.

(ii) In the event of the death of the child, the alternate child shall continue in the scheme upto the completion of the lock-in-period ranging from 16 to 20 years provided however the applicant furnishes to the Trust all the necessary particulars incidental thereto and as may be called for by the Trust to enable the alternate child to continue in the scheme.

(iii) In the event of the death of the child during the lock-in-period ranging from 16 to 20 years and where no alternate child has been named the executor or administrator of the deceased child or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act (39 of 1925) shall be the only person/s who will be recognised by the Trust as having any title to the units.

(vi) (a) The money invested in the scheme should be received by the girl on copmletion of the lock-in-period ranging from 16 to 20 years or after child completes 18 years of age and that in the event of the death of the child before the maturity of the investment the same should become payable to the institution and the institution should be entitled to receive the same.

(6) Clause No. XIX (a) and (d) on 'Maturity Under The Scheme' in the provisions of the Plan is amended as :

(a) The child shall continue to participate in the Scheme till the child completes the lock-in-period ranging between 16 to 20 years. However, there shall be a facility for premature repurchase after the child completes 18 years of age.

(d) If no application for repurchase is made by the child when she completes the maximum lock-in-period ranging from 16 to 20 years (depending on the age of the child at entry), the money will remain with the Trust and paid to the child without any interest thereon.

The 25th July 1996

No. UT/DBDM/R-128/SPD51/96-97.—The amendments to the provisions of Unit Scheme, 1964 (U S '64) made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 26th June 1996 are published herebelow :—

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

ANNEXURE

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF UNIT SCHEME, 1964 (US-64)

(1) In Clause 2 of the Scheme, in para (f) after the words "unit capital", the following words are inserted :

"and includes, where the context so requires, a unit issued as bonus unit by capitalising a part of the amount standing to the credit of the account of the reserve formed or otherwise in respect of this Scheme."

(2) New Clause 9B is inserted after Clause 9A of the provision of the scheme.

"9B. Issue of Bonus Units

The Trust may issue further or additional units credited as fully paid up to unitholders as provided in Clause 2 (f) by capitalisation of reserve or otherwise and shall thereupon issue unit certificates in respect of such bonus units to the unitholders entitled thereto upon request or otherwise."

(3) New Clauses 15A & 15B are inserted after Clause 15 (3) in the provision of the Scheme.

"15A. Notwithstanding anything contained in clauses 11, 12, 13, 14, 15, the Board may decide to issue certificate in respect of bonus units upon request of a unitholder and not otherwise.

15B. Provisions relating to unit certificate in this Scheme shall be deemed to apply also in respect of Bonus units."

(4) Following is inserted at the end of Clause 22(iii) of the scheme provision :

"Provided that in relation to any year in which the Trust has declared a dividend of not less than ten per cent, on the unit capital the requirement as to distribution of not less than ninety per cent of such income in such year as so reduced shall not apply."

(5) New Clause 23A is inserted at the end of clause 23 of the Scheme :

"23A. Capitalisation

The Board may capitalise any sum for the time being standing to the credit of any reserve fund relating to this Scheme or any other amount available for distribution to the unit holders and that such sum be utilised or distributed for the purpose and in the manner specified in sub-clause (2) hereinbelow for the unit holders who would have been entitled thereto if distributed by way of income on the units held by them and on the same proportions.

(2) The sum aforesaid shall be applied, subject to provisions contained in sub-clause (3), either in or towards paying up in full the units to be issued and allotted credited as fully paid up to and amongst such Unit holders in the proportions aforesaid.

(3) The Board may accordingly make appropriations and applications of the sum decided by it to be so capitalised by allotment and issue of fully paid up units as bonus units, and generally do all acts and things required to give effect thereto".

The 24th September 1996

No. UT/DBDM/R152/SPD184/96-97.—The amendment to the provisions of HOUSING UNIT SCHEME, 1992 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by Circulation on 19-07-96 are published herebelow :—

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

ANNEXURE

AMENDMENT TO THE PROVISIONS OF HOUSING UNIT SCHEME, 1992

1. Clause XXI under the headings "DIVIDEND" is amended as :—

BONUS UNITS

No dividend will be declared under the Scheme. The Scheme aims at growth of original investment by periodic allotment of bonus units, depending upon the availability of income and these units will be credited to unitholder's unitholding account.

No. UT/DBDM/R152/SPD51/96-97.—The amendments to the provisions of Unit Scheme 1964 (U S '64) made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 18th July, 1996 are published herebelow :—

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

ANNEXURE

AMENDMENTS TO THE PROVISIONS OF THE UNIT SCHEME, 1964 (US-64)

1. Following sub-clause (ccaa) is inserted after the existing sub-clause (cca) under Clause 2 of the scheme provisions :

"(ccaa) "Listed" means the listing of units for the purpose of trading in Stock Exchanges which are for the time being recognized under Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956)."

2. Following sub-clause (ccc) is inserted after the existing sub-clause (cc) under Clause 2 of the scheme provisions :

"(ccc) "Trading" means the dealing in, by buying or selling through any of the Stock Exchanges."

3. Following sub-clause (6) is inserted after existing sub-clause (5) in Clause (4) of the scheme provisions :

"(6) Notwithstanding anything to the contrary, in the event of transfer of units under the Scheme through the Stock Exchange/s where the Scheme is listed, the facility to transfer units on Anyone or Survivor basis shall not be available."

4. Following clause 8A is inserted after existing Clause 8 of the scheme provisions :

"8A. Trading of Units.

(a) The units will be listed on any recognised Stock Exchange.

(b) A unitholder desirous of liquidating his holdings may trade the units through any of the said Stock Exchanges.

(c) The Trust will not either directly or in any manner indicate the price or prices at which the units could be bought or sold through the market. However, the last prices at which units were bought or sold at the Stock Exchanges in a trading will be published in leading daily newspapers.

(d) The buyer of units through the market either by himself or through a recognised broker should submit the transfer deed and the relative unit certificates to office of the Trust for giving effect to the transfer if found in order.

(e) The buying or selling of units through the market at whatever price shall be at the risk of a unitholder or a prospective unitholder".

The 30th September 1996

No. UT/DBDM/R-155/SPD71-M/96-97.—Offer Document of the Monthly Income Plan 1996 (III) formulated under section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the Monthly Income Scheme 1996 (III) made under Section 21 of the said Act approved by the Executive Committee in the meeting held on 26th June, 1996 is published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

MONTHLY INCOME PLAN 1996 (III)
OFFER DOCUMENT

Offer open from August 05, 1996 to September 18, 1996

The Monthly Income Plan 1996 (III) has been formulated under section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 1996 (III) made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI.

* The plan particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations, 1993, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Plan Objective

This is an income oriented Plan. The Plan aims at meeting the needs of investors by providing either regular income on a monthly basis or cumulation of income over a period of 5 years.

Highlights

* A five year Plan.

* Open to resident and non resident adult individuals/mentally handicapped persons/minors/HUFs/Trusts/Societies/Regd. Co-operative Societies/Bodies Corporate including Non-profit making companies (under Section 25 of Companies Act, 1956)/Overseas Corporate Bodies (OCBs).

* The Trust proposes to pay minimum targeted dividend @ 15% p.a. payable monthly (effective return 16.08%) for the first year. This will be paid through post dated monthly warrants. Dividend for the subsequent years will be declared by the month of March each year and paid monthly.

* Post dated monthly dividend warrants upto March 1997 will be given in advance.

* There is also an option to cumulate returns instead of monthly dividend.

* The Scheme will be listed on NSE.

* Repurchase allowed from 1st October 1999 at NAV based repurchase price.

* Scope for capital appreciation as a part of investment will be in equities.

* Dividends and Repurchase/Redemption proceeds for NRIs and OCBs are fully repatriable, where the investment is made by remittances from abroad by debit to the NRE account or by cheque/draft issued from proceeds of FCNR deposits.

* Tax benefits U/S 80L and U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on dividends and capital gains from capital appreciation.

Risk Factors

* Investments in units of the Plan are subject to market risks and the NAV of the Plan may go up or down depending on market forces.

* In the event of actual income not being sufficient to pay a minimum targeted return of 15% p.a. in the first year members may suffer loss of unit capital to that extent.

* Performance of the previous Schemes/Plans of the Trust is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the Plan will be achieved.

* Monthly Income Plan 1996 (III) is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Plan.

Management's Perception of Risk Factors

* The Trust has been in operation for over 32 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 56,800 crores from over 48 million investors.

Table indicating performance of thirty one Monthly Income Plans of the Trust launched till date is given on page number 21.

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees

1. Shri Jagdish Capoor—Chairman, Unit Trust of India.

2. Shri R. V. Gupta—Deputy Governor, Reserve Bank of India.

3. Shri S. H. Khan—Chairman, Industrial Development Bank of India.

4. Shri N. S. Sekhsaria—Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.

5. Dr. Arvind Virmani—Advisor, Policy Planning Govt. of India, Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance.

6. Shri P. R. Khanna—Chartered Accountant.

7. Shri J. S. Salunkhe—Chairman, Life Insurance Corporation of India.

8. Shri P. G. Kakodkar—Chairman, S.B.I.

9. Shri N. Vaghul—Chairman, ICICI Ltd.

10. Shri J. V. Shetty—Chairman & Managing Director, Canara Bank.

11. Dr. P. J. Nayak—Executive Trustee, Unit Trust of India.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME SCHEME 1996(III) [MIS '96(III)]

1. Short Title and Commencement :

(1) This Scheme shall be called the Monthly Income Scheme 1996 (III) [MIS '96(III)].

(2) The Scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st October, 1996 to 30th September 2001.

(3) Units will be on sale from 5th August 1996 to 18th September 1996 for 45 days.

Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the Scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions :

In this scheme and plan made thereunder unless the context otherwise requires :

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause III of the Plan.

(e) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "Listed" means the listing of units for the purpose of trading on NSE.

(g) "Member" used as an expression under the Scheme and Plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the Scheme.

(h) "Mentally handicapped person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life.

(i) "Non Resident Indian (NRI)", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grand parents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(j) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(k) "Overseas Corporate Bodies (OCBs)", include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas trust in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons.

(l) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(m) "Recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(n) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the Scheme from time to time.

(o) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(p) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992. (15 of 1992).

(q) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(r) "Trading" means the dealing in by buying or selling units through the National Stock Exchange (NSE) after the first allotment of units.

(s) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(t) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(u) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(v) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(w) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

The other provisions of the scheme are available from page No. 12 to page No. 17.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME PLAN 1996 (III) [MIP '96 (III)] FORMULATED UNDER THE MONTHLY INCOME SCHEME 1996 (III) [MIS '96 (III)] ARE GIVEN HEREAFTER.

I. Definitions :

The words not defined in the Plan and defined in the Scheme and the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Face value of each unit :

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

III. Application for units :

(1) Application for units may be made by residents and also non residents

Residents

(a) individuals either singly or with another individual on joint basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(d) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) a registered co-operative society.

(g) other bodies corporate including non profit making companies formed u/s. 25 of the Companies Act, 1956 but excluding banks and other companies registered under the Companies Act, 1956.

(h) Hindu Undivided Family.

Non-Residents on fully repatriable basis by

(a) Non resident adult individuals either singly or with another individual on joint basis.

(b) Father/Mother/Step-parent/Lawful Guardian on behalf of Non-resident minor.

(c) Non-Resident HUF.

(d) Non-resident Company/Overseas Corporate Bodies owned by NRIs to the extent of atleast 60%.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

IV. Minimum amount of investment

Application shall be made for a minimum of 200 units and thereafter in multiples of 100 units under both the options—Monthly & Cumulative. There will be no maximum limit.

In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle address if he/she is having so.

V. Minimum target amount to be raised :

Amount of Rs. 100 crores is targetted to be raised under the scheme. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust.

The Trust shall by A/c Payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units the entire amount collected under the scheme, if sixty percent of the said targeted amount is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest to the applicants at a rate of 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

VI. Limitation on expenses :

Initial issue expenses shall not exceed 6% of the funds raised under the Scheme. Initial issue expenses of the Scheme is estimated to be as under :

Expenses	%
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.75
Commission to agents	1.50
Registrars Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Stamp fees & Custodial Fees	0.50
Total	6.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the Scheme.

In addition to the initial issue expenses, the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average weekly Net Asset Value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under :

Expenses	%
Administrative Expenses	1.00
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.10
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
Miscellaneous	0.80
Total	3.00

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issues expenses and 3% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the weekly average NAV of the plan during the accounting year.

The Expert Commitee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the fees, expenses and accounting policies may be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.

VII. Mode of Payment

(1) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks wthin the city where the UTI branch office at which the application is tendered is situated.

Provided, however, that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft for number of units applied after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association e.g. if the application amount is Rs. 10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs. 20/-. Thus the draft can be prepared for Rs. 9,980/- (i.e. Rs. 10,000 less Rs. 20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Plan.

However, in case of applications received alongwith local bank draft where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject o such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 15 days from the date of issue of draft.

If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the Scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) Mode of Investment with repatriation benefits :

The investments by NRIs, OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon and capital appreciation (if applicable), as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes :

(a) Draft in foreign currency.

(b) Draft in rupees issued in favour of UTI by foreign banks/Exchange House drawn on their Indian correspondent banks.

(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India.

(d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion.

Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors. Surplus if any, will be remitted back to NRI investors (after deducting bank charges for such remittance) at the ruling rate of exchange. In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above.

(iv) Mode of investment without repatriation benefits :

Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if applicable), will not qualify for repatriation out of India.

However as per RBI circular A.D. (M.A. Series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation.

While in such cases UTI will make payment in Rupees for credit to NRO A, C, investors are advised to contact their banks/Tax consultants if they desire remittance of dividend on units.

(2) (a) Right of the Trust to accept or reject application :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme and the Plan made thereunder. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme and the Plan made thereunder shall be final.

(b) Incomplete Application Liable for Rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) Applicant to comply with requirements under the Scheme and the Plan made thereunder before being issued units :

Persons applying for units under the Scheme and the Plan made thereunder shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Birth Certificate in case of application on behalf of minor, etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust or such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VIII. Sale of Units :

The sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Membership Advice/Unit Certificate (in marketable lots) at the option of the member. A Membership Advice/Unit Certificate issued by the Trust to the eligible institution or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Membership Advice/Unit Certificate so sent.

The Trust shall send the Membership Advice/Unit Certificates not later than 10 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

IX. Repurchase of units :

(1) There shall be a three year lock-in-period i.e. upto 30th September, 1999. There shall be no repurchase during the first three years of the Scheme and Plan made thereunder except for settlement of claim cases.

The repurchase price will be based on the NAV of units (on historic basis) and shall be declared once every month.

(2) Monthly Income option.—The Trust will offer to repurchase the units from the fourth year of the Scheme and the Plan made thereunder. Repurchase price will be based on historic NAV. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of he NAV per unit. Repurchase will be effected on receipt of the Membership Advice alongwith a request letter on plain paper duly signed by all the holders and duly witnessed by another person giving his name, occupation and address, Unit Certificates duly discharged.

Repurchase of units shall be permitted in multiples of 100 units subject to the condition of minimum holding of 200 units.

The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unpaid Income Distribution Warrants remaining outstanding upto and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

In the event of repurchase in full the Trust shall not on accepting the Membeirship Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificates duly discharged be bound to pay any Income Distribution on the units for the month of acceptance or future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds.

All the documents and the unpaid Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh membership advice/unit certificates and a fresh set of income distribution warrants for the remaining period

including the month of acceptance. No interest shall be payable on the repurchase proceeds.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clause, the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase proceeds such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On acceptance of the Membership Advice and the request letter for repurchase Unit Certificate duly discharge by the Trust, and in the event of full repurchase, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount represented by such outstanding Income Distribution.

(4) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a monthly bases should have held the units for a full year. A member who holds units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full English Calendar months of holding, part of a month of whatever length being always ignored.

(5) In the event of the death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the Membership Advice/Unit Certificates, the request letter for repurchase and the unpaid Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate monthly income distribution upto the date of the settlement of the claim.

(6) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application.

No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

Cumulative Option

The Trust shall in case of units issued under Cumulative option offer to repurchase the units from the fourth year of the Scheme and the Plan made thereunder. Repurchase price will be based on historic NAV. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit.

Repurchase will be permitted in multiples of hundred units subject to the condition of minimum holding of 200 units.

(8) The repurchased units will not be reissued.

(9) The basis of computation of repurchase price shall be subject to Regulations, Guidelints, that may be prescribed by SEBI in due course.

X. Restrictions on repurchase of units :

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme and the Plan made thereunder, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of members is closed in connection with the annual closing of the books and accounts.

Explanation :

For the purpose of this Scheme and the Plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either :

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XI. Publication of repurchase price :

The Trust shall as early as possible after determining the repurchase price publish it in leading daily newspapers.

XII. Listing :

1. The units issued under the scheme shall be listed on NSE. An application for listing shall be made to the Stock Exchange immediately on reciept of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 30 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993.

2. A member desirous of liquidating his holdings may trade the units through the NSE on which the units of the Scheme are listed.

XIII. Membership Advice/Units Certificate :

The Trust shall issue Membership Advice/Unit Certificates (in marketable lots) at the option of the member.

The non resident Indian may choose any one of the following mode of despatch of Membership Advice/Unit Certificates :

(a) At the applicant's Indian/Foreign address.

(b) At the applicant's relative's address in India.

XIV. Manner of preparation of Membership Advice and Unit Certificate :

The Membership Advice and Unit Certificate shall be in such form as may be decided by the Chairman Executive Trustee of the Trust.

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Unit Trust.

Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XV. Exchange of Membership Advice/Unit Certificate and procedure when advice/Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc. :

Membership Advice

For the purpose aforesaid the member under the Scheme and the Plan made thereunder shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

Unit Certificate

(1) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof.

No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith-under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any Unit Certificate under the provisions of this clause the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee Five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty if any or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such Certificate.

Notwithstanding the above the member under the Scheme shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XVI Register of members :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members :

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter alia :

(a) the names and addresses of the members:

(b) the number of the Membership Advice/Unit Certificates and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require shall after the register accordingly. Any change pursuant to the death of an applicant who had applied for units for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person shall be entered in the register accordingly.

(3) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XVII Application by and registration of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc.

(1) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extend provided, in Sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so require shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor.

The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(3) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.

(4) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

XVIII. Receipt by member to discharge Trust :

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Scheme and the Plan made thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XIX. Nomination by members :

(1) Members may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the regulations. This facility will however not be available to the transferee in the event of transfer of a unit.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

Non-Resident Indians can be nominated as per the guidelines issued by the RBI from time to time.

XX. Death of a member :

(1) In case of death of either of the joint members of units the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the scheme and plan made thereunder.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units.

(3) In the absence of a valid nomination by a single member, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a member(s) may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the nominee/legal heir is a person eligible to hold units then, at the desire of the said nominee/legal heir, the nominee/legal heir may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a Membership Advice/Unit Certificates in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of the death of the applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person, the Trust shall deal with the alternate applicant as if he were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant as the case may be, the existing applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

(7) In the event of death of a single member during the lock-in-period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust.

XXI. Income Distribution :

The member shall have the right to exercise an option to participate in the Monthly Income option or the Cumulative Option. This shall be done at the time of investment in the scheme and the option once exercised will be final. In the absence of any specific option being exercised by the applicant it shall be treated as Monthly Income Option.

(1) Monthly Income Option

Before declaring dividend in the Plan, the Trust shall provide for depreciation on investments and also make a provision for bad and doubtful debts, to the satisfaction of its auditors and shall disclose the method of valuation of investments in the statement of significant accounting policies.

The Trust proposes to pay minimum targeted dividend @ 15% p.a. for the first year (upto 30th September, 1997) by means of post dated monthly warrants.

Based on the investment objectives and policies of the Plan as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would be able to generate sufficient returns to pay minimum targeted dividend @ 15% p.a. payable monthly in the first year for the investors. This minimum targeted return has been arrived at keeping in view the rates prevailing for fixed income instruments in which bulk of the investments under the plan are to be made viz. :

Corporate Debentures—18%

Rate of dividend for each subsequent year shall be decided on the basis of the income of the scheme and relevant factors and shall be declared by the month of March each year and paid monthly. The Trust shall despatch the Income Distribution Warrants within 42 days from the date of declaration of the rate of dividend.

(2) The income distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust under such prepayment arrangements by means of Income Distribution Warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify.

Such of those units which have been sold under an application accepted by the Trust on or before the 15th day of month shall be eligible for income distribution for the whole month and the units sold after the 15th day of the month shall be eligible for income distribution for that half month.

The entitlement of dividend will be as follows :

05-08-1996 to 15-08-1996	Full month's dividend
16-08-1996 to 31-08-1996	Half month's dividend
01-09-1996 to 15-09-1996	Full month's dividend
16-09-1996 to 18-09-1996	Half month's dividend

(3) Depending upon the date of investment one Income Distribution Warrant for the period upto 31st December, 1996 will be issued which will be dated 1st November, 1996 and 3 postdated Income Distribution Warrants will be issued for the period January 97 to March 97. The Income Distribution Warrants for the months of April '97 to September 97 will be issued in the month of March/April '97 depending upon changes in tax laws. The declaration of dividend and despatch of warrants for the subsequent years will be as per the following schedule :

Period	Dividend declaration	Despatch of Warrants
01-10-1997 to 31-03-1998	By March, 1997	By March-April 1997
01-04-1998 to 31-03-1999	By March 1998	By March-April 1998
01-04-1999 to 31-03-2000	By March 1999	By March-April 1999
01-04-2000 to 31-03-2001	By March 2000	By March-April 2000
01-04-2001 to 30-09-2001	By March 2001	By March-April 2001

The Income Distribution Warrant for the month of March will be dated 31st March every year.

(4) Subject to the provisions of sub-clause (3), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member in advance.

The warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months.

The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(5) In the event of a repurchase, the member upon non-surrender of unpaid warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity of warrants and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.

(6) In the event of the death of the member, if the nominee/legal heir is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the nominee/legal heir shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary rectification.

However, such a nominee/legal heir desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted members.

(7) In the event of death of an applicant where the application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the alternate applicant shall be bound to return all the unencashed Income Distribution Warrants for months for necessary rectification. However, such alternate applicant shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clause the Trust reserves its right only with prior approval of SEBI to make the Income Distribution on a quarterly, half yearly or annual basis as the case may be, should the reasons of expediency, cost, interest of members and other circumstances make it necessary for the Trust to do so.

In such an event the Trust shall notify the members by a publication in atleast two leading English language daily newspapers. No members shall have a right to claim Income Distribution on monthly basis after the Trust makes a notification as above.

(9) Cumulative Option—Under Cumulative Option, there will be no income distribution. Depending upon the date of investment, the income earned upto 30th September, 1996 will be converted into additional units upto three decimal places and issued to the member. From 1st October, 1996 the income earned will be ploughed back and will be reflected in Net Asset Value.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. name of bank, nature of account and account number) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Members may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the member.

Income Distribution to Non-resident Indian Investor

Dividend under the Plan shall be paid as per the Exchange Control Regulations. NRIs may choose any of the following modes to receive income distribution warrants :

(i) The warrant can be issued in the name of the investor and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the investor. OR

(ii) The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for crediting his account.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME SCHEME 1996 (III) [MIS '96 (III)] CONTINUED

III. Valuation of assets pertaining to this Scheme :

(a) Listed investments in shares and debentures which have not been quoted for three months prior to the date of valuation are treated as Unquoted Investments.

(b) Valuation rate in case of quoted investments is the market rate as of valuation date or most recent available quote falling within a period of three months prior to the date of valuation in case market quote as of valuation date is not available.

(c) The aggregate cost of investments is compared with the aggregate market value to determine appreciation/depreciation in the value of investments. For arriving at the market value of investments :

(i) Quoted equity shares including those under lock-in-period/preference shares are taken at valuation rate.

(ii) Quoted debentures and bonds are taken at valuation rate discounted for interest element from the last interest due date to the date of quote in case of cum-interest quotes.

(iii) Quoted warrants are taken at valuation rate.

(iv) Unquoted equity/preference shares (including those listed but treated as unquoted) are taken at cost.

(v) Unquoted debentures and bonds, secured transferable notes and unsecured transferable notes will be valued on the basis of yield to maturity (YTM).

(vi) Unquoted warrants are taken at valuation rate of relative shares discounted for dividend element, if any, as reduced by the cost of acquisition payable. In cases where the cost of acquisition payable is higher than the market value, the value of warrants is taken as nil.

(vii) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the market value of the convertible portion is taken at the valuation rate applicable to relevant equity shares, discounted for dividend element, if any. The residual non-convertible portion of such debentures and bonds is taken as at (v) above. Where terms of conversion are not specified in respect of convertible portion of debentures and bonds, the same are taken at cost.

(viii) Money Market obligations are taken at book value.

(ix) Government Securities will be valued on the basis of yield to maturity (YTM).

(x) The rights entitlements for shares/convertible portion of debentures and bonds where terms of conversion are known are taken at the valuation rate applicable to relevant equity shares discounted for dividend elements, if any. The residual non-convertible portion of such debentures and bonds is taken as at (v) above.

The valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directive issued by SEBI from time to time.

IV. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset Value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV of the Scheme shall be determined separately for the Monthly Income option and for the cumulative option. The NAV (on historic basis) shall be published atleast in two daily newspapers every month or at such intervals as may be approved by SEBI.

The repurchase price will be based on the NAV of units (on historic basis) and shall be declared once every month.

V. *Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the Scheme and the Plan made thereunder* :

(1) The person who is registered as the member and in whose name a Membership Advice/Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognised such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

(2) When an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped and accepted by the Trust, the Trust shall not be deemed to be taking notice of any trust. The Trust shall deal, for all purposes, under the Scheme and the Plan made thereunder with the applicant or the person mentioned as alternate applicant in the application form in the event of the applicant's death.

VI. Transfer, Pledge/Assignment of Units :

Units issued under the Scheme are Transferable/Pledgeable/Assignable subject to the following terms :

(a) The unit certificate (and not membership advice) issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other catagories as are mentioned in Clause III of the provisions of the scheme.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) Transfer instruments with the relative unit certificates and unencashed warrants upto and inclusive of the month of transfer (in case of monthly income option) and accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Trust shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(d) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrar.

(e) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of members by the Registrars,

(f) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(g) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(h) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(i) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificates and income distribution warrants (in case of monthly income option) to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue certificates and warrants.

(j) If a tranferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(k) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate alongwith dividend warrants, if any, to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

VII. Investment Objectives and Policies :

Investment objectives and policies of the Scheme are to primarily provided regular monthly income to the subscriber and also to endeavour providing capital appreciation to the subscriber on maturity of the Scheme.

Funds collected under the scheme shall after providing for all initial preoperative and operational expenses generally be invested as follows considering the objectives of the scheme.

(i) Atleast 80% of the funds will be invested in fixed income securities. The risk profile of investment will be low to medium.

(ii) Upto 20% of the funds will be invested in equity related instruments. The risk profile of equity investments will be high.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment in money market instruments could be increased consistent with SEBI Guidelines on the same.

(iii) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time. Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(iv) No term loans will be advanced by this scheme.

(v) Investments by way of privately placed debentures, securities, debts and other unlisted debt instruments shall not exceed 40% of the total assets of the scheme.

(vi) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(vii) Not more than 10% of the funds of all the Schemes of the Trust taken together including this Scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(viii) Not more than 15% of the funds under all Schemes of the Trust including this scheme shall be invested in the shares and debentures of any one industry ;

Provided that provision shall not apply to a Scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and declaration to that effect has been made in the offer letter.

(ix) Transfer of investments from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust

(x) The scheme shall not invest in or lend to another Scheme/Plan of the Trust.

(xi) The scheme shall not borrow funds to finance its investments.

VIII. Development Reserve Fund (DRF) contribution :

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training. Surveys and Market Research

for the Trust Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities.

IX. Staff Welfare Trust Contribution :

0.10% of weekly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief relief, health relief or for similar other purposes.

X. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the Scheme and the Plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the profit and loss account as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a member, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

The Expert Committee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the fees, expenses and accounting policies may be subject to change depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.

XI. Additions and Amendments to the Scheme and the Plan made thereunder :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and the Plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

XII. Termination of the Scheme and Plan made thereunder :

(a) The scheme shall stand finally terminated on 30-9-2001 the outstanding units of the members shall be repurchased and the members shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. However, the Trust reserves with the prior approval of SEBI the right to extend the scheme beyond 5 years. In such an event the member shall be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) The Trust may wind up the Scheme and the Plan made thereunder under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 30th September, 2001 or on the expiry of such date beyond five years as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme and the Plan made thereunder to be wound up, or

(iii) if 75% of the Members pass a resolution that the scheme be wound up ; or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the Members.

(c) Where the Scheme is wound up in pursuance of subclause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected.

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall—

(i) cease to carry on any business activities in respect of the Scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the Scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the Scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(f) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the members of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of subclause (f) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the members a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the members and a certificate from the auditors of the scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XII (g) of the scheme, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Membership Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Membership Advice/ Unit Certificate, the request letter for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(k) In case of non-resident investors, repurchase/maturity proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below :

(i) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency.

(ii) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the maturity cheque will be despatched to the relative of the investor in India.

XIII. Power to construe provisions :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman

then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and the Plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final.

The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XIV. Relaxation of provisions :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme and the Plan made thereunder, relax any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI.

Any changes in the offer document shall be with prior approval of SEBI.

XV. Scheme and Plan made thereunder to be binding on members :

The terms of the Scheme and the Plan made thereunder including any amendments, changes thereto form time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder.

XVI. Benefits to the members :

All benefits accruing under the Scheme and the Plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme and the Plan made thereunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the Scheme and the Plan made thereunder till its closure.

Deduction of Tax at source

Residents

As per the present taxation laws the Trust is required under section 194K to deduct income tax at source @ 15% from the income payable to individual members under the plan if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Similarly, tax will be deducted at source @ 15% from the income payable to HUFs if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Non-Residents

As per Finance Act, 1995 Section 196A of the Income Tax Act, 1961 has been substituted to provide for deduction of tax at source at the rate of 20% on income received by NRI in respect of units of any Schemes of UTI acquired by them through payment from Non-Resident (Ordinary) Account.

As per circular No. 734 F no. 500/4/96-FTD, dated 24th January, 1996 issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue in ordere to avoid double taxation for Non-Resident Unitholders residing in UAE the tax will be deducted at source at a concessional rate of 15% where source of fund is NRO.

No deduction of tax

Residents

Resident Individuals and HUFs desiring receipt of income without deduction of tax at source should furnish to the Trust a declaration in writing, in duplicate, in the prescribed form No. 15H and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his/its estimated total income of the previous year will be nil.

The form prescribed for non-deduction of tax at source should be submitted alongwith application and for subsequent years atleast three months before the despatch of income distribution warrants, failing which tax will be deducted at source as per the prevalent tax laws.

No deduction of tax will be made for Trusts which are covered under Sections 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10 (23) or 10 (23A) or 10(23C) of the Income Tax Act, 1961 on the basis of a declaration in the format provided in the application form.

Non-Residents

In case of Non-Residents, if units are bought directly through remittance in foreign exchange or through payment from Non-Resident (External) account kept in India or from proceeds of FCNR deposits, income from such units is totally exempt from Income tax.

In the above case UTI shall not deduct income tax at source irrespective of the amount of dividend.

Tax Concessions

Taxation of income and capital appreciation under the plan will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws income from units to all residents and non-ressidents (if units are bought through payment from non-resident ordinary account, income of individuals and HUF by way of dividend) under all schemes of the Trust including "MIP '96(III)" will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs. 13,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of the plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the plan is exempted from wealth tax.

For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act 1961, Eligible Trusts investing in units will, therefore qualify for tax exemption in respect of income and corpus under section 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

Rights of Members :

1. Members under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend declared by the Plan.

2. The Members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Members.

3. The Members are entitled to have the dividend warrants despatched to them within 42 days of the date of declaration of the dividend.

4. The Members have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai-400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information, reports or

any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur-208001 and M/s. Kalyaniwalla & Mistry, Maneckji Wadia Building, 127, Mahatma Gandhi Road, Mumbai. The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Complaints Received and Redressed for the period 01-07-1995 to 30-04-1996

SCHEME	NO. OF COMPLAINTS			Pending to Total
	Received	Redressed	Pending	Received
1.	2	3	4	5
CCCF	1433	1368	65	4.54%
CGGF	12183	11604	579	4.75%
CGUS-91	1868	1840	28	1.50%
CRTS	134	128	6	4.48%
DIUP-93	195	162	33	16.92%
DIUP-95	37	29	8	21.62%
DIUS-90	1280	1263	17	1.33%
DIUS-91	826	814	12	1.45%
DIUS-92	868	863	5	0.5%
IIISFUS	3	2	1	33.3%
GCGI	366	347	19	5.19%
Grandmaster-93	259	247	12	4.63%
GMIS-91	1977	1860	117	5.92%
GMIS-92	931	858	73	7.84%
GMIS-92(II)	719	694	25	3.48%
GMIS-B-92	164	137	27	16.46%
GMIS-B-92(II) Grihalakshmi	700	680	20	2.86%
UP-94	1307	1270	37	2.83%
MEP-91	2988	2934	54	1.81%
MEP-92	21367	20779	588	2.75%
MEP-93	2194	2150	44	2.01%
MEP-94	4005	3947	58	1.45%
MEP-95	26563	26481	82	0.31%
Mastergain-92	19670	9721	9949	50.58%
Mastergrowth-93	1395	1299	96	6.88%
MIP-93	1593	1562	31	1.95%
MIP-94(I)	1065	1044	21	1.97%
MIP-94(I)	1395	1367	28	2.01%
MIP-94(III)	3370	3303	67	1.99%
MIP-95	352	337	15	4.26%
MIP-95(II)	276	232	44	15.94%
MIP-95(III)	80	56	24	30.00%
MIS-90(I)	444	256	188	42.34%
MIS-90(II)	958	874	84	8.77%
MIS-B-93	703	681	22	3.13%
MISG-91	1319	1202	117	8.87%
Masterplus-91	5064	4579	485	9.58%
Mastershare-86	26061	17813	8248	31.65%
Omni Plan	56	36	20	35.71%
PEF	650	506	144	22.15%
RBP	2765	2688	77	2.78%
Rajlakshmi U.P.	8069	7804	265	3.28%
Senior Citizen U.P.	1306	1232	74	5.67%
UGC-2000	55795	55157	638	1.14%
UGC-5000	11902	11557	345	2.90%
ULIP	10104	8936	1168	11.56%
US-64	449045	438930	10115	2.25%
US-92	189	180	9	4.76%
US-95	4	4	0	0.00%
Total	685927	651813	34184	4.98%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application, funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre 1, 28th Floor,
World Trade Centre, GD Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005
Tel : 2180172/2181600.

EASTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investstors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor.
Calcutta-700 001
Tel : 2434581.

SOUTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investstors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Madras-600 001
Tel : 517101 Ext. 360/364.

NORTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investstors' Relation Cell
Herald House,
2nd Floor,
5A, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110 002
Tel : 332 9860.
Registrars.

UTI Investors Service Ltd. situated at Plot No. 369, Marol Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot Vijay Nagar, Andheri (E), Mumbai-400 059, Tel. No. 8506311 have been appointed to work as Registrars :

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, despatch of Membership Advice/Unit Certificates within the prescribed time frame and handle investor complaints.

Processing of applications and after sales services will be handled from four main branches of the Registrars :

West Zone : Plot No. 369, Marol Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (E), Mumbai-400 059.

East Zone : 2, Fairlie Place, 1st Floor, P.B. No. 60, Calcutta-700 001.

South Zone : Justice Basheer Ahmed Syed Building, 45, Second Line Beach, Madras-600 001.

North Zone : Gulab Bhavan (Rear Block), 2nd Floor, 6, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020.

* The UTI Act
* The General Regulations
* The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.
* Copy of Offer Document of MIP96(III)

Table

Sr. No.	Plans	Annual Dividend Paid/Payable Monthly	Capital Appreciation (%) on maturity Assured	Capital Appreciation (%) on maturity Actual	Bonus (%) Paid/ Payable
1	2	3	4	5	6
Schemes Matured					
1.	MIS-1	12% p.a.		6	
2.	MIS-2	12% p.a.		7	
3.	MIS-3	12% p.a.		8	
4.	MIS-4	12% p.a.		8	
5.	MIS-5	12 p.a.		10	
6.	MIS-6	12% p.a.	2	5.5	1.5
7.	MIS-7	12% p.a.	2	6	1.5
8.	MIS-8	12% p.a.	2	7	1.5
9.	MIS-9	12% p.a.	2	9	1.75
10.	MIS-10	12% p.a.	2	9	2.00
11.	MIS-11	12% p.a.	2	11	2.25
12.	MIS-12	12% p.a.	2	28	2.25
13.	MIS-13	12% p.a.	2	40	3.00
Schemes in Operation					
14.	MISG'90	12% p.a.			1% payable at the end of each year
15.	MISG 90(II)	13% p.a.			2% declared at the end of 3rd year and addl. 2% bonus declared at the end of 5th year
16.	MISG'91	13% p.a.			3% declared at the end of 3rd year. Addl. bonus dividend of 3% will be paid after 5th year.
17.	GMIS'91	14.5% p.a for the first 3 years & 15% p.a. for the last 2 years	Minimum 2% on maturity in case of monthly income option		
18.	GMIS'92	Do.	Do.		
19.	GMIS'92(II)	Do.	Do.		
20.	GMISB'92	Do.	Do.		2% bonus dividend declared & is payable on maturity.
21.	GMIS9'97 (II)	14% p.a. for the first 2 years and 14.5% p.a. for the last 3 years	Do.		2% declared the end of 3rd year and will be paid on maturity.
22.	MISB'93	14% p.a.	Do.	—	Will be declared at the end of 3rd year and will be paid out after announcement.
23.	MIP'93	13.5% p.a.	Do.	—	Nil Bonus declared at the end of 2nd year Bonus may be declared at the end of 4th year and shall be payable on maturity.
24.	MIP'94	13% p.a. for the first 2 years i.e. upto Feb. '96 & @ 13.5% p.a. under the monthly income option & 14% p.a. under cumulative option for the period 1-3-96 to 28-2-98	—	—	—

1	2	3	4	5	6
25.	MIP'94(II)	13% p.a. payable monthly for first 2 years 14% p.a. payable monthly for next 2 years	—	—	—
26.	MIP'94(III)	12% p.a. for the first year & 13% p.a. payable for the second year.	—	—	—
27.	MIP'95	13% p.a. for the first year & 14% p.a. for the second year*	—	—	—
28.	MIP'95(II)	13.5% p.a. for the first year 14% p.a. for the second year*	—	—	—
29.	MIP'95(III)	14% p.a. for the first year*	—	—	—
30.	MIP 96	14.5% p.a. for the first year*	—	—	—
31.	MIP'96(II)	15% p.a. for the first year*	—	—	—

*Dividend rate for the subsequent years will be announced at/before the end of preceding years.

Details of Five Previous Monthly Income Plans of UTI

Plan	MIP'95	MIP'95 (II)	MIP'95 (III)	MIP'96	MIP 96 (II)
Date of Commencement	01-07-1995	01-09-1995	01-01-1996	01-05-1996	01-07-1996
Date of Termination	30-06-2002	31-08-2000	31-12-2000	30-04-2001	30-06-2001
Monthly Dividend	13% p.a. for the first year & 14% for the 2nd year	13.5% p.a. for the first year	14% p.a. for the first year	14.5% p.a. for the first year	15% p.a. for the first year
Cumulative Option	—	—	—	—	—
Amount Collected	Rs. 537 cr.	Rs. 352 cr.	Rs. 374.39 cr.	Rs. 197.65 cr.	*Rs. 364.54 cr.
No. of Application	172290	147132	138875	69501	*142023

*as on 30-6-96

Historical Data Monthly Income Schemes

HISTORICAL STATISTICS	1992-93							
	MIS POOL	MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMIS B 92 POOL	MISB 93 POOL	MIS POOL	MISG 90 POOL	GMIS POOL
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
(A) Gross Income	21976.66	52603.65	30851.93	7045.47	559.20	27496.13	51887.56	40810.07
(B) Expenses (including provision for doubtful assets)	571.08	1135.13	1041.91	628.53	173.32	486.12	1274.92	979.94
(C) Net Income	21405.58	51468.52	29810.02	6416.94	385.88	27010.01	50612.64	39830.13
(D) Dividend	14652.92	43199.38	19278.95	5757.82	0.00	9582.46	47043.45	20441.40
(E) NAV (per unit)*								
at the beginning of the year	10.71	10.59	11.19	NA	NA	11.55	10.65	11.06
at the end of year	11.55	10.65	11.06	10.16	10.12	14.73	11.35	12.99
(F) Expenses to average monthly net assets (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(G) Portfolio turn over rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(H) Market Price								
Highest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lowest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(I) Repurchase Price								
Highest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lowest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(J) Sale Price								
Highest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lowest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(K) No. of Units O/s at the end of the period (Rs. in '000)**	104969.69	347161.23	209470.04	82323.85	43104.70	50706.67	354292.41	208431.38

1993-94								1994-95			
GMIS I 92 POOL	MISB 93 POOL	MIP 94	MIP 94 (I)	MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMIS B 92 POOL	MIS B 93 POOL	MIP 94	MIP 94 (II)	MIP 94 (III)	MIP 95
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13301.68	13991.33	2443.14	198.33	50382.00	36865.00	15196.00	18030.00	5853.00	7227.00	3978.00	—
434.66	957.44	256.01	175.07	1550.00	1000.00	500.00	980.00	2583.00	2976.00	2057.00	13.00
12867.02	13033.89	2187.13	23.26	1117.00	5234.00	2642.00	1820.00	2548.00	3890.00	2779.00	13.00
8247.96	11822.55	2106.70	0.00	47715.00	30361.00	12054.00	18870.00	5818.00	8141.00	4700.00	0.00
10.16	10.12	NA	NA	11.35	12.99	11.71	10.90	10.06	10.10	NA	NA
11.71	10.96	10.06	10.10	10.92	12.50	11.12	10.02	9.45	9.37	9.49	9.49
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
82286.03	133731.35	44552.46	38233.01	381368.00	205931.00	82116.00	133068.00	44552.46	61861.00	73500.00	16589.00

* NAV has been calculated considering the Capital Reserve and Total Unrealised Appreciation of the investment of the Pool.

** The face value of unit (Fig. in Lakhs) has been given. However, the face value of each unit under all pools is Rs. 10/- and hence number of units can be worked out accordingly.

— Dividends are calculated for the current year and provisions made to that extent.

HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEME AS ON 31-12-1995

Particulars		MISG' 90*	GMIS*	GMISB' 92*	MISB' 93*	MIP' 94	MIP' 94(ii)	MIP' (94 (iii)	MIP' 95	MIP' 95(ii)	MIP, 95 (iii)
A. Grross Income		284.23	218.09	82.87	103.99	39.28	40.00	45.54	36.58	16.4	2.49
B. Expenses (Including Provisions)		29.30	6.99	21.90	14.73	15.77	24.37	23.10	14.14	1.80	0.62
C. Net Income (A—B)		254-93	209.10	60.97	89.26	23.51	15.63	22.44	22.44	14.34	1.87
D. Dividends		252.64	103.61	42.04	60.71	22.44	29.26	33.89	21.02	10.43	—
E. NAV	Begining	10.90	13.02	11.49	10.78	9.86	9.58	10.53	10.05	—	—
	$ End	10.65	12.87	11.65	10.73	8.89	9.35	9.25	9.90	10.13	11.41
F. Repurchase	Begining	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	End	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G. Expenses to Average Monthly Net Assets (%)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H. Portfolio Turnover Rate		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I. Market Price	High	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Low	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J. Sale Price	High	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Low		—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. No. of its (In Lakhs)		36,195.34	20,283.91	8,121.04	13,247.75	4,401.50	6,154.68	7,365.59	5,581.94	3,238.25	2,820.99

*These are Pooled Schemes.

✚ Vs on 30-6-1995

$As on 31-12-1995 (As per unaudited Half Yearly Results)

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackeresey Marg (New Marine Lines), Mumbai-400 020. Tel :206 8468

ZONAL OFFICES

Western Zone : Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel : 2181600/ 2181254. Eastern Zone : 2, Fairlie Place, 2nd Floor, Calcutta-700 001. Tel : 2209391/2205322. Southern Zone : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel : 517101. Northern Zone : Jeevan Bharti, 13th Floor, Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel : 3329860/3329858.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE

MUMBAI MAIN BRANCH OFFICE

Centre-1, 29th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 905. Tel : 218 1600/218 0057

BRANCHES WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED

Ahmedabad : B. J. House, 2nd 3rd & 4th Floor, Ashram road, Ahmedabad-380 009. Tel : 6423043. Baroda : Meghdhanush 4th & 5th Floor Transpek Circle, Race Course Road, Baroda-390 015. Tel : 332481. Bhopal : 1st Floor, Ganga Jumuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone I, Scheme 13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel 558308. Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B', Opp. JVPD Shopping Centre, Gul Mohar Cross Road No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel : 6201995. Mumbai : (2) Persepolis Bldg., 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi Navi Mumbai-400 703. Tel : 7672607. Mumbai : (3) Lotus Court Building, 196, Jamshedji Tata Road, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel : 2850821/822 (For Mumbai Main Branch). Mumbai : (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Floor, S. V. Road, Borivli (West), Mumbai-400 092. Tel : 8020521. Mumbai : (5) Sagar Bonanza, 1st Floor, Khot Lane, Ghatkopar (West), Mumbai-400 086. Tel : 5162256. Indore : City Centre, 2nd Floor, 570 M.G. Road, Indore-452 001. Tel : 22796. Kolhapur : Ayodhya Towers, C.S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Road, Kolhapur-416 001. Tel : 657315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg (Kingsway), Nagpur-440 001. Tel : 536893. Nasik : Sarda Sankul, 2nd Floor, M.G. Road, Nasik-422 001. Tel : 72166. Panaji : I.D.C. House, Ground Floor, Dr. A.B. Road, Panaji, Goa-403 001. Tel : 222472. Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 1183 Fergusson College Road, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel : 325954. Rajkot : Lallubhai Centre, 4th Floor, Lakhaji Raj Road, Rajkot-360 001. Tel : 35112. Surat : Saifee Bldg. Duch Road, Nanpura, Surat-395 001. Tel : 434550. Thane : UTI House, Near Thane P.O. Station Road, Thane (West)-400 601. Tel : 5400905.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Road, Agra-282 002. Tel: 54408. Allahabad : United Towers, 3rd Floor, 53, Leader Road, Allahabad-211 003. Tel: 50521. Amritsar : Shri Dwarkadeesh Complex, 2nd Floor, Queen's Road, Amritsar-143 001. Chandigarh : Jeeven Prakash, LIC Building, Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel : 543683. Dehradun : 2nd Floor, 59/3, Rajpur Road, Dehradun-248 001. Tel: 26720. Faridabad : B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Ghaziabad : 41 Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Jaipur : Anand Bhavan (3rd Floor), Sansar Chandra Road, Jaipur-302 001. Tel:365212. Kanpur : 16/ 79-E. Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel: 317278. Lucknow : Regency Plaza Building, 5, Park Road, Lucknow-226 001. Tel: 232501. Ludhiana : Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel:400373. New Delhi : Gulab Bhavan (Rear Block), 2nd Floor, 6, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel: 3318638/3319786. Shimla : 3, Mall Road, 1st Floor (above Jankidas & Co., Dept. Store), Shimla-171 002. Tel: 4203. Varanasi : 1st Floor, D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001. Tel: 54306/ 54262/54272.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : World Trade Centre, Chamber of Commerce, Kempegowda Road, Bangalore-560 009. Tel : 2263739. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Floor, M. G. Road, Ernakulam, Cochin-682 011. Tel : 362354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25 Arts College Road, Coimbatore-641 018. Tel : 214973. Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Road, Hubli-580 020. Tel : 363963. Hyderabad : 1st Floor, Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 001. Tel : 511095. Madras : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel. : 517101/513695. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparankundram Road, Madurai-625 001. Tel. 38186. Mangalore : Siddhartha Bldg., 1st Floor, Bal-Matta Road, Mangalore-575 001. Tel : 426258. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Floor, M. G. Road, Thiruvananthapuram-695 001. Tel : 331415. Trichy : 104 Salai Road, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel : 27060. Trichur : 28/876/77 West Pallithamam Building, Karunakaran Nambiar Road, Round North, Trichur-680 020. Tel : 331259. Vijayawada : 27-37-156, Bundar Road, Next to Hotel Manorama, Vijayawada-520 002 Tel : 74434. Vishakhapatnam : Ratna Arcade, 3rd Floor 47/15/6, Station Road, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530016. Tel : 548121.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : Asha Niwas, 246, Lewis Road, Bhubaneshwar-751 014. Tel : 56141. Calcutta : 2 & 4, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel : 2209391/2205322. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Floor, Asansol Durgapur, Dev. Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel : 4831. Guwahati : Jeevan Deep, M. L. Nehru Road, Panbazar, Guwahati-781 001. Tel : 543131. Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area, Ground & 2nd Floor, Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel : 425508. Patna : Jeevan Deep Building, Ground & 5th Floor, Exhibition Road, Patna-800 001. Tel : 235001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunank Sarani, Siliguri-734-401. Tel : 24671.

Mumbai, the 22nd October 1996

No. UT/DBDM/R-160/SPD-165/96-97.—Offer Document of the Deferred Income Plan 1991 formulated under section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the Deferred Income Unit Scheme 1991 made under Section 21 of the said Act approved by the Executive Committee in the meeting held on 18th July, 1996 is published herebelow.

A. G. JOSHI,
General Manager,
Business Development & Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

DEFERRED INCOME PLAN 1991

OFFER DOCUMENT

The Deferred Income Plan 1991 has been formulated under section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Deferred Income Unit Scheme 1991 made under Section 21 of the said Act, by the Board of Trustees of UTI.

The Deferred Income Unit Scheme 1991 (DIUS '91) is a popular scheme designed to cater to the investors who prefer to wait for an initial period to receive higher income at a later date to meet bigger financial needs. The scheme is maturing on 1st September 1996. The scheme has given

an annual return of 16.91% to investors under Deferred Income Option & 18.01% under Cumulative Option. Considering the good performance it is decided to roll over this scheme beyond 1st September, 1996 for a further period of five years from the date of allotment. The rolled over scheme would be referred to as "Deferred Income Plan 1991". Existing investors of the scheme can either choose to continue in the scheme or can redeem their investment. A separate mailer has already been sent to every existing investor of the scheme for this purpose. The existing investors will have to exercise their option to repurchase or to continue by the 10th of September 1996. In case the communication from the investor indicating his choice is not received by the 10th of September 1996 the repurchase proceeds will be remitted to him. The scheme will be open for fresh sales from 19th September 1996 to 14th October 1996. However, for the unitholders of DIUS 1991 opting for the roll-over the date of acceptance would be 1st September 1996. The new investors joining the rolled over scheme and the existing unitholders who opt to continue in the rolled over scheme will be treated at par.

* The Plan particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1993, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Plan Objective

This is an Income oriented plan. The plan aims at meeting the needs of investors by providing income on a quarterly basis or higher quarterly income after a wait period of two years or growth of initial investment over a period of 5 years.

Highlights

* A Five year Plan.
* Open to resident and non-resident adult individual/s either singly or with another individual on joint/either or survivor basis/minors/HUFs/Trusts/Societies/Regd. Co.Op. Societies/Bodies Corporate including Non-profit making companies (under Section 25 of Companies Act, 1956).
* UTI proposes to pay minimum targeted dividend @ 15% p.a. payable at the end of a quarter (yield 15.87% p.a.) for the first year under the quarterly income option. Dividend for the subsequent years will be declared before the end of the previous years.
* Under the deferred income option dividend of 28% p.a. will be paid at the beginning of every quarter in the third year. Dividend for the subsequent years will be declared before the end of the previous years.
* There is no distribution of income under the Capital Growth option. The income generated shall be ploughed backed and will be reflected in the Net Asset Value.
* Repurchase will be allowed from the second year at NAV based repurchase price after deducting cost not exceeding 5% of NAV per unit under all three options.
* Scope for capital appreciation as a part of investment will be in equities.
* Tax benefits U/S 80L and U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on dividend income and capital gains from capital appreciation.

Risk Factors

* Investments in units of the Plan are subject to market risks and the NAV of the Plan may go up or down depending on the influence of market forces on the Plan's portfolio.
* In the event of actual income not being sufficient to pay a minimum targeted return of 15% p.a. in the first year to members under the quarterly income option and 28% p.a. in the third year under the deferred income option, members may suffer loss of unit capital to that extent.
* Performance of the DIUS 1991 is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the rolled-over Plan will be achieved.
* Deferred Income Plan 1991 is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Plan.

Management's perception of Risk Factors

* UTI has been in operation for over 32 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 56.800 crores from over 48 million investors.

Table below indicates performance of five Deferred Income Schemes/Plan launched so far :

Sr. No.	Schemes/Plan	Quarterly dividend under Deferred Income 3rd Yr.	4th Yr.	5th Yr.	6th Yr.	7th Yr.	Bonus dividend payable on maturity	Capital Appreciation on maturity	Yield
1)	DIUS' 90								
	5 year plan	18%	24%	30%	—	—	5%	30%	17.86%
	7 year plan	—	24%	24%	30%	30%	7.5%	@	14.20%
2)	DIUs' 91								
	Deferred option	18%	24%	30%	—	—	5%*, 6%** & 6%‡	10.3%	16.91%
	Cuml. option	—	—	—	—	—	2.5% 3%✚ ╪ & 3%‡‡	10.3%	18.01%
3)	DIUS'92								
	Deferred option	28%	28%	28%			—	@	15.70%
	Cuml. option	Rs. 2000/- becomes Rs. 4200/- on maturity						@	16.00%
4)	DIUS'93								
	Deferred option	28%	28%	28%		—		@	15.19%
	Cuml. option	Rs. 2000/- becomes Rs. Rs. 4075/- on maturity						@	15.29%
5)	DIP'95	26%	$	$		—		@	

*Interim bonus dividened declared on 09-08-93 although there was no assurance of bonus units in the scheme.

**Bonus dividend declared on 16-08-94, as per the provisions of the scheme for declaration of bonus dividend at the end of the third year.

✚Bonus dividend declared as per the provision of the scheme for declaration of bonus dividend at the end of the fourth year.

╪ Bonus dividend declared at the end of 3 rd and 4 th year although there was no assurance of bonus dividend under the option.

$Dividend will be declared before the end of the preceding year and paid quarterly.

@Schemes yet to mature.

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to UTI from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of UTI are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India. Besides the Board, there is a statutory Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees

1.	Shri Jagdish Capoor	Chairman, Unit Trust of India
2.	Dr. P. J. Nayak	Executive Trustee Unit Trust of India
3.	Shri R.V. Gupta	Deputy Governor, Reserve Bank of India
4.	Shri S.H. Khan	Chairman, Industrial Development Bank of India
5.	Shri N.S. Sekhsaria	Managing Director, Gujart Ambuja Cements Ltd.
6.	Dr. Arvind Virmani	Advisor, Policy Planning, Govt. of India, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance
7.	Shri P.R. Khanna	Chartered Accountant
8.	Shri N.M. Govardhan	Chairman, L.I.C.
9.	Shri P.G. Kakodkar	Chairman, S.B.I.
10.	Shri Vaghul	Chairman, ICICI Ltd.
11.	Shri J.V. Shetty	Chairman & Managing Director, Canara Bank

DETAILS OF THE DEFERRED INCOME UNIT SCHEME 1991 (DIUS '91).

I. Short Title and Commencement:

(1) This scheme shall be called the Deferred Income Unit Scheme 1991 [DIUS '91].

(2) The scheme shall be for a period of five years i.e. from 15th October 1996 to 14th October, 2001.

There shall be three options under the scheme. Under I (Quarterly Income), dividend @ 15% p.a. will be paid at the end of each quarter for the first year.

Under II (Deferred Income), No dividend shall be paid for the first two years. Dividend at an enhanced rate shall be paid for the remaining years after the wait period. For the third year a minimum targeted dividend @ 28% p.a. will be paid at the beginning of each quarter.

Under III (Capital Growth), there will be no income distribution. Income earned will be ploughed back and will be reflected in the NAV.

(3) Units will be on sale from 19th September 1996 to 14th October 1996 for 26 days.

Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions:

In this Scheme and the plan made thereunder unless the context otherwise requires:

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order accepts the same;

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the Scheme and the plan made thereunder who is not a minor and makes an application under Clause III of the Plan.

(e) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "Member" used as an expression under the scheme and the plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme.

(g) "Non Resident Indian (NRI)", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grand parents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(h) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(i) "Overseas Corporate Bodies (OCBs)", include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality of origin resident outside India as also overseas trust in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons.

(j) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(k) "Recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(l) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the scheme from time to time.

(m) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(n) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992. (15 of 1992).

(o) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(p) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(q) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(r) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(s) all other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(t) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

The other provisions of the scheme are available from page No. 13 to page No. 20.

DETAILS OF THE DEFERRED INCOME PLAN 1991 (DIP '91) FORMULATED UNDER THE DEFERRED INCOME UNIT SCHEME 1991 ARE GIVEN HEREBELOW.

I. Definitions :

The words not defined in the Plan and defined in the scheeme and Act/Regualtions shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Face value of each unit :

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

III. Application for units :

(1) Application for units may be made by residents and also non residents.

Residents

(a) individuals either singly or with another individual on joint/either or survivor basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(d) a society as defined under the scheme.

(e) a registered co-operative society.

(f) other bodies corporate including companies u/s. 25 of the Companies Act, 1956.

(g) Hindu Undivided Family.

Non-Residents on fully repatriable basis by

(a) Non resident adult individuals either singly or with another individual on joint/either or survivor basis.

(b) Father/Mother/Step-parent/Lawful Guardian on behalf of Non-resident minor.

(c) Non-Resident HUF.

(d) Non-resident Company/Overseas Corporate Bodies owned by NRIs to the extent of atleast 60%.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

IV. Minimum amount of investment

Application shall be made for a minimum of 200 units i.e. Rs. 2000/-. There will be no maximum limit. For investments not in multiple of Rs. 10/-, units will be allotted in fractions upto three places after decimal. In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and IT Circle address if he/she is having so.

V. Limitation on expenses

Initial issue expenses shall not exceed 60% of the funds raised under the Scheme. Initial issue expenses of the Scheme is estimated to be as under.

Expenses	%
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.75
Commission to agents	1.50
Registrars Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Stamp fees and Custodial Fees	0.50
Total	6.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the Plan.

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Plan on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average weekly net asset value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under :

Expenses	
Administrative Expenses	1.00
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.10
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
Miscellaneous	0.80
Total	3.00

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to the Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the weekly average NAV of the Scheme during the accounting year.

The Expert Committee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the fees, expenses and accounting policies may be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.

VI. Mode of Payment

(1) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft.

Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the UTI branch office at which the application is tendered is situated.

Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft for number of units applied for after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association e.g. if the application amount is Rs. 10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs. 20/-. Thus the draft can be procured for Rs. 9980/- (i.e. Rs. 10,000 less Rs. 20/-). The draft commission charges will form part of the initial issue expenses of the plan.

However, in case of application received alongwith local bank draft where UTI has its branch office/collection centre/ franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 15 days from the date of issue of the draft. If the application amount is less than the minimum investment under the plan, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost.

(iii) Mode of Investment with repatriation benefits :

The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon and capital appreciation (if applicable), as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes :

(a) Draft in foreign currency

(b) Draft in rupees issue in favour of UTI by foreign banks/Exchange House drawn on their Indian correspondent banks.

(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India.

(d) By cheque/draft issue from the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Since investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion. Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors.

In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above.

(iv) Mode of investment without repatriation benefits :

Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units the funds so invested and capital appreciation (if applicable) will not qualify for repatriation out of India.

However as per RBI circular A.D. (M.A. Series) No. 18 dated August 19, 1994 the entire income earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation. While in such cases UTI will make payment in Rupees for credit to NRO A/C, investors are advised to contact their banks/Tax consultants if they desire remittance of dividend on units.

(2) (a) Right of the Trust to accept or reject application :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the scheme and the plan made there under. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an applicaion under the Scheme and the plan made thereuder shall be final.

(b) Incomplete Application Liable For Rejection

In case the application is found td be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) Applicant to comply with requirements under the scheme and the plan made thereunder before being issued units :

Persons apply for units under the scheme and the plan made thereunder shall have to satisfy the Trust about their eligibility to make an appliaction and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed. Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Birth Certificate in case of application on behalf of minor, etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisafction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust. Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of members.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VII. Sale of Units :

The sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. However for the unitholders of DIUS '91 opting for the roll-over the date of acceptance would be 1st September 1996. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Membership Advice evidencing that he has been admitted as a member in the scheme and the plan made thereunder. A Membership Advice issued by the Trust to the eligible institution/ body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Membership Advice so sent.

The Trust shall send the Membership Advice within 10 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

Date of allotment in respect of all the members would be 15th October 1996.

VIII. Repurchase of units :

(1) Repurchases under the plan will commence after one year from the date of commencement of the plan i.e. 15th October, 1997 under all the three options. There shall be no repurchase during the first year of the Plan. Repurchase price will be at a discount not exceeding 5% to the historic NAV under all the three options. The NAVs of units and the repurchase prices will be declared at monthly intervals six months from the date of commencement of the plan. For the first year the repurchase prices will be applicable for settlement of death claim cases.

(2) Repurchase will be effected on receipt of the Membership Advice alongwith a request letter on plain paper duly signed by all the holders and duly witnessed by another person giving his name, occupation and address.

In case of Quarterly Income Option, the Member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unencashed Income Distribution Warrants remaining outstanding subsequent to and inclusive of the quarter of repurchase to the Trust. In case of Deferred Income Option, the member is not required to surrender the warrant pertaining to the quarter of repurchase as the NAV for calculating the repurchase price will be ex-dividend NAV. However, the member shall be bound to surrender all unencashed Income Distribution Warrants remaining outstanding subsequent to the quarter of repurchase.

The Trust shall not on accepting the Membership Advice alongwith the request letter for repurchase the bound to pay any Income Distribution on the units for the quarter of acceptance or future quarters under the Quarterly Income option and for future quarters under Deferred Income Option nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds.

Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs. 2000/- (face value).

In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh membership advice and a fresh set of income distribution warrants for the remaining period including the quarter of acceptance under the Quarterly Income Option and for the remaining period under the Deferred Income Option. No interest shall be payable on the repurchase proceeds.

All the documents and the unpaid Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the Member to surrender the Income Distribution Warrants which are required to be surrendered as per sub clause (2) hereinabove deduct from the repurchase proceeds such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant as have not been surrendered as per sub clause (2) hereinabove and pay the balance to the Member. On acceptance of the Membership Advice and the request letter for repurchase by the Trust, and in the event of full repurchase, the members' right to receive future Income Distribution including under Income Distribution for the quarter of acceptance under quarterly income option and future income distribution under the deferred income option will cease and the Trust shall have a claim on the amount/s represented by such outstanding Income Distribution.

(4) A Member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a quarterly basis should have held the units for a full year. A Member who holds units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full quarters of holding ,part of a quarter of whatever length being always ignored.

(5) In the event of the death of the Member and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the Membership Advice, the request letter for repurchase and the unencashed Income Distribution Warrants outstanding to the deceased Member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate quarterly income distribution upto the date of the settlement of the claim and such payment shall be for periods of whole quarters.

(6) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application.

No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

(7) The repurchased units will not be reissued. However, as and when SEBI permits the reissue of units, the Trust retains its rights to reissue the units repurchased under the plan.

(8) In case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as follows :

(a) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad/by cheque/draft issued from proceeds of member's FCNR deposit or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency (any exchange rate fluctuation will be borne by the member) or can be sent to the member's relative in India for crediting to member's Non-Resident (External) Account provided he continues to be resident abroad. It can also be sent for crediting to his Non-Resident (Ordinary) Account if desired by the member.

(b) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Acount, the proceeds will be sent to the member's relative in India for crediting to the member's Non-Resident (Ordinary) Account.

(9) The basis of computation of repurchase prices under all the three options shall be subject to Regulations, Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

IX. Restrictions on repurchase of units :

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme and the Plan made thereunder the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of members is closed in connection with the annual closing of the books and accounts.

Explanation :

For the purpose of this Scheme and the Plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

X. Publication of repurchase price :

The Trust shall as early as possible after determining the repurchase price issue it for publication to the press.

XI. Membership Advice :

No. Unit/Membership Certificate shall be issued to a member in respect of his membership of units issued under the scheme and the plan made thereunder. They will, however, be given a Membership Advice evidencing admission as a member in the scheme and the plan made thereunder.

XII. *Manner of preparation of Membership* :

The Membership Advice shall be in the form approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

XIII. Exchange of Membership Advice and procedure when advice is mutilated, defaced, lost etc. :

For the purpose aforesaid the member under the Plan shall follow such rules/guidelines/proceedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XIV. Register of members :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members :—

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter alia :

(a) the names and addresses of the members;

(b) the number of the Membership Advice and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any Member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any Member without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XV. Application by and registration of eligible institutions, minors etc.:

(1) Eligible institutions, bodies corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adults if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(3) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandom and Articles of Association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

XVI. Receipt by Member to discharge Trust:

The receipt of the Member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Scheme and the Plan made thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XVII. Nomination by members:

(1) Members may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the regulations.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate and HUF shall have no right to make any nomination. Non-Resident Indians can be nominated as per guidelines issued by the RBI from time to time.

XVIII. Death of a Member:

(1) In case of death of either of the joint members of units, the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the Scheme and the plan made thereunder. Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single Member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units.

(3) In the absence of a valid nomination by a single Member, the executor or administrators of the deceased Member or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a Member (s) may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the nominee is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee, the nominee may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a Member and continue to remain registered as a Member and shall be issued a Membership Advice in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of death of a single Member during the lock in period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at any other method as may be decided by the Trust.

(7) In case of death of non-resident member(s) the repurchase proceeds of the units can be remitted to the non-resident nominee or legal heir(s) provided :

(a) units were bought out of funds remitted from outside India, from funds held in non-resident (E) account in India or from proceeds of FCNR deposits and

(b) the nominee continues to be residing outside India/ the legal heir(s) reside outside India.

Where units have been purchased from funds held in NRO accounts the repurchase proceeds in case of non-resident nominee or legal heir(s) will not qualify for repatriation out of India.

Cases of claims where nominee was resident at the time of nomination but subsequently became non-resident have to be referred to RBI for mode of remittance of the proceeds.

XIX. Income Distribution:

The Member shall have the right to exercise an option to participate in the Quarterly Income Option or Deferred Income Option or the Capital Growth Option. This shall be done at the time of investment in the Scheme and the option once exercised will be final. In the absence of any specific option being exercised by the applicant it shall be treated as Capital Growth Option. The provisions of the Scheme and the Plan made thereunder will be applied to all the options and where the provisions vary the relative details are given accordingly.

Depending upon the date of investment, the income upto 14th October, 1996@ 15% p.a. will be paid out to the member on a pro-rata basis. The cheque will be sent alongwith the Membership advice or in case of NRI as desired by the applicant.

(1) Quarterly Income Option :

The Trust proposes to pay minimum targeted dividend @ 15% p.a. for the first year to be paid at the end of each quarter. Dividend for the subsequent years will be declared before the end of the previous years.

(2) Deferred Income Option :

The Trust shall not pay any dividend under the Plan for the first two years. The Trust proposes to pay dividend at an enhanced rate for the remaining years after the wait period. In the third year a minimum targeted dividend @ 28% p.a. will be payable at the beginning of every quarter i.e. from the quarter beginning on 15-10-1998.

(3) Before declaring dividend under the Plan, the Trust shall provide for depreciation on investments and also make a provision for bad and doubtful debts, to the satisfaction of its auditors and shall disclose the valuation of investments in the statement of accounting policies.

Based on the investment objectives and policies of the Scheme as also the prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the Scheme will be invested, the scheme would be able to generate sufficient returns to pay minimum targeted dividends.

Current yields from fixed income securities in which bulk of the investments under the plan are made is 18% p.a.

Thus it should be possible for the Trust to pay the minimum targeted return of 15% p.a. for the first year under quarterly income option/28% p.a. payable quarterly in the third year to the investors under Deferred Income option. Rate of dividend for each subsequent year shall be decided on the basis of the income of the Scheme and relevant factors.

Post dated Income Distribution Warrants shall be sent in advance under both the options.

Under the Quarterly Income Option there will be two advance post dated income distribution warrants one from 15th October '96 to 31st December '96 (payable on 31st December '96) and the other for 1st January '97 to 31st March '97 (payable on 31st March, '97). Income Distribution Warrants will be sent alongwith the Membership advice and balance two IDWs i.e. for the quarter 1st April '97 to 30th June '97 (payable on 30th June '97) and 1st July '97 to 14th October '97 (payable on 14th October '97) will be sent in April '97

The declaration of dividend and despatch of dividend warrants for the subsequent years the following schedule :

Period	Dividend declaration by	Despatch of warrants by
15-10-1997 to 31-03-1998	March 1997	April 1997
01-04-1998 to 31-03-1999	March 1998	April 1998
01-04-1999 to 31-03-2000	March 1999	April 1999
01-04-2000 to 31-03-2001	March 2000	April 2000
01-04-2001 to 14-10-2001	March 2001	April 2001

Under the Deferred Income Option for the third year there will be two advance post dated income distribution warrants one from 15th October '98 to 31st December '98 (payable on 15th October, 98) and the other for 1st January, 99 to 31st March '99 (payable on 1st January '99) will be sent before 15th October '98. The remaining two IDWs i.e. for the quarter 1st April '99 to 30th June '99 (pavable on 1st April '99) and 1st July '99 to 14th October '99 (payable in '1st July '99) will be sent in March '99. The declaration of dividend and despatch of warrants for the subsequent years will be as per the following schedule :

Period	Dividend declaration by	Despatch of warrants by
15-10-1999 to 31-03-2000	February 1999	March 1999
01-04-2000 to 31-03-2001	February 2000	March 2000
01-04-2001 to 14-10-2001	February 2001	March 2001

The Trust shall despatch the Income Distribution Warrants within 42 days from the date of declaration of the rate of dividend.

(4) The income distribution for each quarter shall be made by means of Income Distribution Warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify. The Trust however reserves the right to forward post dated Income Distribution Warrants for such of the members as may be applicable in such manner and for such periods as the Trust may determine.

(5) Subject to the provisions of sub-clause (4), the warrants for payment of income distribution on a quarterly basis will be sent to the Member and the warrants will be so dated that the Member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months.

The Trust shall not be bound to pay interest in the event of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature and number of account, name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them.

Members may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the Member.

(6) In the event of the death of the Member if the nominee is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the nominee shall be bound to return all the uncashed warrants for necessary rectification.

However, such a nominee desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased Member to those in favour of the newly admitted Member.

(7) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses, the Trust reserves its right to make the Income Distribution on a monthly, half yearly or annual basis as the case may be, should the reasons of expediency, cost, interest of members and other circumstances make it necessary for the Trust to do so. In such an event the Trust shall notify the members by a publication in two leading English Language daily newspapers. No Member shall have a right to claim Income Distribution on quarterly basis after the Trust makes a notification as above.

(8) Capital Growth Option :

There will be no income distribution under the Capital Growth Option. The income generated shall be ploughed back and will be reflected in the Net Asset Value.

(9) Income Distribution to Non-Resident Indian investor :

Dividend under the Plan shall be paid as per the Exchange Control Regulations. NRIs may choose any of the following modes to receive income distribution warrants :

(i) The warrant can be issued in the name of the investor and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the investor **OR**

(ii) The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for crediting his account.

DETAILS OF THE DEFERRED INCOME UNIT SCHEME 1991 (DIUS '91) CONTINUED.

III. Valuation of assets pertaining to this Scheme :

(a) Listed investments in shares and debentures which have not been quoted for two months prior to the date of valuation are treated as Unquoted Investments.

(b) Valuation rate in case of quoted investments is the market rate as of valuation date or most recent available quote falling within a period of two months prior to the date of valuation in case market quote as of valuation date is not available.

(c) The aggregate cost of investments is compared with the aggregate market value to determine appreciation/depreciation in the value of investments. For arriving at the market value of investments :

(i) Quoted equity shares including those under lock-in-period/preference shares are taken at valuation rate.

(ii) Quoted debentures and bonds are taken at valuation rate discounted for interest element from the last interest due date to the date of quote in case of cum-interest quotes.

(iii) Quoted warrants are taken at valuation rate.

(iv) Unquoted equity/preference shares (including those listed but treated as unquoted) are taken at cost or as per policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(v) Unquoted debentures and bonds secured transferable notes and unsecured transferable notes will be valued on the basis of yield to maturity (YTM) or as per policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(vi) Unquoted warrants are taken at valuation rate of relative shares discounted for dividend element, if any, as reduced by the cost of acquisition payable. In cases where the cost of acquisition payable is higher than the market value, the value of warrants is taken as nil.

(vii) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the market value of the convertible portion is taken at the valuation rate applicable to relevant equity shares, discounted for dividend element, if any. The residual non-convertible portion of such debentures and bonds is taken as at (v) above./Where terms of conversion are not specified in respect of convertible portion of debentures and bonds, the same are taken at cost.

(viii) Money Market obligations are taken at book value.

(ix) Government Securities will be valued on the basis of market price for quoted securities and yield to maturity (YTM) for unquoted securities or as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(x) The rights entitlements for shares/convertible portion of debentures and bonds where terms of conversion are known are taken at the valuation rate applicable to relevant equity shares, discounted for dividend element, if any. The residual non-convertible portion of such debentures and bonds is taken as at (v) above.

IV. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset value of the units issued under the scheme and the plan made thereunder shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and substracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the cheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAVs of the three options of the scheme shall be determined separately. Six months after the date of commencement of the scheme the NAVs (on historic basis) shall be published atleast in two daily newspapers once every month.

V. (a) Investment Objectives :

Investment objective of the scheme is to primarily give a regular return to the members and also to endeavour providing capital appreciation at the time of maturity of the scheme.

Funds collected under the scheme shall after providing for all initial, preoperative and operational expenses be invested as follows :

(i) Atleast 60% of the funds will be invested in fixed income securities. Risk profile of investment will be low to medium.

(ii) Upto 40% of the funds may be invested in equity, related instruments and money market investments. The risk profile of equity investments could be high.

(iii) Investments in money market instruments will be consistent with the guidelines issued by SEBI in this regard from time to time.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment as indicated above could be varied at the discretion of the fund manager depending on the market conditions/the investment avenues available and the proportion of sales mobilised under various options of the scheme to the total sales under the scheme

(b) Investment Policies

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time : . Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instruments shall not exceed 40% of the total assets of the scheme.

(iv) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(v) Not more than 10% of the funds of all the Schemes of the Trust taken together including this scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(vi) Not more than 15% of the funds under all Schemes of the Trust including this scheme shall be invested in the shares and debentures of any one industry :

Provided that provision shall not apply to a Scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and declaration to the effect has been made in the offer letter.

(vii) Transfers of investments from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(viii) The scheme shall not invest in or lend to another Scheme/Plan of the Trust.

(ix) The scheme shall not borrow funds to finance its investments, unless otherwise permitted by SEBI under MF Regulations/Guidelines/Directives.

(c) However, not withstanding anything contained in respect of clauses III, IV and V (b) above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines Directives issued by SEBI from time to time

(d) Notwithstanding the aforesaid, the rolled over scheme will continue to hold non-transferable/unrated/unlisted assets that it held as on 31st August 1996 till the maturity of the said assets or the rolled over plan whichever is earlier and the quantum of those assets will in any case not exceed the funds that has been rolled over into the new plan. The valuation of those assets would be as per the policy approved by the Board of Trustees.

VI. Development Reserve Fund (DRF) contribution :

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year. DRF contribution will be part of recurring expenses

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new system, and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities.

VII. Staff Welfare Trust Contribution :

0.10% of weekly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in any distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

VIII. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the plan during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the profit and lost account as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a Member, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

The Expert Committee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the fees, expenses and accounting policies may be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.

IX. Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the Scheme and the plan made thereunder :

The person who is registered as the Member and in whose name a Membership advice has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the Member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognised such Member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction order to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

X. Transfer, Pledge/Assignment of units :

Units issued under the scheme are not transferable/Pledgeable/Assignable.

XI. Additions and Amendments to the Scheme and the Plan made thereunder :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and the plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

XII. Termination of the Scheme and the plan made thereunder :

(a) The Scheme and the Plan made thereunder shall stand finally terminated on 14-10-2001, the outstanding units of the members shall be repurchased and the members shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. However, the Trust reserves the right to extend the scheme beyond five years with the prior approval of SEBI in writing. In such an event the Member shall be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme The Trust could also give the investor the option to automatically convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) The Trust may wind up the Scheme under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme and plan made thereunder i.e. on 14th October, 2001 or on the expiry of such date beyond five years as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme and the plan made thereunder to be wound up, or

(iii) if 75% of the members pass a resolution that the scheme be wound up, or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the members.

(c) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall—

(i) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.

(f) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the scheme concerned in the best interest of the members of the scheme

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (f) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are

properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken

(g) On the completion of the winding up, the Trust, shall forward to the SEBI and the members a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the fund before winding up, expenses of the fund for winding up, net assets available for distribution to the members and a certificate from the auditors of the scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XII (g), if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Membership advice along with the request letter for repurchase has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Membership advice, the request letter and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(k) In case of non-resident investors, repurchase/maturity proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below :

(i) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency.

(ii) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the maturity cheque will be despatched to the relative of the investor in nIdia.

XIII. Power to construe provisions :

If any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme and the plan made thereunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme and the plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and the plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final.

The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XIV Relaxation of provisions :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme and the plan made thereunder, relax any of the provisions of the Scheme and the plan made thereunder in case of any Member or class of members.

Any changes in the offer document shall be made only with prior approval of SEBI.

XV. Scheme and plan made thereunder to be binding on members :

The terms of this scheme and the plan made thereunder, including any amendments, changes thereto from time to time, shall be binding on each Member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the scheme and plan made thereunder.

XVI Benefits to the members :

All benefits accruing under the Scheme and the Plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme and the Plan made thereunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the scheme and plan made thereunder till its closure.

TAX GUIDE

Deduction of tax at source
Residents

As per the present taxation laws the Trust is required under section 194K to deduct income tax at source @ 15% from the income payable to individual members under the plan if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year. Similarly, tax will be deducted at source @15% from the income payable to HUFs if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Non-Resident

As per Finance Act, 1995, Section 196A of the Income Tax Act, 1961 has been substituted to provide for deduction of tax at source at the rate of 20% on income received by NRIs in respect of units of any Scheems of UTI acquired by them through payment from Non-Resident (Ordinary) Account.

As per circular No. 734 F No. 500/4/96-FTD, dated 24th January, 1996 issued by the Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Revenue in order to avoid double taxation for Non-Resident members residing in UAE the tax will be deducted at source at a concessional rate of 15% where source of funds is NRO account.

No deduction of tax

Residents

Member (not being a company or a firm), desiring receipt of income without deduction of tax at source should furnish to the Trust a declaartion in writing, in duplicate, in the prescribed form No. 15H and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his/its estimated total income for the previous year relevant to the assessment year will be nil. The form prescribed for non deduction of tax at source should be submitted alongwith application and for subsequent years atleast three month before the despatch of income distribution warrants, failing which tax will be deducted at tourse as per the prevalent tax laws.

No deduction of tax will be made for Trusts which are covered under Sections 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10 (23) or 10 (23AA) or 10(23C) of the Income Tax Act, 1961 on the basis of a declaration in the format provided in the application form.

Non Residents

In case of Non-Residents, if units are bought directly through remittance in foreign exchange or through payment from Non-Resident (External) account kept in India or from proceeds of FCNR deposits, income from such units is totally exempt from income tax. In the above case UTI shall not deduct income tax at source irrespective of the amount of dividend.

Tax Concessions

Taxation of income and capital appreciation under the plan will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws income from units to all residents and non-residents (if units are bought through payment from non-resident ordinary account, income of individuals and HUF by way of dividend) under all schemes of the Trust including

"DIP 91" alongwith other eligible investments will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs. 13,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of the plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the plan is exempted from wealth tax.

For Eligible Trusts

Units are approved securities under Section 11 (2) (b) of the Income Tax Act 1961, Elgibile Trusts investing in units will therefore qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961

Rights of Members

1 Members under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend declared by the Plan.

2. The members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the members.

3. The members are entitled to have the dividend warrants sent to them within 42 days of the date of declaration of the dividend

4. The members have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration.

The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 and M/s. Kalyaniwalla & Mistry, Maneckji Wadia Building, 127, Mahatma Gandhi Road, Mumbai. The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Investors Complains

Complains received, redreesed and pending for the period 01-07-95 to 30-04-96 are given below :

SCHEME NAME	NO. OF COMPLAINTS			Pending to Total Received
	Received	Redressed	Pending	
1 2	3	4	5	6
CCCF	1433	1368	65	4.54%
CGGF	12183	11604	579	4.75%
CGUS-91	1868	1804	28	1.50%
CRTS	134	128	6	4.48%
DIUP-93	195	162	33	16.92%
DIUP-95	37	29	8	21.62%
DIUS-90	1280	1263	17	1.33%
DIUS-91	826	814	12	1.46%
DIUS-92	868	863	5	0.58%
IISFUS	3	2	1	33.33%
GCGI	366	347	19	5.19%
Grandmaster-93	259	247	12	4.63%
GMIS-91	1977	1860	117	5.92%
GMIS-92	931	858	73	7.84%
GMIS-92(II)	719	694	25	3.48%
GMIS-B-92	164	137	27	16.46%
GMIS-B-92(II)	700	680	20	2.86%
Grihalakshmi U.P.-94	1307	1270	37	2.83%
MEP-91	2988	2934	54	1.81%
MEP-92	21367	20779	588	2.75%
MEP-93	2194	2150	44	2.01%
MEP-94	4005	3947	58	1.45%
MEP-95	26563	26481	82	0.31%
Mastergain-92	19670	9721	9949	50.58%
Mastergrowth-93	1395	1299	96	6.88%
MIP-93	1593	1562	31	1.95%
MIP-94	1065	1044	21	1.97%
MIP-94(II)	1395	1367	28	2.01%
MIP-94(III)	3370	3303	67	1.99%
MIP-95	352	337	15	4.26%
MIP-95(II)	276	232	44	15.94%
MIP-95(III)	80	56	24	30.00%
MIS-90(I)	444	256	188	42.34%
MIS-90(II)	958	874	84	8.77%
MIS-B-93	703	681	22	3.13%
MISG-91	1319	1202	117	7.87%
Masterplus-91	5064	4579	485	9.58%
Mastershare-86	26061	17813	8248	31.65%
Omni Plan	56	36	20	35.71%
PEF	650	506	144	22.15%
Retirement Benefit Plan	2765	2688	77	2.78%
Rajlakshmi U.P.	80692	7804	265	3.28%
Senior Citizen U.P.	1306	1232	74	5.67%
UGS-2000	55795	55157	638	1.14%
UGS-5000	11902	11557	345	2.90%
ULIP	10104	8936	1168	11.56%
US-64	449045	438930	10115	2.25%
US-92	189	180	9	4.76%
US-95	4	4	0	0.00%
TOTAL	685997	651813	34184	4.98%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre 1, 28th Floor,
World Trade Centre, G. D. Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005
Tel : 2180172/2181600

EASTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta-700 001
Tel : 2434581.

SOUTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI House, 29, Rajaji Salai,
Madras-600 001
Tel : 517101 Ext. 360/364

NORTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House, 2nd floor,
5A, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110 002.
Tel : 332 9860

Registrars

M/s MCS Ltd. situated at Sri Padmavathy Bhavan, Plot No. 93, Road No. 16, MIDC Area, Andheri (Eas.), Mumbai-400 093 Tel No. 836 8681 have been appointed to work as Registrars :

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge their responsibilities with regard to processing of applications, despatch of membership advices within the prescribed time frame and handle investor complaints. Processing of applications and after sales services will be handled from four main branches of the Registrars :

West Zone : Sri Padmavathy Bhavan, Plot No. 93, Road No. 16, MIDC Area, Andheri (East), Mumba.-400 093. Tel. No. 836 8681.

East Zone : Sri Venkatesh Mangalam, 24/26 Hemanta Basu Sarani, Calcutta-700 001. Tel. No. : 248 7465.

South Zone : Sri Venkatesh Bhavan, 35 Armenian Street, Madras-600 001. Tel. No. 523 1848, 523 1007.

North Zone : Sri Venkatesh Bhavan, 212 A Shahpur Jat, New Delhi-110 049. Tel. No. 621 3830.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020.

The UTI Act.

The General Regulations.

The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.

Copy of Offer Document of DIP'91.

Details of Four Previous Deferred Income Scheme/Plans of UTI

Name of the Scheme/Plan	DIUS'91	DIUS'92	DIUS'93	DIP'95
Date of Commencement	01-08-1991	10-08-1992	01-10-1993	01-10-1995
Date of Termination	01-09-1996	30-08-1997	30-09-1998	30-09-2000
Dividend	No Div. for Ist 2 yrs. 18%, 24% & 30% p.a. on qtrly. basis in 3 rd, 4th & 5th year respectively.	No Div. for Ist 2 yrs. 28% p.a. on qtrly basis in 3 rd, 4th & 5th year	No Div. for Ist 2 yrs. 28% p.a. on qtrly basis in 3rd, 4th & 5th year.	No Div. for Ist 2 yrs. 26% p.a. on quarterly basis in the 3rd year. Dividend for the 4th and 5th years will be declared before the end of the preceding years and paid quarterly
Cumulative Option	At the end of 5 yrs. units will be repurchased at Repurchase Price not less than Rs. 20/- per unit.	At the end of 5 yrs. units will be repurchased at Repurchase Price not less than Rs. 21/- per unit	Rs. 2,000/- becomes Rs. 4,075/-	For every Rs. 1000/ invested the indicative value would be Rs. 1260/- at the beginning of the fourth quarter of the third year.
Amount Collected (Rs.Crores)	205.23	128.70	376.56	98.75
No. of Applications	189465	95930	246830	68192

HISTORICAL DATA—DIUP SERIES

(Rs. in Crores)

Particulars	DIUP 92					DIUP 93				DIUP 95	
	1992-93	1993-94	1994-95	31-12-95$	1995-96$	1993-94	1994-95	31-12-95$	1995-96*	31-12-95$	1995-96*
(A) Gross Income	13.27	35.46	26.89	14.21	30.47	34.16	59.01	31.90	64.31	4.75	13.22
(B) Expenses (Including Provisions)	5.57	0.79	2.12	6.61	8.83	3.86	2.42	14.03	14.97	0.35	0.95
(C) Net Income (A—B)	7.70	34.67	24.77	7.60	21.64	30.30	56.59	17.87	49.34	4.40	12.27
(D) Dividends	—	—	8.87	5.32	10.65	—	0.0	4.92	14.75	0.00	0.00
(E) Nav Beginning	—	10.28	14.81	—	14.51	—	11.83	—	12.35	—	0.00
End	10.28	14.81	14.51	14.68	15.34	11.83	12.35	12.67	13.17	10.43	11.40
(F) Repurchase Beginning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
End	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(G) Expenses to Average Monthly Net Assets (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(H) Portfolio Turnover Rate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(I) Market Price Highest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(J) Sale Price (In Rs.) Highest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowest	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(K) No. of Units (In Lakhs) At the End of the Period	1,285.77	1,286.31	1,285.50	1,285.29	1,285.10	3,765.11	3,756.41	3,752.30	3,750.00	998.15	1,002.60

*Provisional

$As on 31-12-95 (As per unaudited half yearly results)

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg (New Marine Lines), Mumbai-400 020. Tel :206 8468

ZONAL OFFICES

Western Zone : Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel : 2181600/ 2181254. **Eastern Zone** : 2, Fairlie Place, 2nd Floor, Calcutta-700 001. Tel : 2209391/2205322. **Southern Zone** : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel : 517101. **Northern Zone** : Jeevan Bharati, 13th Floor, Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel : 3329860/3329858.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE

MUMBAI MAIN BRANCH OFFICE

Centre-1, 29th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel : 218 1600/218 0057

BRANCHES WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED

Ahmedabad : B. J. House, 2nd 3rd & 4th Floor, Ashram Road Ahmedabad-380 009. Tel : 6423045. Baroda : Meghdhanush 4th & 5th Floor Transpek Circle, Race Course Road, Baroda-390 015. Tel : 332481. Bhopal : 1st Floor, Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone I, Scheme 13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel 558308. Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B', Opp JVPD Shopping Centre, Gul Monar Cross Road No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel : 6201995. Mumbai : (2) Persepolis Bldg., 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector 17, Vashi Navi Mumbai-400 703. Tel : 7672607. Mumbai : (3) Lotus Court Building, 196, Jamshedji Tata Road, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel : 2850821/822 (For Mumbai Main Branch). Mumbai : (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Floor, S. V. Road, Borivli (West), Mumbai-400 092. Tel : 8020521. Mumbai : (5) Sagar Bonanza, 1st Floor, Khot Lane, Ghatkopar (West), Mumbai-400 086. Tel : 5162256. Indore : City Centre, 2nd Floor, 570, M. G. Road, Indore-452 001. Tel : 22796. Kolhapur : Ayodhya Towers, G.S. No. 511; KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Comer, Station Road, Kolhapur-416 001. Tel : 657315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg (Kingsway), Nagpur-440 001. Tel : 536893. Nasik : Sardar Sankul, 2nd Floor, M.G. Road. Nasik-422 001. Tel : 72166. Panaji : E.D.C. House, Ground Floor, Dr. A.B. Road, Panaji, Goa-403 001. Tel : 222472. Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 1183 Fergusson College Road, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel : 325954. Rajkot : Lallubhai Centre, 4th Floor, Lakhaji Raj Road, Rajkot-360 001. Tel : 35112. Surat : Saifee Bldg. Duch Road, Nanpura, Surat-395 001. Tel : 434550 Thane : UTI House, Near Thane P.O., Station Road, Thane West)-400 601. Tel : 5400905.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Road, Agra-282 002. Tel: 54408. Allahabad : United Towers, 3rd Floor, 53, Leader Road, Allahabad-211 003. Tel: 50521. Amritsar : Shri Dwarkadeesh Complex, 2nd Floor, Queen's Road, Amritsar-143 001. Chandigarh : Jeeven Prakash, LIC Building, Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel : 545083. Dehradun : 2nd Floor, 59/3, Rajpur Road, Dehradun-248 001. Tel: 26720. Faridabad : B-014-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Ghaziabad : 41 Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Jaipur : Anand Bhavan (3rd Floor), Sansar Chandra Road, Jaipur-302 001. Tel:365212. Kanpur : 16/ 79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel: 317278. Lucknow : Regency Plaza Building, 5, Park Road, Lucknow-226 001. Tel: 232501. Ludhiana : Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel:400373. New Delhi : Gulab Bhavan (Rear Block), 2nd Floor, 6, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel: 3318638/3319786. Shimla : 3, Mall Road, 1st Floor (above Jankidas & Co., Dept. Store), Shimla-171 002. Tel: 4203. Varanasi : 1st Floor, D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001. Tel: 54306/ 54262/54272.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : World Trade Centre, Chamber of Commerce, Kempegowda Road, Bangalore-560 009. Tel : 2263739. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Floor, M. G. Road, Ernakulam, Cochin-682 011. Tel : 362354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25 Arts College Road, Coimbatore-641 018. Tel : 214973. Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Road, Hubli-580 020. Tel : 363963. Hyderabad : 1st Floor, Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 001. Tel : 511095. Madras : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel. : 517101/513695. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparankundram Road, Madurai-625 001. Tel. 38186. Mangalore : Siddhartha Bldg., 1st Floor, Bal-Matta Road, Mangalore-575 001. Tel : 426258. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Floor, M. G. Road, Thiruvananthapuram-695 001. Tel : 331415. Trichy : 104 Salai Road, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel : 27060. Trichur : 28/876/77 West Pallithamam Building, Karunakaran Nambiar Road, Round North, Trichur-680 020. Tel : 331259. Vijayawada : 27-37-156, Bundar Road, Next to Hotel Manorama, Vijayawada-520 002. Tel : 74434. Vishakhapatnam : Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Road, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530016. Tel : 548121.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : Asha Niwas, 246, Lewis Road, Bhubaneshwar-751 014. Tel : 56141. Calcutta : 2 & 4, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel : 2209391/2205322. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Floor, Asansol Durgapur, Dev. Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel : 4831. Guwahati : Jeevan Deep, M. L. Nehru Road, Panbazar, Guwahati-781 001. Tel : 543131. Jamshedpur : 1-A. Ram Mandir Area, Ground & 2nd Floor, Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel : 425508. Patna : Jeevan Deep Building, Ground & 5th Floor, Exhibition Road, Patna-800 001. Tel : 235001. Siliguri : Jeevan Deep Ground Floor, Gurunank Sarani, Siliguri-734-401. Tel : 24671.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1996